विद्या परिषद की बैठक दिनांक 12.03.2001 एवं 08.04.2001 के कार्यवृत्त

संख्या :- 01/2001

समय :- मध्यान्ह 12:00 बजे

स्थान :- आई.ए.एस.ई. सभागार

उपस्थिति: (दिनांक 12.03.2001)

01.	प्रो. ज़ाहिद हुसैन जैदी, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डा. एस.के. राजपूत	सदस्य
03.	डा. सुखपाल सिंह	सदस्य
04.	प्रो. यू.पी. अरोरा	सदस्य
05.	डा. एस.सी. जैन	सदस्य
06.	प्रो. शौकत अली	सदस्य
07.	प्रो. वी.पी. सिंह	सदस्य
08.	डा. (कु.) पी.जी. साहनी	सदस्य
09.	प्रो. बीना शाह	सदस्य
10.	प्रो. पारस नाथ राम	सदस्य
11.	प्रो. प्रदीप कुमार यादव	सदस्य
12.	प्रो. राज किशोर सिन्हा	सदस्य
13.	प्रो. नरेन्द्र बहादुर सिंह	सदस्य
14.	डा. राजेश सिंह चौहान	सदस्य
15.	डा. शिव शंकर कटियार	सदस्य
16.	डा. वी.पी.सिंह (गणित विभाग)	सदस्य
17.	डा. भगवान शरण भारद्वाज	सदस्य
18.	श्रीमती सईदा बेगम	सदस्य
19.	डा. जे.एस. राठौर	सदस्य
20.	डा. सी.बी. मिश्रा	सदस्य
21.	श्री एम.सी. अग्रवाल	सदस्य
22.	डा. पी.के. गुप्ता	सदस्य
23.	डा. राकेश कुमार गुप्ता	सदस्य
24.	डा. जे.पी. अरोरा	सदस्य
25.	डा. ए.के. गुप्ता	सदस्य
26.	श्री मुकेश चन्द्र	सदस्य
27.	डा. अजय कुमार शर्मा	सदस्य

28.	डा. (श्रीमती) बी.डी. हरपिलानी	सदस्य
29.	डा. जी.डी. शुक्ला	सदस्य
30.	डा. आर.के. अग्रवाल	सदस्य
31.	डा. शुभ्रा कटारा	सदस्य
32.	डा. एस.सी. अग्रवाल	सदस्य
33.	डा. सरोज सिंह	सदस्य
34.	प्रो. कुवंर बहादुर सिंह	सदस्य
35.	प्रो. आर.पी. यादव	सदस्य
36.	डा. रामपाल सिंह	सदस्य
37.	डा. एस.एन. सिंह	सदस्य
38.	डा. अतुल कुमार सिन्हा	सदस्य
39.	डा. रीना जायसवाल	सदस्य
40.	श्री वी.के.मिश्रा	सदस्य
41.	श्री आर.सी. नारंग	सदस्य
42.	डा. एन.एल. शर्मा	सदस्य
43.	डा. एम.सी. रस्तोगी	सदस्य
44.	श्रीमती बीना सक्सेना	सदस्य
45.	प्रो. गिरजेश कुमार	विशेष आमन्त्रित सदस्य
46.	प्रो. ए.के.शर्मा	विशेष आमन्त्रित सदस्य
47.	श्री सतीश चन्द्र शर्मा, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व, कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने अत्यन्त भाव विभोर होकर शोक पूर्ण मुद्रा में विद्या परिषद के माननीय सदस्य प्रो. हरि शंकर श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, पादप विज्ञान विभाग के दिनांक 09 मार्च, 2001 को हुए आकस्मिक निधन की सूचना से परिषद को अवगत कराया। उन्होने कहा कि शोक की इस घड़ी में यद्यपि विद्या परिषद की बैठक सम्पन्न किया जाना उचित नही होगा, किन्तु अत्यन्त अल्प समय अवशेष होने के कारण माननीय सदस्यगण को बैठक के स्थगन की सूचना दिया जाना सम्भव नही हो सका, अत: यदि माननीय सदस्यगण सहमत हों, तो निम्नलिखित तीन नीतिगत बिन्दुओं को विद्या-परिषद को अवगत कराते हुए आज की बैठक दिनांक 08 अप्रैल, 2001 तक के लिए स्थगित (Adjourned) की जाये। तत्पश्चात समस्त माननीय सदस्यगण द्वारा उक्त से सहमति व्यक्त करते हुए आज की विषय कार्यसूची के निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिषद द्वारा विचार प्रारम्भ हुआ:-

2.06 महामहिम कुलाधिपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए कुलपति सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में लिये गये निर्णय के अनुसार स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत आने

वाले विषयों के समान पाठ्यक्रम तैयार किये जाने सम्बन्धी उ.प्र. शासन की नीति के तहत निम्नलिखित विश्वविद्यालयों द्वारा, उनके सम्मुख अंकित विषयों के तैयार कराये गये पाठ्यक्रमों को शासन के पत्र सं 1506/सत्तर-1-2000-15(79)/99 टी.सी., उच्च शिक्षा अनुभाग-1, दिनांक 11 अगस्त, 2000 में अंकित निर्देशों के अनुरूप विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किये जाने पर विचार:-

1.	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।	सैन्य अध्ययन
2.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मनोविज्ञान
3.	कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	राजनीति शास्त्र
4.	डा. भीम राव अम्बेडकर विवि., आगरा	गणित व सांख्यिकी
5.	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	गृह विज्ञान
6.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।	हिन्दी
7.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	अंग्रेजी
8.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	उर्दू,फारसी व अर्थशास्त्र
9.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	संस्कृत
10.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विवि, श्रीनगर(गढ़वाल)	भूगोल
11.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	समाज शास्त्र
12.	एम.जे.पी.रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली।	शिक्षा शास्त्र

नोटः (1) उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के पाठ्यक्रम, जो उनके सम्मुख अंकित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये जाने थे, अप्राप्त है। यह भी सूच्य है कि मानव शास्त्र विश्वविद्यालय में संचालित नहीं है:-

1.	पं. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	इतिहास
2.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	मानव शास्त्र

विद्या परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की नीति के तहत उपरोक्तानुसार प्राप्त समस्त पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि शासन की नीति के अनुसार भविष्य में यदि कला संकाय की भांति विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रम प्राप्त होते है, तो वह भी तद्नुसार अनुमोदित माने जायेंगे।

3.01 महामहिम कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए कुलपति सम्मेलन में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में लिये गये निर्णय के अनुसार परीक्षा पद्धति में सुधार के उद्देश्य से शासन के निर्देशों के अनुरूप BA/B.Com/B.Sc./B.Sc.(Ag.) भाग एक की

परीक्षा (वर्ष 2001) हेतु तैयार कराये गये प्रश्न पत्र के नमूने से विद्या परिषद को अवगत कराना:-

विद्या परिषद अवगत हुई एवं परिषद द्वारा आगामी सत्र से द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की रचना भी तद्नुसार कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4.01 विद्या परिषद की बैठक दिनांक 08.06.99 के पश्चात सम्पन्न हुई विभिन्न शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को विद्या परिषद द्वारा नोट किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा दिनांक 12.03.2001 तक सम्पन्न हुई समस्त शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को अंकित किया गया।

विद्या परिषद की बैठक आहूत किये जाने एवं उपरोक्तानुसार विद्या परिषद की बैठक सम्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में परिषद की माननीय सदस्या प्रो0 बीना शाह द्वारा की गयी कतिपय आपत्तियों को सर्वसम्मति से सदन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किये जाने का निश्चय किया गया।

उक्त के उपरान्त विद्या परिषद के माननीय सदस्य प्रो. हरि शंकर श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित शोक प्रस्ताव पारित करते हुए दो मिनट का मौन धारण कर उन्हे श्रंद्धाजलि अर्पित की गयी:-

''प्रो. हरि शंकर श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, पादप विज्ञान विभाग एवं सदस्य-विद्या परिषद, म.ज्यो.फु. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के आकस्मिक निधन (दिनांक 09 मार्च,2001) से हम सब हतप्रभ एवं शोकाकुल है। विश्वविद्यालय के लिए यह एक अपूर्णनीय क्षति है। उन्होने अपनी प्रतिभा एवं शैक्षणिक गतिविधियों से विभाग एवं विश्वविद्यालय का नाम न केवल देश में बरन विदेशों में भी प्रकाशमान कराया। वे न केवल एक योग्य व्यक्ति थे, बल्कि बहैसियत इन्सान एक अजीम सख्शियत थे। यह विद्या परिषद स्व. प्रो. हरि शंकर श्रीवास्तव की विज्ञान, शिक्षण एवं शोध जगत में योगदान की सराहना करती है। हम सभी उपस्थित सदस्यगण प्रार्थना करते है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति एवं उनके शोक संतप्त परिवार को इस असीम दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।''

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष प्रकरणों के विचारार्थ विद्या परिषद की बैठक दिनांक 08 अप्रैल, 2001 मध्यान्ह 12:00 बजे तक स्थगित (Adjourned) की गयी।

दिनांक 12.03.2001 को स्थगित (Adjourned) होने के उपरान्त दिनांक 08.04.2001 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की बैठक के कार्यवृत्त:

<u>उपस्थिति:</u>

1. प्रो. ज़ाहिद हुसैन जैदी, कुलपति	अध्यक्ष
2. डा. एस.के. राजपूत	सदस्य
3. प्रो. यू.पी. अरोरा	सदस्य
4. डा. एस.सी. जैन	सदस्य
5. प्रो. शौकत अली	सदस्य
6. प्रो. वी.पी. सिंह	सदस्य
7. (कु.) पी.जी. साहनी	सदस्य
8. प्रो. पारस नाथ राम	सदस्य
9. प्रो. प्रदीप कुमार यादव	सदस्य
10. प्रो. राज किशोर सिन्हा	सदस्य
11. प्रो. नरेन्द्र बहादुर सिंह	सदस्य
12. डा. राजेश सिंह चौहान	सदस्य
13. डा. शिव शंकर कटियार	सदस्य
14. श्री वी.पी. सिंह, प्लान्ट पैथोलाजी	सदस्य
15. डा. वी.पी.सिंह (गणित विभाग)	सदस्य
16. डा. भगवान शरण भारद्वाज	सदस्य
17. डा. जे.एस. राठौर	सदस्य
18. डा. राम जीत मिश्रा	सदस्य
19. डा. सी.बी. मिश्रा	सदस्य
20. डा. पी.के. गुप्ता	सदस्य
21. डा. एस.पी.एस. यादव	सदस्य
22. डा. ए.के. गुप्ता	सदस्य
23. डा. एस.सी. शंखधार	सदस्य
24. डा. ए.के.शर्मा	सदस्य
25. डा. (श्रीमती) बी.डी. हरपिलानी	सदस्य
26. डा. जी.डी. शुक्ला	सदस्य
27. प्रो. के.बी. सिंह	सदस्य
28. प्रो. आर.पी. यादव	सदस्य
29. डा. रामपाल सिंह	सदस्य
30. डा. एस.एन. सिंह	सदस्य
31. डा. अतुल कुमार सिन्हा	सदस्य

32. डा. सुबोध धवन सदस्य
33. डा. रीना जायसवाल सदस्य
34. श्री वी.के.मिश्रा सदस्य
35. श्री आर.सी. नारंग सदस्य
36. श्री हरबंश सदस्य
37. डा. एम.सी. रस्तोगी सदस्य
38. श्रीमती बीणा सक्सेना सदस्य
39. प्रो. अरूण कुमार शुक्ला सदस्य
40. प्रो. आर.एल. द्विवेदी सदस्य
41. प्रो. गिरजेश कुमार विशेष आमन्त्रित सदस्य
42. प्रो. ए.के.शर्मा विशेष आमन्त्रित सदस्य
43. श्री सतीश चन्द्र शर्मा, कुलसचिव सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त सम्मानित सदस्यगण का स्वागत किया। तत्पश्चात दिनांक 12.03.2001 को प्रसारित की गयी विषय कार्यसूची के अवशेष प्रकरणों के विचारार्थ बैठक की कार्यवाही विधिवत् प्रारम्भ हुई।

1.01 विद्या परिषद की बैठक दिनांक 20.08.1999 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।
विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

2.01 शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 31.08.2000 की संस्तुतियों पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में विद्या परिषद की बैठक में विशेष रूप से आमन्त्रित सदस्य प्रो. गिरजेश कुमार, आई.ए.एस.ई. ने अवगत कराया कि वह शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकायान्तर्गत आचार्य के रूप में शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय बोर्ड के सदस्य है, किन्तु उन्हे उक्त बोर्ड की बैठक में आमन्त्रित नहीं किया गया, अतः इस बैठक में की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में उन्होने संदेह व्यक्त किया। ऐसी स्थिति में विद्या परिषद द्वारा संकाय बोर्ड की संस्तुतियों को सम्प्रति अनुमोदित नहीं किया गया एवं निश्चय किया गया कि इस सम्बन्ध में कुलसचिव अपने स्तर से समस्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर पूर्ण प्रकरण आगामी विद्या परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।

2.02 विधि अध्ययन संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 16.09.2000 की संस्तुतियों पर विचार।
विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियां अनुमोदित की गयीं।

2.03 अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 09.02.2001 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।

2.04 कृषि संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 23.08.99 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियाँ पुनः कृषि संकाय बोर्ड को विचारार्थ निर्दिष्ट की गयी।

2.05 उन्नत सामाजिक विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 17.02.2001 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियां अनुमोदित की गयीं।

3.02 परीक्षा समिति के गठन सम्बन्धी अध्यादेश में की गयी व्यवस्थानुसार परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में विद्या परिषद के एक सदस्य को नामित किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विद्या परिषद के माननीय सदस्य डा. विजय पाल सिंह, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, आर.एस.एम. कालेज, धामपुर को परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

3.03 वर्ष 1987 के उपरान्त द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को परास्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व ब्रिज कोर्स परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता अथवा इसमें शिथिलता प्रदान किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा निश्चय किया गया कि वर्ष 1987 के उपरान्त द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को परास्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ब्रिज कोर्स परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखकर निवेदन किया जाये।

4.01 दिनांक 12.03.2001 को विद्या परिषद द्वारा संकल्प संख्या 4.01 के अन्तर्गत किये गये निश्चय के तारतम्य मे विद्या परिषद ने दिनांक 08.04.2001 तक सम्पन्न हुई समस्त शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही से अवगत हुई।

4.02 एम.फिल. परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर पी.एच-डी. हेतु पंजीकरण कराये जाने की अनुमति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी रजनी सागर के पत्र दिनांक 04.01.2001 पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रकरण पर विचार नहीं किया गया, बल्कि इससे हटकर अनेक माननीय सदस्यगण ने इस बात पर जोर दिया कि पी.एच-डी. के

अध्ययन/पंजीकरण हेतु परास्नातक परीक्षा 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की जाये। इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श हुआ एवं अनेको माननीय सदस्यगण ने पृथक-पृथक मत व्यक्त किया। अतः इस प्रकरण पर विद्या परिषद के माननीय सदस्य प्रो.ए.के.शुक्ला, इलाहाबाद की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित करने हेतु विद्या परिषद ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया। उप समिति विस्तृत विचार विमर्श कर अपनी संस्तुति कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी, जिसे आगामी विद्या परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

5.01 इंस्टीटयूट आफ फारेन ट्रेड एण्ड मैनेजमेंट, मुरादाबाद में जुलाई 2001 से निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आई.एफ.टी.एम. मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं इन पाठ्यकमों के अध्यादेश पर विचार।

1. Bachelor of Information Science (BIS)
2. Bachelor of Software System (BSS)
3. Bachelor of Electronic Commerce (B.E-Com.)

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर सिद्वान्ततः सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही निश्चय किया गया कि इन पाठ्यकमों को प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताओं को अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा अध्यादेश तैयार किये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति गठित करने हेतु विद्या परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

5.02 स्प्रिंगडेल कालेज आफ मैनेजमेंट स्टडीज, पीलीभीत में एक वर्षीय (Three Semester) Post Graduate Diploma in E-Commerce प्रारम्भ किये जाने पर विचार।
विद्या परिषद द्वार 5.01 पर किया गया निर्णय ही प्रभावी होगा।

5.03 विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों में चल रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित निम्नलिखित वोकेशनल पाठ्यकमों को यथास्थान परिनियमावली में प्राविधानित किये जाने पर विचार।

1. Advertising and Sales Management
2. Computer Application
3. Functional Hindi
4. Foreign Trade Practice and Procedure
5. Industrial Chemistry
6. Official Management and Secretrial Practice
7. Tourism and Travel Management

8. Electronic Equipments and Maintenence
9. Still Photography and Audio Production
10. Bio-Technology

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त वोकेशनल पाठ्यक्रम परिनियमावली में यथा स्थान प्राविधानित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

5.04 बरेली कालेज, बरेली में विज्ञान संकायान्तर्गत चल रहे इलैक्ट्रानिक्स विषय के पाठ्यक्रम से परिषद को अवगत कराया जाना एवं इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही पर विचार किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा 5.01 पर किया गया निर्णय ही प्रभावी होगा।

5.05 विश्वविद्यालय परिनियमावली में निम्नलिखित संकाय प्राविधानित किये जाने पर विचारः-

1. दन्त विज्ञान संकाय
2. चिकित्सा विज्ञान संकाय

विद्या परिषद द्वारा उक्त संकाय परिनियमावली में प्राविधानित किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी।

5.06 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत बी.फार्मा. पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु फार्मेसी विभाग प्राविधानित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

5.07 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना 1998 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्तियों में न्यूनतम अर्हताओं के निर्धारण में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छूट देने विषयक उ.प्र. शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी पत्रांक 806/सत्तर-1-2000-15(5)/99, दिनांक 13 मई, 2000 जो कि प्राध्यापक पद हेतु अर्हताओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम प्राप्तांक 55 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत निर्धारित किये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में है एवं तद्नुसार ही इस निर्णय को परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर समावेशित किये जाने के सम्बन्ध में है, से परिषद को अवगत कराना।

विद्या परिषद अवगत हुई एवं तद्नुसार परिनियमावली में समावेशित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

5.08 ग्रामोदय महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, अमरपुर काशी, बिलारी, मुरादाबाद को Post Graduate Diploma in Rural Resource Management (ग्रामीण संसाधन प्रबन्धन) चलाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में उनके प्रस्ताव पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा संकल्प संख्या 5.01 के अन्तर्गत लिया गया निर्णय ही प्रभावी होगा।

5.09 विश्वविद्यालय परिनियमावली में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का समावेश किये जाने हेतु यथा स्थान प्राविधान किये जाने पर विचार:-

1. Bachelor of Information Science
2. Master of Information Science
3. Bachelor of Aircraft Maintenance Engineering
4. Bachelor of Architecture

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम परिनियमावली में यथा स्थान प्राविधानित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

5.10 विश्वविद्यालय परिसर के आई.ए.एस.ई. में चल रहे निम्नलिखित पाठ्यक्रमों से विद्या परिषद को अवगत कराना:-

1. MA Applied English
2. PG Diploma in information Technology.

विद्या परिषद अवगत हुई।

5.11 विभिन्न डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार एवं तद्नुसार विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधान किये जाने पर विचार।

अ- डिप्लोमा पाठ्यकम (बरेली कालेज, बरेली में)

1. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग
2. पी.जी. डिप्लोमा इन प्रोफेशनल बायोटेक्नालाजी
3. पी.जी. डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट
4. पी.जी. डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट
5. पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमेंट
6. पी.जी. डिप्लोमा इन बिजनेस ला
7. पी.जी. डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलॉजी
8. डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइनिंग
9. डिप्लोमा इन फैशन डिजायनिंग
10. डिप्लोमा इन टेक्सटाईल प्रिन्टिंग
11. डिप्लोमा इन गार्डनिंग एण्ड फ्लोरिकल्चर
12. डिप्लोमा इन मार्डन एरेबिक एण्ड परसियन
13. डिप्लोमा इन टिसू कल्चर एण्ड फ्लोरिकल्चर
14. डिप्लोमा इन ई-कामर्स

ब-डिप्लोमा पाठ्यकम (एस.एस. कालेज, शाहजहाँपुर)

1. कार्यालय प्रबन्धन एवं सचिवीय पद्वति
2. पत्रकारिता
3. नर्सिंग
4. न्यूट्रीशन
5. हार्टिकल्चर
6. योग
7. पर्यावरण प्रबन्ध आदि।

स- डिप्लोमा पाठ्यकम (विवि परिसर के पादप विज्ञान विभागान्तर्गत)

1. इन्वायरमेन्टल साइन्सेज
2. माइक्रोबियल टेक्नोलाजी
3. टिसू कल्चरः टेक्नीक एण्ड एप्लीकेशन

नोटः उक्त समस्त (तीनों) पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यकम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

द- डिग्री पाठ्यकम (बरेली कालेज, बरेली में)

स्नातक स्तर पर	1.	सूचना विज्ञान (बी.आई.एस.)
	2.	कम्प्यूटर (बी.एस-सी. कम्प्यूटर)
	3.	पुस्तकालय विज्ञान (बी.लिब.एस-सी.)
परास्नातक स्तर पर	1.	सूचना विज्ञान (एम.आई.एस.)
	2.	पुस्तकालय विज्ञान (एम.लिब.एस.सी.)
	3.	गृह विज्ञान (एम.ए. होम साइन्स)

य- डिग्री पाठ्यकम (रक्षपाल बहादुर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट, बरेली में)

1. बैचलर इन लाईब्रेरी साईन्स (बी.लिब.)
2. बी.काम (आनर्स)
3. बैचलर इन इनफार्मेशन साइन्स (बी.आई.एस.)

विद्या परिषद द्वारा संकल्प संख्या 5.01 पर किया गया निर्णय ही प्रभावी होगा। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि बरेली कालेज, बरेली हेतु कमांक 07 पर अंकित पाठ्यकम का नाम संशोधित कर पी.जी. डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलाजी फार टेक्नीशियन रखा जाये।

5.12 प्रबन्ध शास्त्र संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 04.04.2001 की संस्तुतियों पर विचार, जिसके द्वारा आगामी सत्र 2001-2002 से निम्नलिखित पाठ्यकमों को प्रारम्भ किये जाने की संस्तुति की गयी है:-

अ- मास्टर इन हास्पिटेलिटी एण्ड टूरिज्म मैनेजमेंट

ब- मास्टर्स इन इण्टरनेशनल बिजनेस

स- इन्फारमेशन टेक्नालॉजी

विद्या परिषद द्वारा संकल्प संख्या 5.01 पर किया गया निर्णय ही प्रभावी होगा।

6.01 शासन द्वारा किये गये कुलपति सम्मेलन जनवरी, 1999 में प्रस्ताव संख्या 13 पर लिये गये नीतिगत निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय में डा. भीम राव अम्बेडकर चेयर की स्थापना तथा संगत निधि नियमावली तैयार करने सम्बन्धी राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक ई 8263/जी.एस., दिनांक 23.10.2000 पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा विद्या परिषद के अधोलिखित सदस्यों की एक उप-समिति गठित की गयी, जो डा. भीम राव अम्बेडकर चेयर की स्थापना के साथ साथ इस क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के नाम पर चेयर स्थापित करने एवं उसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने आदि मुख्य बिन्दुओं पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी:-

1. प्रो. यू.पी. अरोरा — संयोजक
2. प्रो. आर. के. सिन्हा
3. डा. ए.के.गुप्ता

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारणीय मद:</u>

7.01 आई.ए.एस.ई., एम.जे.पी.रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली तथा आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद के मध्य एम.ओ.यू. (Memorandum of under standing) पर हस्ताक्षर किये जाने सम्बन्धी निदेशक, आई.ए.एस.ई. के प्रस्ताव एवं तद्सम्बन्धी (एम.ओ.यू.) प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विमर्श किया गया। माननीय सदस्यगण का मत था कि आई.ए.एस.ई. एवं आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद के मध्य उक्त एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये जाने का कोई औचित्य नही है, अतः सर्वसम्मति से विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

7.02 Inverties Institute of Management Studies, Bareilly में शैक्षिक सत्र 2001-2002 से निम्नलिखित पाठ्यकम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी, उनके पत्र दिनांक 21.03.2001 पर विचार।

1. B.Sc./M.Sc. (Computer Science)
2. PG Diploma in Tourism and Hotel Management
3. PG Diploma in E-Commerce
4. PG Diploma in Computer Applications

विद्या परिषद द्वारा संकल्प संख्या 5.01 के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया गया।

7.03 Indian Council of Agriculture Research के निर्देशानुसार बी.एस-सी (कृषि) का पाठ्यक्रम संशोधित कर सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय के प्रस्ताव पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा संकायाध्यक्ष के उक्त प्रस्ताव से सिद्वान्ततः सहमति व्यक्त की गयी।

7.04 संकायाध्यक्ष, उन्नत सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा उन्नत सामाजिक विज्ञान संकायान्तर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम परिनियमावली में प्राविधानित किये जाने सम्बन्धी उनके प्रस्ताव पर विचारः

1. मास्टर आफ टूरिज्म स्टडीज
2. मास्टर आफ बिजनेस इकोनामिक्स

विद्या परिषद द्वारा संकल्प संख्या 5.01 के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया गया।

7.05 बी.एस-सी. (होम साइन्स), एम.एस-सी. (होम साइन्स) एवं एम.ए. (होम साइन्स) प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी विद्या परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती बी.डी. हरपिलानी, गृह विज्ञान विभाग, एस.बी.डी. कालेज, धामपुर के प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सिद्वान्ततः सहमति व्यक्त की गई। शेष निर्णय संकल्प संख्या 5.01 के अन्तर्गत किया गया ही प्रभावी होगा।

7.06 विश्वविद्यालय परिसर के विधि विभागान्तर्गत निम्नलिखित पी.जी. डिप्लोमा कोर्सेस प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी विधि संकायाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विचारः-

1. Law and Practice of Banking
2. Insurance Law including marine Insurance
3. Law of Intelectual property Rights
4. Information Technology and Law
5. Law and Public Health
6. International Trade law
7. Taxation law

उक्त के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा सिद्वान्ततः स्वीकृति प्रदान करते हुए संकल्प संख्या 5.01 के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया गया।

अन्त में विद्या परिषद द्वारा एम.बी.ए. के छात्र अरविन्द साहू के असामियक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक विसर्जित की गयी।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव/सचिव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17.08.02 के कार्यवृत्त

संख्या : 01/2002

समय : मध्याह्न 12:00 बजे

स्थान : शिक्षा एवं सम्बद्ध विज्ञान संकाय का सभागार

उपस्थिति :

1. प्रो. जाहिद हुसैन जैदी, कुलपति — अध्यक्ष।
2. डा. सतीश कुमार — सदस्य।
3. प्रो.आर.पी.यादव — सदस्य।
4. डा. बी.एन. चौरसिया — सदस्य।
5. प्रो. शौकत अली — सदस्य।
6. डा. एस.के.अग्रवाल — सदस्य।
7. प्रो. के.बी. सिंह — सदस्य।
8. डा. सोती शिवेन्द्र चन्द्र — सदस्य।
9. प्रो. गिरिजेश कुमार — सदस्य।
10. प्रो. पी.एन.राम — सदस्य।
11. प्रो. पी.के.यादव — सदस्य।
12. प्रो. एन.बी. सिंह — सदस्य।
13. प्रो. बी.पी. सिंह — सदस्य।
14. प्रो. यू.पी. अरोरा — सदस्य।
15. प्रो. आर.के.सिन्हा — सदस्य।
16. डा. राजेश सिंह — सदस्य।
17. श्री बी.पी. सिंह — सदस्य।
18. डा. शिव शंकर कटियार — सदस्य।
19. श्री बी.के.सिंह — सदस्य।
20. डा. बी.एस. भारद्वाज — सदस्य।
21. डा. जे.एस. राठौर — सदस्य।
22. डा. आर.सी. जैन — सदस्य।
23. डा. एस.पी.गुप्ता — सदस्य।
24. श्रीमती सईदा बेगम — सदस्य।
25. डा. एच.सी. गुरनानी — सदस्य।
26. डा. पी.के. गुप्ता — सदस्य।
27. श्री ए.सी. त्रिपाठी — सदस्य।
28. डा. एस.एन. सिंह — सदस्य।
29. डा.(श्रीमती) सुषमा शर्मा — सदस्य।
30. डा.(श्रीमती) एस.डी. अग्रवाल — सदस्य।
31. डा. अजय कुमार शर्मा — सदस्य।

32. डा. ए.के.सक्सेना सदस्य।
33. डा. रामजी सदस्य।
34. डा. सी.जे.के.विरमानी सदस्य।
35. डा. सरोज सिंह सदस्य।
36. प्रो. ए.के.सिन्हा सदस्य।
37. प्रो. ए.के.सरकार सदस्य।
38. प्रो. ए.के.शर्मा सदस्य।
39. प्रो. ए.के.गुप्ता सदस्य।
40. डा.(श्रीमती) रानी त्रिपाठी सदस्य।
41. डा. ए.के.जेटली सदस्य।
42. डा. पी.बी. सिंह सदस्य।
43. डा. अभय सिंह सदस्य।
44. श्री नरेन्द्र सिंह सदस्य।
45. डा. एन.एल. शर्मा सदस्य।
46. डा. ए.के.श्रीवास्तव सदस्य।
47. डा. हरवंश सदस्य।
48. डा. एम.सी. रस्तोगी सदस्य।
49. श्री सतीश चन्द्र शर्मा, कुलसचिव सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यगण का स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ हुआ।

01. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 12.03.2001 एवं 08.04.2001 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

02. विषय पाठ्य समिति द्वारा अनुमोदित बी.एस-सी. (कम्प्यूटर सांइस) एवं बी.लिब एण्ड इन्फार्मेशन साइन्स, पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

नोट: उपर्युक्त पाठ्यक्रम विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रभावी किये जा चुके हैं।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया ।

03. गंगा शील चैरिटेबल ट्रस्ट, बरेली के पत्र दिनांक 14 मई, 2002 जिसके द्वारा उन्होने निम्नलिखित पैरामेडिकल कोर्सेस प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, पर विचार :-

1. Bachelor of Physiotherapy (BPT)
2. Bachelor of Occupational therapy (BOT)
3. Bachelor of Medical Lab Technology (BMLT)
4. Bachelor of Radiology and Imaging Technology (BRIT)
5. Bachelor of Optometry

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं निश्चय किया गया कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु परिनियमावली में चिकित्सा विज्ञान संकायान्तर्गत प्राविधान किया जाये।

04. विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का प्राविधान किये जाने पर विचारः-

बी.काम. आनर्स

बी.एस-सी. बायोटेक्नालोजी

डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलाजी

डिप्लोमा इन फीजियोथिरेपी

डिप्लोमा इन बायो इनफार्मेटिक्स

विद्या परिषद द्वारा निश्चय किया गया कि इन पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में परिनियमावली में प्राविधान किया जाये। साथ ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश तैयार किये जाने हेतु विषय विशेज्ञों की समिति गठित करने हेतु विद्या-परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

05. परीक्षा समिति के गठन सम्बन्धी अध्यादेश में की गई व्यवस्थानुसार परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में विद्या परिषद के एक सदस्य को नामित किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विद्या परिषद के माननीय सदस्य डा. राम जी, वनस्पति विज्ञान विभाग, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद को परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

06. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 5.03 के अन्तर्गत उल्लिखित व्यवस्थानुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच व्यक्तियों के सहयोजन पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित निम्नलिखित पांच व्यक्तियों का सहयोजन किया गया:-

01. प्रो. नान चिरैया, कुलपति, डा. भीम राव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ।
02. प्रो. एन.सी. गौतम, कुलपति, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
03. प्रो. डी.एन. जौहर, विधि विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ।
04. प्रो. वी.सी. श्रीवास्तव, शिमला।
05. प्रो. आर. पी.भटनागर, मो. कानूनगोयान, मुरादाबाद।

07. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 08.04.2001 के पश्चात सम्पन्न हुई विभिन्न शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को विद्या परिषद द्वारा नोट किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा नोट किया गया।

08. पी.एच-डी. के अध्यापन/पंजीकरण हेतु परास्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद की बैठक दिनांक 12.03.2001 एवं 08.04.2001 के संकल्प संख्या 4.02 के निश्चयानुसार कुलपति महोदय द्वारा गठित उप समिति की संस्तुतियों पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त समिति की संस्तुतियां यथावत् स्वीकार की गईं। साथ ही निश्चय किया गया कि ऐसे वरिष्ठ अभ्यर्थी, जो पूर्व से ही सेवारत हैं एवं उन्होने शोध के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त की है, को स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण करने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

शोध में प्रवीणता का परीक्षण किये जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, जो प्रकरण की समीक्षा कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी। यदि विशेषज्ञ समिति की संस्तुति सकारात्मक होगी, तो पूर्ण प्रकरण शोध उपाधि समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

09. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2002 के संकल्प संख्या 7.01 के अन्तर्गत अनुमोदित बी.डी.एस. (Bachelor of Dental Surgery)के अध्यादेशों से विद्या परिषद को अवगत कराना।

विद्या परिषद अवगत हुई।

10. कृषि संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 05.08.02 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

11. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.07.02 के संकल्प संख्या 18 के अन्तर्गत किये गये निम्नलिखित निर्णय पर विचारः-

"निर्णय किया गया कि पी.एच-डी. के जिन शोध छात्रों की मूल्यांकन आख्या दोनो परीक्षकों से प्राप्त हो चुकी है, किन्तु पर्यवेक्षक द्वारा मौखिकी परीक्षा की कोई तिथि अज्ञात कारणवश प्रस्तावित नहीं की गई है, ऐसी परिस्थिति में, जिससे छात्र का अनावश्यक शोषण न हो, अन्य पर्यवेक्षक नामित करने हेतु सर्वसम्मति से कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। इसकी पुष्टि हेतु विद्यापरिषद की आगामी बैठक हेतु संदर्भित किया जाये।"

विद्या परिषद द्वारा परीक्षा समिति के निर्णय की पुष्टि की गयी।

12. विश्वविद्यालय परिसर के प्लान्ट सांइस विभागान्तर्गत पी.जी.डिप्लोमा कोर्स इन बायोटैक्नोलाजी प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 02.05.02 की संस्तुतियों पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।

13. संगीत विषय पाठ्य समिति द्वारा संस्तुत एम.ए. म्यूजिकल इन्स्ट्रमेन्ट (तबला) पाठ्यक्रम, जिसे विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सत्र 2001-02 से प्रभावी किया गया है, का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

14. समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 03.12.01 के संकल्प संख्या 01,03 एवं 04 के अन्तर्गत किये गये निम्नलिखित निर्णयों पर विचार:-

प्रस्ताव सं. - 1 इकोलाजी एवं इन्वायरमेंट में प्रथम श्रेणी में दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा को वनस्पति विज्ञान विषय के समकक्ष मानते हुए वनस्पति विज्ञान विषय में पी.एच-डी. उपाधि हेतु पंजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सादाब मसूद से प्राप्त पत्र दिनांक 10.09.01 पर विचार।

"चूंकि पी.जी.डिप्लोमा को मास्टर डिग्री के समतुल्य नहीं माना गया है, अतः प्रकरण नीतिगत निर्णय हेतु एकेडेमिक काउंसिल में रखा जाये"

विद्या परिषद द्वारा विचार विमर्शोपरान्त इस प्रकार के प्रकरणों पर परीक्षण एवं संस्तुत करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-

01. संबन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष।

02. कुलपति महोदय द्वारा नामित दो वाहय विषय विशेषज्ञ।

उक्त समिति सम्बन्धित पी.जी.डिप्लोमा के पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करके, उसके पी.जी.डिग्री के पाठ्यक्रम की समकक्षता के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी, जिसे समकक्षता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। तदोपरान्त

समकक्षता समिति की आख्या सम्बन्धित शोध उपाधि समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी एवं अन्त में शोध उपाधि की आख्या के साथ सम्पूर्ण प्रकरण विद्या परिषद में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्ताव सं. - 3 जामिया उर्दू अलीगढ द्वारा संचालित अदीब माहिर को इन्टरमीडियट के समकक्ष, अदीब कामिल को बी.ए. (उर्दू) के समकक्ष तथा अदीब "फाजिल" उपाधि को एम.ए. (स्नातकोत्तर) की समकक्षता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न पत्रों पर विचार।

"जामिया उर्दू, अलीगढ द्वारा संचालित अदीब माहिर को इन्टर के समकक्ष, अदीब कामिल को बी.ए. (उर्दू) के समकक्ष तथा अदीब "फाजिल" को एम.ए. (स्नातकोत्तर) उर्दू की समकक्षता प्रदान करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि रजिस्ट्रार, अरबी,फारसी, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कामिल एवं फाजिल डिग्री को क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि (उर्दू) के समकक्ष मान्यता पदान की जाये।

विद्या परिषद द्वारा समकक्षता समिति की उपर्युक्त संस्तुति स्वीकार की गई।

प्रस्ताव सं. 04 प्रो. वी.पी.सिंह, प्रमुख समन्वयक, प्रवेश सेल द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 20.09.01 जिसके द्वारा श्री मनीष सक्सेना एवं नितिन जौहरी को इग्नू, नई दिल्ली से उत्तीर्ण की गयी परीक्षा पी.एम.टी./पी.सी.ओ. एवं बी.डी.पी. करने के उपरान्त दोनो छात्रों को इस शर्त के साथ बी.सी.ए. में अस्थाई रूप से अनुमत किया गया है कि यदि विश्वविद्यालय की समकक्षता समिति दोनो पाठ्यक्रमों को इण्टरमीडियट के समकक्ष नहीं समझेगी तो प्रवेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

"प्रवेश, मनीष सक्सेना, नितिन जौहरी, अस्थाई प्रवेश बी.सी.ए. में अनुमत किया गया। इग्नू वाली परीक्षा को इण्टर के समकक्ष मान्यता दी गयी।"

विद्या परिषद द्वारा समकक्षता समिति की उपर्युक्त संस्तुति स्वीकार की गई।

15. गृह विज्ञान विषय पाठ्य समिति द्वारा संस्तुत एम.ए. गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम जो विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सत्र 2001-02 से प्रभावी कर दिया गया है, का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

16. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 25.07.02 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

17. रोजगारपरक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतंर्गत विद्या परिषद की बैठक दिनांक 12.03.01 एवं 08.04.01 के संकल्प संख्या 5.11 (अ) के कमांक -5 पर संस्तुत पी.जी.डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमेंट एवं कमांक -7 पर संस्तुत पी.जी.डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलाजी फार टैक्नीशियन का नाम विशेषज्ञ समिति की संस्तुति पर पी.जी.डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट तथा पी.जी.डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलाजी एण्ड डाइग्नोस्टिक टेक्निक्स किये जाने पर विचार किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्तानुसार नाम परिवर्तन किया जाना स्वीकार किया गया।

18. डिप्लोमा पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत "पी.जी.डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टेक्निक्स" के अनुमोदन हेतु विचार किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

19. प्राचार्या, जी.डी.एच.जी. कालेज, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तावित "डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स" पाठ्यक्रम को अनुमोदित किये जाने पर विचार किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

20. वाणिज्य विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 01.08.2002 द्वारा संस्तुत बी.काम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम जो यू.जी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये माडल पर आधारित है, को वर्तमान सत्र 2002-03 से प्रभावी किये जाने का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

21. विधि विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 08.11.2001 की निम्नलिखित संस्तुतियों पर विचारः-

(अ) बार काउन्सिल आफ इण्डिया के पत्रांक LE(cir) No. 2/2001 दिनांक 11.06.01 के अनुसार पेपर इनवायरमेंटल लॉ के स्थान पर "इनवायरमेंटल ला, इनक्लूडिंग दि लॉज फार दि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एण्ड अदर लिविंग क्रियटर्स इनक्लूडिंग एनीमल वेलफेयर" होगा।

(ब) विधि प्रथम वर्ष के पेपर संख्या VII को विधि तृतीय वर्ष में ले जाने के लिए तथा तृतीय वर्ष में पेपर को X विधि प्रथम वर्ष में ले जाने का निर्णय लिया गया।

(स) विधि द्वितीय वर्ष के पेपर संख्या IV विधि तृतीय वर्ष में ले जाना तथा विधि तृतीय वर्ष के पेपर संख्या X को विधि द्वितीय वर्ष में सम्मिलित कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।

22. आर.एस.एम. (पी.जी.) कालेज, धामपुर को कृषि संकायान्तर्गत कृषि अर्थशास्त्र तथा सस्य विज्ञान विषयों में पी.एच-डी. उपाधि हेतु शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

23. बी.एस-सी. (कम्प्यूटर सांइस), बी.सी.ए. एवं एम.सी.ए. का पाठ्यक्रम अनुमोदित किये जाने सम्बन्धी अनुप्रायुक्त विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 14.08.02 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

24. बी.एड./एम.एड पाठ्यक्रम में इनफार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नालोजी लिट्रेसी प्रश्नपत्र सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी शिक्षा विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 21.11.2001 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

25. विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित नये डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित संकायान्तर्गत परिनियम एवं अध्यादेशों के अनुमोदन पर विचारः-

I चिकित्सा विज्ञान संकाय
एम.बी.बी.एस
एम.एस.
एम.डी.

II दन्त विज्ञान संकाय
बी.डी.एस.
एम.डी.एस.

III कला संकाय
बी.ए. आनर्स

IV वाणिज्य संकाय
बी.काम. आनर्स

V विज्ञान संकाय
बी.एस-सी. आनर्स
बी.एस-सी. नर्सिंग
बी.एस-सी. फारेस्ट्री
एम.एस-सी. फारेस्ट्री
एन्थ्रोपोलोजी (बी०एस०सी० / एम०एस०सी०)

VI अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय

एम.टेक

एम.फार्मा

VII प्रबन्ध शास्त्र संकाय

बैचलर आफ मैनेजमेंट एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नालाजी

VIII अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय

सीड टेक्नोलाजी

एम.एस-सी. बायोकेमिस्ट्री

एम.एस-सी. माइक्राबायोलाजी

एम.एस-सी. बायोटेक्नोलाजी

IX उन्नत सामाजिक विज्ञान संकाय

रूरल टेक्नोलाजी

इनवायरनमेंटल इकोनामिक्स

इन्टरनेशनल इकोनामिक्स

लेवर एण्ड ह्यूमन वेलफेयर

फायनेंस इकोनामिक्स

X विधि अध्ययन संकाय

पांच वर्षीय एल.एल.बी. समेकित (इन्टीग्रेटेड) पाठ्यक्रम

पैरामेडिकल कोर्स

बैचलर आफ मेडिकल लैब टेक्नालोजी

बैचलर आफ फिजियोथिरेपी

डिप्लोमा कोर्स

पी.जी. डिप्लोमा इन मार्केट रिसर्च

पी.जी. डिप्लोमा इन इकोनामिक एनालिसिस

पी.जी. डिप्लोमा इन वाटर रिसोर्सेज एण्ड एनर्जी

पी.जी. डिप्लोमा इन रिसर्च मैथोडोलाजी

डिप्लोमा इन बायो इनफार्मेटिक्स

मानव अधिकार डिप्लोमा

श्रम विधि डिप्लोमा

डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड हेरिटेज स्टडीज

डिप्लोमा इन इंगलिश टीचिंग

डिप्लोमा इन क्रीएटिव राइटिंग इन इंगलिश

डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज

डिप्लोमा इन जर्मन ,,

डिप्लोमा इन अरेबिक लैंग्वेज

डिप्लोमा इन चायनीज लैंग्वेज

डिप्लोमा इन रसियन लैंग्वेज

Faculty of Advanced Social Sciences.

In the Department of Ancient History and Culture

1. MA in Tourism and Heritage Studies
2. Diploma in Heritage Studies.
3. Diploma in Tourism Studies.

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की गई। साथ ही निश्चय किया गया कि इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक औपचारिक्ताओं को अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त का प्राविधान परिनियमावली में यथास्थान किये जाने एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा अध्यादेश तैयार किये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति गठित करने हेतु, विद्या परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

विद्या परिषद अवगत हुई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को सिद्धान्त रुप से आवश्यक संशोधन के साथ प्रभावी कर दिया गया है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक विसर्जित की गई।

कुलपति/अध्यक्ष **कुलसचिव/सचिव**

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 01.07.03 के कार्यवृत्त

संख्या: 01/2003

समय: 11.00 बजे पूर्वान्ह

स्थान: शिक्षा एवं सम्बद्ध विज्ञान संकाय सभागार

उपस्थिति:

01.	प्रो. जाहिद हुसैन जैदी, कुलपति	अध्यक्ष।
02.	डा. एस.के.राजपूत	सदस्य।
03.	प्रो. रुदल प्रसाद यादव	सदस्य।
04.	डा. बी.एन. चौरसिया	सदस्य।
05.	प्रो. शौकत अली	सदस्य।
06.	डा. वाई.के.गुप्ता	सदस्य।
07.	प्रो. गिरिजेश कुमार	सदस्य।
08.	प्रो. अश्वनी कुमार गुप्ता	सदस्य।
09.	प्रो. नरेन्द्र बहादुर सिंह	सदस्य।
10.	प्रो. विजय पाल सिंह	सदस्य।
11.	प्रो. उदय प्रकाश अरोरा	सदस्य।
12.	डा. मोहम्मद इदरीस सिद्दीकि	सदस्य।
13.	प्रो. प्रदीप कुमार यादव	सदस्य।
14.	डा. राजेश सिंह चौहान	सदस्य।
15.	श्री बी.के. सिंह	सदस्य।
16.	डा. भगवान शरण भारद्वाज	सदस्य।
17.	डा. हामिद अली खाँ	सदस्य।
18.	डा. आर. सी. जैन	सदस्य।
19.	डा. एच.सी. गुरनानी	सदस्य।
20.	डा. पी.के.गुप्ता	सदस्य।
21.	डा. बी.एन. कौल	सदस्य।
22.	डा. सुरेन्द्र नाथ सिंह	सदस्य।
23.	डा.(श्रीमती) सुषमा शर्मा	सदस्य।
24.	डा.(श्रीमती) एस.डी. अग्रवाल	सदस्य।
25.	डा.(श्रीमती) मंजू सिंह	सदस्य।
26.	श्री मुकेश चन्द्र	सदस्य।
27.	डा. ए.के.शर्मा	सदस्य।
28.	श्रीमती सी.एम.जैन	सदस्य।
29.	डा. ए.के.सक्सेना	सदस्य।
30.	डा. प्रकाश चन्द्र काम्बोज	सदस्य।
31.	डा. संत लाल पाण्डेय	सदस्य।

32. डा.(श्रीमती) शुभ्रा कटारा सदस्य।
33. प्रो. अतुल कुमार सिन्हा सदस्य।
34. प्रो. अरूण कुमार शर्मा सदस्य।
35. डा.(श्रीमती) रानी त्रिपाठी सदस्य।
36. डा. आर.पी. सिंह सदस्य।
37. डा. ए.के.जेटली सदस्य।
38. डा. पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह सदस्य।
39. श्री वी.पी. सिंह सदस्य।
40. डा. ए.के.श्रीवास्तव सदस्य।
41. डा. राजकुमार सदस्य।
42. श्री वी.के.शर्मा सदस्य।
43. डा. हरबंश सदस्य।
44. डा. कैलाश नाथ पाण्डेय, कुलसचिव सचिव।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यगणों का स्वागत किया और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में माननीय सदस्यगण द्वारा प्रदान किये गये सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही अपेक्षा की कि भविष्य में भी इसी प्रकार का उन्हे सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसके उपरान्त कुलसचिव ने आज की बैठक में प्रथम बार सम्मिलित हुए सभी नये सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उनके सहयोग की कामना की तथा पूर्व सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ किया।

01. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17.08.2002 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

02. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17.08.2002 के कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से परिषद को अवगत कराना।

विद्या परिषद अवगत हुई।

03. शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 06.02.2003 की संस्तुतियों पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियां यथावत अनुमोदित की गई।

04. विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में उनके प्रस्ताव पर विचार:-

(अ) बी.एस-सी. इन फैशन डिजाइनिंग एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नालोजी

(ब) बैचलर आफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.)

(1) विद्या परिषद द्वारा बी.एस-सी. इन फैशन डिजाइनिंग एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी पाठ्यक्रम खोले जाने सम्बन्धी महाविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकार नही किया गया। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निश्चय किया गया कि सम्बन्धित महाविद्यालय फैशन डिजाइनिंग को इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी के साथ न जोड़े एवं इसे बी.एस-सी. स्तर पर प्रारम्भ किये जाने के औचित्य का उल्लेख करते हुए इसके अन्तर्गत अध्ययन कराये जाने बाली पूर्ण विषय-वस्तु के साथ पूर्ण प्रस्ताव अध्यादेश के रूप में तैयार कर प्रस्तुत करे। तब ही इस सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव होगा।

(2) विद्या परिषद द्वारा बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी महाविद्यालय के प्रस्ताव को सिद्वान्ततः स्वीकार किया गया। साथ ही निश्चय किया गया कि चूंकि उक्त विषय का प्राविधान पूर्व से ही परिनियमावली के अन्तर्गत है। अतः इसे प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

05. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने पर विचार:-

01. डिप्लोमा इन लाइब्रेरी सांइस
02. डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी
03. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांइस
04. डिप्लोमा इन पत्रकारिता

नोट: विदित हो उ.प्र. शासन के निर्देशानुसार जिन महाविद्यालयों में उपर्युक्त पाठ्यक्रम नही चल रहे है, में यह पाठ्यक्रम संचालित किये जाने पर विचार किया जाना है।

विद्या परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सिद्वान्ततः स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही उक्त पाठ्यक्रम का अध्यादेश तैयार किये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों की समिति गठित करने के लिए विद्या परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

06. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की बैठक दिनांक 17.08.2002 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2002 द्वारा अनुमोदित बी.डी.एस. (Bachelor of Dental Surgery) के अध्यादेश में डेन्टल काउन्सिल आफ इन्डिया के प्राविधान के अनुसार कृपांक दिये जाने के सम्बन्ध मे परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.05.03 के निम्नलिखित निर्णय से विद्या परिषद को अवगत कराते हुए, तद्नुसार संशोधित बी.डी. एस. के अध्यादेशों के अनुमोदन पर विचार:-

''बी.डी.एस. चतुर्थ वर्ष के कुछ छात्रों द्वारा डी.सी.आई के प्राविधान के अनुसार कृपांक दिये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रो. वी.पी.सिंह, समन्वयक, दंत महाविद्यालय की संस्तुति के अनुसार 05 अंको के प्रस्तावित ग्रेस पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि डेंटल काउंसिल आफ इन्डिया के प्राविधानों के अन्तर्गत कुल 05 अंकों का ग्रेस लिखित या प्रायोगिक या लिखित एवं प्रायोगिक मे दिया जाये। यह सुविधा 21.08.99 से दिया जाये, जैसा कि डेंटल काउसिंल आफ इन्डिया के पत्र में व्यवस्था है।''

विद्या परिषद अवगत हुई एवं तद्नुसार संशोधित बी.डी.एस. के अध्यादेशों का अनुमोदन किया गया और संशोधन को अध्यादेश क्रमांक में समाहित किया गया।

07. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17.08.02 के पश्चात सम्पन्न हुई विभिन्न शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को विद्या परिषद द्वारा नोट किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा नोट किया गया।

08. वाणिज्य विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 28.09.2002 एवं 26.10.2002 द्वारा संस्तुत बी.काम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम जो यू.जी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये मानक पाठ्यक्रम पर आधारित है, का अनुमोदन किया जाना एवं इसे क्रमशः सत्र 2003-2004 एवं 2004-2005 से प्रभावी किये जाने पर विचार।

टिप्पणीः वाणिज्य स्नातक भाग एक का उक्त पाठ्यक्रम सत्र 2002-2003 से प्रभावी करने का अनुमोदन विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 17.08.2002 द्वारा किया जा चुका है।

विद्या परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया एवं इसे क्रमशः सत्र 2003-04 एवं 2004-05 से प्रभावी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

09. बी.एस-सी. गृह विज्ञान विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 10.02.2003 एवं 26. 05.2003 द्वारा संस्तुत किये गये प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम जो यू.जी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये मानक पाठ्यक्रम पर आधारित है, का अनुमोदन किया जाना एवं इसे क्रमशः सत्र 2002-2003 एवं 2003-2004 से प्रभावी किये जाने की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाना।

टिप्पणीः बी.एस-सी. गृह विज्ञान भाग एक का पाठ्यक्रम सत्र 2002-2003 से विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रभावी किया जा चुका है।

विद्या परिषद द्वारा उक्त पाठ्क्रम का अनुमोदन किया गया साथ ही कार्यालय द्वारा इसे प्रभावी किये जाने की कार्यवाही का भी अनुमोदन किया गया।

10. बी.एस-सी. इण्डस्ट्रियल माइक्रोबाइलोजी विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 31.10.2002 एवं 10.05.2003 द्वारा संस्तुत स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम, जो यू.जी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये मानक पाठ्यक्रम पर आधारित है, का अनुमोदन करते हुए इसे क्रमशः सत्र 2002-2003, 2003-2004 एवं 2004-2005 से प्रभावी किये जाने की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाना।
टिप्पणी: बी.एस-सी. भाग एक इण्डस्ट्रियल माइक्रोबाइलोजी का पाठ्यक्रम विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा मे सत्र 2002-2003 से प्रभावी किया जा चुका है।

विद्या परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया। साथ ही इस पाठ्यक्रम को क्रमशः सत्र 2003-04 एवं 2004-05 से प्रभावी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

11. विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित रोजगारपरक/व्यावसायिक डिप्लोमा/पी.जी.डिप्लोमा हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित विषय पाठ्य समितियों की बैठक में निम्नलिखित विवरण के अनुसार संस्तुत किये गये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किये जाने पर विचार:-

1.	पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग	17.09.2002
2.	पी.जी. डिप्लोमा इन प्रोफेशनल बायोटैक्नालाजी	17.09.2002
3.	पी.जी. डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलाजी एण्ड डाइग्नोस्टिक टैक्नीक्स	17.09.2002
4.	पी.जी. डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट	17.09.2002
5.	पी.जी. डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टैक्नीक्स	30.09.2002
6.	पी.जी. डिप्लोमा इन बिजनेस ला	26.09.2002
7.	पी.जी. डिप्लोमा इन मार्डन अरेबिक एंड परमिशन	30.09.2002
8.	पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवेल मैनेजमेंट	26.09.2002
9.	पी.जी. डिप्लोमा इन ई. कामर्स	26.09.2002
10.	पी.जी. डिप्लोमा इन रूरल रिसोर्स मैनेजमेंट	28.04.2003
11.	डिप्लोमा इन टिशू कल्चर एण्ड फ्लोरी कल्चर	17.09.2002
12.	डिप्लोमा इन ई. कामर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट	28.04.2003
13.	डिप्लोमा इन टैक्सटाइल प्रिंटिंग	30.09.2002
14.	डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइनिंग	30.09.2002
15.	डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग	30.09.2002

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया।

12. उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव पाठ्यक्रम प्रभावी किये जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 22.02.2003 के माध्यम से तैयार किया गया राष्ट्र गौरव पाठयक्रम अनुमोदित किये जाने एवं इसे सत्र 2003-2004 से प्रभावी किये जाने पर विचार।

    टिप्पणी:- उक्त राष्ट्र गौरव पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर किसी भी वर्ष में (भाग-एक, दो अथवा तीन) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

    विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्तानुसार तैयार राष्ट्र गौरव पाठ्यक्रम अनुमोदित करते हुए, इसे सत्र 2003-04 से प्रभावी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

13. पादप विज्ञान विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 28.10.2002 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

    विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियां अनुमोदित की गई।

14. बी.लिब. के बैक पेपर/परीक्षा सुधार के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध शास्त्र की आख्या के आधार पर छात्रों को मुख्य परीक्षा के साथ बैक पेपर/परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है, से विद्या परिषद को अवगत कराना एवं तद्नुसार अध्यादेश में प्राविधान किये जाने पर विचार।

    विद्या परिषद अवगत हुई एवं तद्नुसार अध्यादेश में प्राविधान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

15. परीक्षा समिति के गठन सम्बन्धी अध्यादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में विद्या परिषद के एक सदस्य को नामित किये जाने पर विचार।

    बैठक में परीक्षा समिति की सदस्यता हेतु दो नाम क्रमशः डा.बी.एन. चौरसिया, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद एवं श्री वी.के. शर्मा, के.जी.के. कालेज, मुरादाबाद प्रस्तावित किये गये। अतः विचार-विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि इन दोनो नाम की पर्ची डालकर किसी एक माननीय सदस्य से एक पर्ची निकलवायी जाये । इस प्रकार कुलपति/अध्यक्ष महोदय के समक्ष उक्त दोनो नाम की बन्द पर्चियां प्रस्तुत कर माननीय सदस्य डा. श्रीमती रानी त्रिपाठी से एक पर्ची उठवायी गई एवं तद्नुसार माननीय सदस्य श्री वी.के.शर्मा, भौतिक विभाग, के.जी.के. कालेज, मुरादाबाद को सर्वसम्मति से परीक्षा समिति का सदस्य नामित घोषित किया गया।

16. संयोजक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की संस्तुति के आधार पर कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 15.06.2003 एवं 26.06.2003 के अनुपालन में विभिन्न डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के परीक्षाफल घोषित किये जाने हेतु किये गये निम्नलिखित प्राविधान से विद्या परिषद को अवगत कराना एवं तद्नुसार अनुमोदन प्रदान किया जाना:-

1. पी.जी. डिप्लोमा हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत रहेगा, लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक-पृथक 40 प्रतिशत उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

तथा

श्रेणी एवं ग्रेड का अंकन नही किया जायेगा।

2. डिप्लोमा हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत रहेगा। लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक-पृथक 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

तथा

श्रेणी एवं ग्रेड का अंकन नही किया जायेगा।

विद्या परिषद अवगत हुई एवं तद्नुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

17. विभिन्न सम्बद्व महाविद्यालयों में चल रहे रोजगारपरक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की अर्हता, न्यूनतम शिक्षक संख्या एवं प्रवेश सम्बन्धी मानक निर्धारण हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 16.11.02 में की गई संस्तुतियाँ विद्या परिषद द्वारा निम्नवत् अनुमोदित की गई:-

1. रोजगारपरक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 02 निर्धारित की गयी। शिक्षक संबधित पाठ्यक्रम में पी.जी. डिप्लोमा अथवा उपाधि धारक अथवा यू.जी.सी. के मानक के अनुरूप होना अनिवार्य होगा एवं नियुक्त शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. रोजगारपरक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत निर्धारित की गई:

(अ) पी.जी. डिप्लोमा हेतु बी.ए./बी.एस-सी./बी.काम. में स्नातक परीक्षा 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण

(ब) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान/वाणिज्य परीक्षा 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जाने एवं आरक्षित वर्ग के अनु.जाति/अनु. जनजाति छात्रों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट पात्रता अंको में दिये जाने का निश्चय किया गया।

18. गुलाब सिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांदपुर स्याऊ को भूगोल एवं हिन्दी विषय में शोध कार्य हेतु शोध केन्द्र बनाये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा शोध केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना आवश्यक नही समझा गया। विद्या परिषद के माननीय सदस्य डा. एस.एन.

सिंह ने अवगत कराया कि स्नातक स्तर के महाविद्यालय के कुछ शिक्षक परास्नातक स्तर के अन्य महाविद्यालय को शोध केन्द्र बनाकर शोध कार्य कर रहे है।

इस सम्बन्ध मे बैठक मे हुए विचार विमर्श के दौरान कुछ माननीय सदस्यगण ने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में शोध कार्य के गिरते हुए स्तर पर चिन्ता व्यक्त की। अत: इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्शोपरान्त विद्या परिषद ने प्रो. उदय प्रकाश अरोरा की अध्यक्षता मे निम्नलिखित समिति का गठन किया :-

(1) प्रो. उदय प्रकाश अरोरा	अध्यक्ष
(2) डा. एस.के.राजपूत	सदस्य
(3) डा. (श्रीमती) रानी त्रिपाठी	सदस्य
(4) प्रो. विजय पाल सिंह	सदस्य
(5) डा. बी.एन. चौरसिया	सदस्य

उक्त समिति शोध कार्य की गुणवत्ता बनाये रखते हुए शोध कार्य को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से शोध पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने आदि विभिन्न पहलुओं पर वर्तमान नियमों का अध्ययन कर उसमें संशोधन हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। साथ ही शोध पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु मानक तैयार करेगी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

19. अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 30.06.2003 के कार्यवृत्त पर विद्या परिषद द्वारा विचार किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष एवं कुलपति महोदय ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत विवरण विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया:-

(1) बी.टैक अध्यादेश (B.Tech Ordinance)
(2) एम.एस-सी. (एअर क्राफ्ट) अनुरक्षण अध्यादेश (Ordinances of M.Sc. in Air Craft Maintenance)
(3) शैक्षिक पचांग (Academic Calender)
(4) एम.एस-सी. (एअर क्राफ्ट) अनुरक्षण का पाठ्यक्रम (Syllabus of M.Sc. in Air Craft Maintenance)

विद्या परिषद द्वारा संकाय बोर्ड के कार्यवृत्त का यथावत् अनुमोदन किया गया।

20. संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय के प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्शोपरान्त निम्नलिखित डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को वर्तमान में उपयोगी मानते हुए, इन्हे प्रारम्भ किये जाने की सिद्वान्ततः स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही निश्चय किया गया कि इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

(1) Diploma in Air Conditioning and Refrigeration
(2) Diploma in Photography
(3) Diploma in Yoga
(4) Master course in T.V. & Video Programme Production
(5) Master of Mass Communication & Electronic Journalism

21. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में छात्र संख्या के बढ़ते हुए दबाव पर चिन्ता व्यक्त करते हुए एवं शासन द्वारा सांध्यकालीन कक्षाओं को समाप्त करने सम्बन्धी आदेश को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर से दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) प्रारम्भ किये जाने पर बैठक में विस्तृत/गहन विचार विमर्श हुआ।

विद्या परिषद ने वर्तमान परिस्थितियों में इसे आवश्यक और उपयोगी माना। अतः इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कुलपति महोदय ने विद्या परिषद को अवगत कराया कि दूरस्थ शिक्षा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में मुम्बई की एक प्राईवेट एजेन्सी मै. सन्दीप एकेडमी से विश्वविद्यालय की वार्ता हुई है। वार्ता का पूर्ण विवरण, नियम, शर्ते एवं इसके अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के विषय में भी प्रो. गिरिजेश कुमार एवं कुलपति महोदय ने परिषद को अवगत कराया।

विद्या परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा किये गये इस प्रयास की सराहना करते हुए दूरस्थ शिक्षा प्रारम्भ किये जाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही निश्चय किया कि इसके लिए सम्प्रति मात्र तीन वर्षो हेतु ही मै. सन्दीप एकेडमी के साथ Memorandum of Unerstanding (M.O.U.) पर हस्ताक्षर किये जायें।

अन्त में प्रो. आर.के.सिन्हा के आकस्मिक निधन पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से एक शोक प्रस्ताव पारित करते हुए दो मिनट का मौन धारण कर उन्हे शोक श्रृंद्धाजलि अर्पित की गई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव/सचिव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.08.2003 के कार्यवृत्त

संख्या : 02/2003

समय : 11.30 बजे पूर्वान्ह

स्थान : शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय का सभागार

उपस्थिति:

01. प्रो. जाहिद हुसैन जैदी, कुलपति	अध्यक्ष
02. डा. प्रकाशवीर	सदस्य
03. प्रो. रुदल प्रसाद यादव	सदस्य
04. डा. बी.एन. चौरसिया	सदस्य
05. प्रो. शौकत अली	सदस्य
06. डा. वाई.के.गुप्ता	सदस्य
07. प्रो. कुंवर बहादुर सिंह	सदस्य
08. डा. बीना रानी गुप्ता	सदस्य
09. प्रो. गिरजेश कुमार	सदस्य
10. प्रो. ए.के.सरकार	सदस्य
11. प्रो. नरेन्द्र बहादुर सिंह	सदस्य
12. प्रो. विजय पाल सिंह	सदस्य
13. प्रो. उदय प्रकाश अरोरा	सदस्य
14. डा. एम.आई. सिद्दीकि	सदस्य
15. प्रो. पी.के.यादव	सदस्य
16. डा. रमेश सिंह	सदस्य
17. डा. एस.के.राजपूत	सदस्य
18. डा. शिव शंकर कटियार	सदस्य
19. श्री वी.पी. सिंह	सदस्य
20. श्री वी.के.सिंह	सदस्य
21. डा. भगवान शरण भारद्वाज	सदस्य
22. श्री हमीद अली खान	सदस्य
23. डा. पी. दास	सदस्य
24. डा. आर.सी. जैन	सदस्य
25. डा. एच.सी. गुरनानी	सदस्य
26. डा. पी.के.गुप्ता	सदस्य
27. डा. बी. एन. कौल	सदस्य
28. डा. (श्रीमती) सुषमा शर्मा	सदस्य
29. डा. (श्रीमती) एस.डी. अग्रवाल	सदस्य
30. डा. (श्रीमती) मंजू सिंह	सदस्य
31. डा. अजय कुमार शर्मा	सदस्य

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

32. डा. ए.के.सक्सेना	सदस्य
33. डा. अलाउद्दीन खान	सदस्य
34. श्री वी.के.शर्मा	सदस्य
35. प्रो. अतुल कुमार सिन्हा	सदस्य
36. प्रो. अरूण कुमार शर्मा	सदस्य
37. प्रो. पारस नाथ राम	सदस्य
38. डा. (श्रीमती) रानी त्रिपाठी	सदस्य
39. डा. राम प्रसाद सिंह	सदस्य
40. डा. ए.के.जेटली	सदस्य
41. डा. पी.बी. सिंह	सदस्य
42. डा. आभा सिंह	सदस्य
43. श्री नरेन्द्र सिंह	सदस्य
44. डा. हरबंश	सदस्य
45. डा. सरोज सिंह	सदस्य
46. डा. कैलाश नाथ पाण्डेय, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यगण का स्वागत किया। इसके उपरान्त कुलसचिव ने आज की बैठक में प्रथम बार सम्मिलित हुए माननीय सदस्यों का सदन से परिचय कराया। साथ ही समस्त सदस्यगण का अभिनन्दन करते हुए उनसे सहयोग की कामना की। तत्पश्चात बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ हुआ।

01. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 01.07.2003 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।
विद्या परिषद द्वारा निम्नलिखित संशोधन के साथ उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई:-
(अ) उक्त कार्यवृत्त के संकल्प 11(2) पर अंकित पाठ्यक्रम को पी.जी.डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलोजी पढ़ा जाये।
(ब) क्रमांक 7 पर अंकित पी.जी. डिप्लोमा इन मार्डन अरेबिक एण्ड परसियन को निम्न रूप में पृथक-पृथक पढ़ा जाये

(i) पी.जी. डिप्लोमा इन मार्डन अरेबिक
(ii) पी.जी. डिप्लोमा इन मार्डन परसियन

02. दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 13.08.2003 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।
समन्वयक, दूरस्थ शिक्षा, प्रो. गिरजेश कुमार द्वारा उक्त संस्तुतियां पढ़कर सुनायी गई। विद्या परिषद द्वारा विचार विमर्शोपरान्त उक्त संस्तुतियां यथावत अनुमोदित की गई।

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

03. शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 14.08.03 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

समन्वयक, दूरस्थ शिक्षा, प्रो. गिरजेश कुमार द्वारा उक्त संस्तुतियां पढ़कर सुनाई गई एवं विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियों का यथावत अनुमोदन किया गया।

04. दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 14.08.2003 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

समन्वयक, दूरस्थ शिक्षा, प्रो. गिरजेश कुमार द्वारा उक्त संस्तुतियां परिषद के समक्ष पढ़कर सुनाई गई एवं विद्या परिषद द्वारा इन संस्तुतियों को यथावत अनुमोदित किया गया।

05. विश्वविद्यालय स्तर से दूरस्थ शिक्षा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सम्बन्धित संकायों की संस्तुतियों के अनुमोदन के उपरान्त दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची (समयावधि, अर्हता एवं अनुमानित शुल्क सहित) माननीय सदस्यगण में परिचालित की गई। साथ ही सम्बन्धित अध्यादेश को भी पढ़कर सुनाया गया।

विद्या परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत/गहन विचार विमर्श उपरान्त प्रो. गिरजेश कुमार, समन्वयक, दूरस्थ शिक्षा के संयोजकत्व में विश्वविद्यालय परिसर के सम्बन्धित संकायाध्यक्षों (शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय, अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय तथा प्रबन्ध शास्त्र संकाय) की एक समिति का गठन किया गया। यह समिति दूरस्थ शिक्षा के उपर्युक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची एवं अध्यादेश का विस्तृत अध्ययन कर इसमें विद्या परिषद द्वारा सुझाये गये संशोधनो को समाहित करते हुए पाठ्यक्रमों की सूची एवं अध्यादेश को अन्तिम रूप प्रदान करेगी एवं तद्नुसार इसे विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित माना जायेगा।

उक्त समिति से यह अपेक्षा की गई कि उसके द्वारा यह समस्त कार्य 26.08.2003 को होने वाली कार्यपरिषद की बैठक के पूर्व ही सम्पादित कर लिया जाय।

06. समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 29.07.2003 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

कुलसचिव महोदय द्वारा उक्त संस्तुतियां परिषद के समक्ष पढ़कर सुनाई गई एवं विद्या परिषद द्वारा यह संस्तुतियां यथावत अनुमोदित की गई।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

07. निम्नलिखित डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के माध्यम से तैयार किये गये अध्यादेशों के अनुमोदन पर विचार:-

1. डिप्लोमा इन टिशू कल्चर एण्ड फ्लोरीकल्चर
2. डिप्लोमा इन फैशन डिजायनिंग
3. डिप्लोमा इन टैक्सटाईल डिजायनिंग
4. डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजायनिंग
5. डिप्लोमा इन ई कामर्स मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट
6. पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट
7. पी.जी. डिप्लोमा इन मार्डन अरेबिक
8. पी.जी. डिप्लोमा इन बिजनेस ला
9. पी.जी. डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट
10. पी.जी. डिप्लोमा इन ई कामर्स
11. पी.जी. डिप्लोमा इन इन्वायरमेन्टल मैनेजमेंट
12. पी.जी. डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलाजी
13. पी.जी. डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन एण्ड जर्नलिज्म
14. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग
15. पी.जी. डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलाजी एण्ड डायनोस्टिक टेक्निक
16. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
17. पी.जी. डिप्लोमा इन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस
18. पी.जी. डिप्लोमा इन रेस्टोरेंट आपरेशन एण्ड कैटरिंग मैनेजमेंट
19. पी.जी. डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट
20. पी.जी. डिप्लोमा इन परशियन
21. पी.जी. डिप्लोमा इन डायटेटिक्स
22. पी.जी. डिप्लोमा इन फ्रंट आफिस एण्ड होम कीपिंग मैनेजमेंट

नोट उपर्युक्त क्रमांक 01 से 15 तक के पाठ्यक्रम गत विद्या परिषद की बैठक दिनांक 01.07.2003 मे अनुमोदित हो चुके है। क्रमांक 16 एवं 17 के पाठ्यक्रम पूर्व से अनुमोदित है तथा क्रमांक 17 से 22 तक के पाठ्यक्रम बनाये जाना शेष है।

कुलसचिव द्वारा उपर्युक्त अध्यादेशों का वाचन किया गया एवं विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से इसे अनुमोदित किया गया। साथ ही डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

08. एम.बी.ए. विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 28.08.03 को पटल पर प्रस्तुत किया गया।

उक्त विषय पाठ्य समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष प्रो. ए.के. सरकार द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया। विद्या परिषद द्वारा निश्चय किया गया कि दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित विषय पाठ्य समिति की संस्तुतियों को उपर्युक्त संकल्प संख्या 05 पर गठित विद्या परिषद की समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय एवं तद्नुसार किया गया निर्णय ही विद्या परिषद का निर्णय माना जाये। इनके द्वारा प्रस्तावित निम्न डिप्लोमा पाठयक्रमों की सैद्वातिंक मजूंरी दी गई:-

1. पी.जी. डिप्लोमा इन साइवर मेकिंग
2. पी.जी. डिप्लोमा इन इन्टरनेशनल ट्रेड
3. पी.जी. डिप्लोमा इन इंश्योरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट
4. पी.जी. डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एवं मास कम्युनिकेशन
5. पी.जी. डिप्लोमा इन लाजिस्टिक एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट
6. पी.जी. डिप्लोमा इन हयूमन रिसोर्स मैनेजमेंट

09. माननीय सदस्य डा. आर. पी.सिंह ने यह प्रश्न उठाया कि वर्तमान मे समान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भूगोल विषय में बी.ए. तृतीय वर्ष में ''डियोग्राफी आफ टूरिज्म'' प्रश्नपत्र हटा दिया गया है जबकि पुराने पाठ्यक्रम में यह था। अत: विषय की महता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रश्नपत्र को पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने का अनुरोध किया।

विचार विमर्श के उपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि इसे पाठ्यक्रम समिति, संकाय परिषद की बैठकों के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाय।

10. एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शोध कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा विचार किया गया।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि इसे स्वीकृति प्रदान की जाए और इसे अनुप्रायुक्त विज्ञान संकाय परिषद से पारित कराकर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाय।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

11. अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड द्वारा एम.एस-सी. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अध्यादेश प्रस्तुत किया गया।

विचार विमर्श उपरान्त विद्या परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यू.जी.सी. से अनुमति प्राप्त हो गई है इसलिए यह पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति शासन से प्राप्त कर ली जाये।

12. कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव किया कि बी.ए./बी.एस-सी. तृतीय वर्ष में तीन विषय होने चाहिए।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इसे आगामी विद्या परिषद की बैठक में रखा जाये।

अन्त मे बैठक सधन्यवाद विसर्जित हुई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव/सचिव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2004 का कार्यवृत्त

संख्या : 01/2004

समय व दिन : पूर्वान्ह 11:30 बजे, शुक्रवार

स्थान : सभागार, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय

उपस्थिति:-

01.	आचार्य जाहिद हुसैन जैदी, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डा. प्रकाश वीर धामपुर	सदस्य
03.	डा.(श्रीमती) सुषमा शर्मा, मुरादाबाद	सदस्य
04.	आचार्य रुदल प्रसाद यादव, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
05.	डा. बद्री नारायण चौरसिया, मुरादाबाद	सदस्य
06.	आचार्य सुरेन्द्र कुमार सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
07.	डा. योगेन्द्र कुमार गुप्ता, बरेली	सदस्य
08.	आचार्य अजय कुमार जेटली, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
09.	डा. बीना रानी गुप्ता, शाहजहाँपुर	सदस्य
10.	आचार्य गिरजेश कुमार, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
11.	आचार्य अश्वनी कुमार गुप्ता, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
12.	आचार्य अतुल कुमार सरकार, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
13.	आचार्य नरेन्द्र बहादुर सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
14.	आचार्य विजय पाल सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
15.	आचार्य शौकत अली, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
16.	आचार्य ~~पी.के.~~ प्रदीप कुमार यादव, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
17.	डा. रमेश सिंह, धामपुर	सदस्य
18.	डा. एस.के. राजपूत, धामपुर	सदस्य
19.	डा. शिव शंकर कटियार, धामपुर	सदस्य
20.	डा. एस.एल. पाल, धामपुर	सदस्य
21.	डा. वी.के. सिंह, धामपुर	सदस्य
22.	डा. नलिनी रंजन शर्मा, मुरादाबाद	सदस्य
23.	डा. हमीद अली खान, बरेली	सदस्य
24.	डा. पी. दास, बदाँयू	सदस्य
25.	डा. आर. सी. जैन, बिजनौर	सदस्य
26.	डा. एस. पी. गुप्ता, अमरोहा	सदस्य
27.	डा. एच.सी. गुरनानी, बदायूँ	सदस्य
28.	डा. पवन कुमार वार्ष्णेय, चन्दौसी	सदस्य
29.	डा. श्रीमती रजनी भटनागर, बरेली	सदस्य
30.	डा. वी.एन. कौल, मुरादाबाद	सदस्य

31. डा. सुरेन्द्र नाथ सिंह, मुरादाबाद	सदस्य
32. डा. राजेन्द्र सिंह गहलौत, रामपुर	सदस्य
33. डा. श्रीमती पम्पा गौतम, बरेली	सदस्य
34. डा. विनोद कुमार, बरेली	सदस्य
35. डा. अलाउद्दीन खान, बरेली	सदस्य
36. श्री मो. सदरे आलम, बरेली	सदस्य
37. डा. ए.के. सक्सेना, बरेली	सदस्य
38. श्री चौ. अताउल हक खान, शाहजहाँपुर	सदस्य
39. श्री वी.के. शर्मा, मुरादाबाद	सदस्य
40. श्रीमती आर. अग्रवाल, मुरादाबाद	सदस्य
41. आचार्य कुँवर बहादुर सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
42. आचार्य अतुल कुमार सिन्हा, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
43. आचार्य नीलिमा गुप्ता, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
44. आचार्य पारस नाथ राम	सदस्य
45. डा. श्यामलाल यादव, मुरादाबाद	सदस्य
46. डा. आर. पी. सिंह, सुरजननगर	सदस्य
47. डा. नरेन्द्र प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
48. डा. पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
49. डा. अभय सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
50. श्री वी.पी. सिंह, धामपुर	सदस्य
51. डा. मंजुला सिंघल, मुरादाबाद	सदस्य
52. डा. ए.के जैन, बिजनौर	सदस्य
53. डा. राजकुमार, बरेली	सदस्य
54. डा. श्याम बिहारी, मुरादाबाद	सदस्य
55. आचार्य आर.पी. भटनागर, मुरादाबाद	सदस्य
56. डा. कैलाश नाथ पाण्डेय	कुलसचिव/सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यगण का स्वागत किया इसके उपरान्त कुलसचिव ने आज की बैठक में प्रथम बार सम्मिलित हुए माननीय सदस्यों का सदन से परिचय कराया। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यगण से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में उनसे सहयोग की अपेक्षा की तथा जिन सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो गई है उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ हुआ।

01. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.08.2003 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

02. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.08.2003 के कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से परिषद को अवगत कराना।

विद्या परिषद अवगत हुई।

03. बी.एस-सी. गृह विज्ञान विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 26.05.2003 एवं 29.11.2003 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

नोट: उक्त बैठकों में बी.एस-सी. गृह विज्ञान भाग दो एवं तीन का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। विदित हो भाग दो का पाठ्यक्रम विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सत्र 2003-04 से प्रभावी हो चुका है एवं भाग तीन का पाठ्यक्रम सत्र 2004-05 से प्रभावी किया जाना है।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

04. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर सत्र 2004-05 से भाग-एक, दो एवं तीन का पाठ्यक्रम तैयार किये जाने सम्बन्धी इतिहास विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 13.10.2002 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

05. इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलाजी विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 20.01.2004, जिसके द्वारा बी.एस-सी. भाग तीन का पाठ्यक्रम जो सत्र 2004-05 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है, की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

06. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम/अध्यादेश तैयार किये जाने सम्बन्धी विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 24.11.2003 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

07. भूगोल विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 20.10.2003 जिसके अन्तर्गत बी.ए. तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जियोग्राफी आफ टूरिज्म प्रश्नपत्र सत्र 2004-05 से सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की गई है, का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

08. प्रबन्ध शास्त्र संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 31.01.2004 जिसके अन्तर्गत एम.बी.ए. का पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश पुनरीक्षित कर सत्र 2004-05 से प्रभावी किये जाने की संस्तुति की गई है, का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

09. विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार किये जाने सम्बन्धी विधि विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 16.10.2003 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

10. निम्नलिखित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किये जाने सम्बन्धी विषय पाठ्य समितियों की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना:-

	विषय पाठ्य समिति का दिनांक
(अ) पी.जी.डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलाजी	20.01.2004
(ब) पी.जी. डिप्लोमा इन डायटटिक्स	20.01.2004
(स) पी.जी. डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट	19.11.2003

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

11. निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में संशोधन किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित तिथियों को सम्पन्न हुई विषय पाठ्य समिति की बैठकों की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना:-

(अ) डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग	18.12.2003
(ब) डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइनिंग	18.12.2003
(स) डिप्लोमा इन टैक्सटाईल डिजाइनिंग	18.12.2003

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

12. सैन्य अध्ययन विषय का नाम परिवर्तित कर रक्षा अध्ययन (Defence Studies) किये जाने सम्बन्धी सैन्य अध्ययन विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 14.10.2003 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर तैयार किये गये दर्शन शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम को सत्र 2004-05 से प्रभावी किये जाने सम्बन्धी दर्शन-शास्त्र विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 18.05.2004 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

14. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 01.07.2003 के पश्चात सम्पन्न हुई विभिन्न शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को विद्या परिषद द्वारा नोट किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा दिनांक 01.07.2003 से 29.05.2004 तक सम्पन्न हुई समस्त शोध उपाधियों समिति की कार्यवाही को नोट किया गया।

15. पी.एच-डी. अध्ययन/पंजीकरण हेतु परास्नातक परीक्षा 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17.08.2002 के संकल्प संख्या 8 के अन्तर्गत किये गये निश्चयानुसार कुलपति महोदय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के आधार पर

निम्नलिखित सम्बन्धित शोध उपाधि समिति मे प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रकरण एवं इनकी संस्तुतियों पर विचार।

शोध उपाधि समिति की संस्तुति निम्नवत् है:-

(i) श्री मो. मुबीन खाँ, जो पी.सी.एस. अधिकारी है, का प्रकरण विशेषज्ञता समिति की सकारात्मक आख्या के आधार पर समाजशास्त्र शोध उपाधि समिति की बैठक मे प्रस्तुत किया गया। शोध उपाधि समिति द्वारा शोध कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद मे रसायन विज्ञान के प्राध्यापक है। इनका प्रकरण विशेषज्ञ समिति की सकारात्मक आख्या के आधार पर रसायन शास्त्र शोध उपाधि समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। शोध उपाधि समिति ने शोध कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की है।

(iii) श्री निहालुद्दीन अहमद, जो तंजानिया में प्रवक्ता है, का प्रकरण विशेषज्ञ समिति की सकारात्मक आख्या के आधार पर विधि शोध उपाधि समिति की बैठक मे प्रस्तुत किया गया था। शोध उपाधि समिति द्वारा पंजीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की है। किन्तु श्री निहालुद्दीन के सम्बन्ध मे एक संलग्न शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ता श्री सक्सेना ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि श्री निहालुद्दीन मूल रूप से एक राजनीतिक नेता है और इन्होने अपनी अंकतालिका मे manipulations करके प्रवेश प्राप्त किया है।

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त शोध उपाधि समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया। श्री निहालउद्दीन अहमद जो तंजानिया में प्रवक्ता है, के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री सक्सेना के आरोप को विद्या परिषद द्वारा उचित नही माना गया एवं विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त तीनों संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

16. शोध अध्यादेश के निम्नलिखित प्राविधान पर विचार:-

शोध अध्यादेश के अनुसार कोई शोध छात्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 24 माह पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में शोध कार्य करने के उपरान्त अपना शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय मे मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु पर्यवेक्षक परिवर्तन की स्थिति में छात्र नये पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में कितनी अवधि पूर्ण कर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर सकेगा, का उल्लेख नही है। अतः इस बिन्दु पर विचार किया जाना है।

विद्या परिषद द्वारा उक्त के सम्बन्ध मे विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि छात्र पंजीकरण की तिथी से 24 माह के अन्दर पर्यवेक्षक वदलने के बाद भी [illegible] बदल सकता है। किन्तु पर्यवेक्षक परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे निश्चय किया गया कि पर्यवेक्षक परिवर्तन हेतु शोध उपाधि समिति का अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है तथा पर्यवेक्षक परिवर्तित होने की स्थिति मे पूर्व पर्यवेक्षक की रिपोर्ट भी शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

17. शोध कार्य की गुणवत्ता . एवं शोध कार्य को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से विद्या परिषद की बैठक दिनांक 01.07.2003 के संकल्प संख्या 18 के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इसे पुनः समिति को सौप दिया जाए तथा उनसे यह अपेक्षा की जाए कि वे इसका पुनरावलोकन कर संस्तुति दें। यह भी निर्णय लिया गया कि जो शिक्षक शोध की गुणवत्ता के बारे में अपनी राय देना चाहते हों वे 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव भेज दें।

18. शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रचलित शोध अध्यादेश में कुछ स्पष्ट एवं विस्तृत आख्या हेतु कुछ संशोधन/सुधार किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण संलग्न है।

विद्या परिषद द्वारा शोध अध्यादेश में संशोधन हेतु प्रस्तावित किये गये सुधारों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं विचारोपरान्त निम्नवत् निश्चय किया गया:-

1. पी.एच-डी./डी.लिट./डी.एस-सी हेतु आवेदकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।
2. प्रत्येक विषय में स्थान निश्चित किये जाने सम्बन्धी प्राविधान को भी स्वीकार नही किया।
3. पर्यवेक्षक की अर्हता निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पूर्व में गठित गुणवत्ता समिति को निर्दिष्ट किये जाने का निश्चय किया गया।
4. संयोजक (विषय पाठ्य समिति), शोध उपाधि समिति के सदस्य होते हैं, यदि वह अनुपस्थित रहते है तब भी बैठक सम्पन्न कराई जा सकती है। किन्तु इस बैठक में कम से कम एक बाहय विशेषज्ञ एवं एक आन्तरिक विशेषज्ञ अथवा आन्तरिक सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिए।
5. शोध छात्र द्वारा रूपरेखा (सिनाप्सिस) जमा करने के उपरान्त शोध उपाधि समिति के समक्ष उसके मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार का प्राविधान किये जाने का निश्चय किया गया। साथ ही यह भी निश्चय किया कि शोध उपाधि समिति की बैठक में एक दिन में अधिकतम 25 अभ्यर्थियों को ही मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमत्रिंत किया जाए तथा शोध उपाधि समिति की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

   शेष समस्त प्रस्तावित सुधारों को पूर्व में गठित गुणवत्ता समिति के पुनः विचारार्थ निर्दिष्ट किया गया।

19. विद्या परिषद की गत बैठक दिनांक 21.08.2003 के संकल्प संख्या सं. 12 के अन्तर्गत किये गये निश्चयानुसार बी.ए./बी.एस-सी. तृतीय वर्ष में तीन विषय का प्राविधान किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श हेतु निम्नवत् समिति गठित करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया:-

01. प्राचार्य, बरेली कालेज, बरेली
02. प्राचार्य हिन्दू कालेज, मुरादाबाद
03. कुलपति महोदय द्वारा नामित दो सदस्य
04. कुलसचिव या इनके द्वारा नामित व्यक्ति

उक्त समिति विचारोपरान्त अपनी आख्या कुलपति महोदय को 03 माह में प्रस्तुत करेगी।

20. परीक्षा समिति के गठन सम्बन्धी अध्यादेश में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में विद्या परिषद के एक सदस्य को नामित किये जाने पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा एक मत न होने के कारण विभिन्न माननीय सदस्यगण द्वारा प्रस्तावित सदस्यों के नामों में से पर्ची के माध्यम से डा. श्रीमती मंजुला सिंघल, संस्कृत विभाग, जी.डी.एच.जी. कालेज, मुरादाबाद को विद्या परिषद के सदस्य के रूप में परीक्षा समिति का सदस्य नामित किया गया।

21. बी.डी.एस. विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 09.04.2004 की संस्तुतियों पर विचार।

टिप्पणी:- उक्त पाठ्य समिति की संस्तुति संख्या 03 के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष ने टिप्पणी की है कि यह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरूद्व है।

विद्या परिषद द्वारा संस्तुति संख्या 3 को छोड़कर शेष संस्तुतियां यथावत स्वीकार की गई।

22. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 30.06.2003, जिसके द्वारा बी.टेक का नवीन अध्यादेश पारित किया गया है, का अनुमोदन किया जाना एवं तद्नुसार परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.06.2004 के संकल्प संख्या 10 के अन्तर्गत किये गये निर्णय से विद्या परिषद को अवगत कराना, इसके द्वारा उक्त अध्यादेश को स्वीकार करते हुए सत्र 2003-2004 का परीक्षाफल संशोधित किये जाने का निश्चय किया गया है।

विद्या परिषद द्वारा उक्त अध्यादेश का अनुमोदन किया गया एवं इस सम्बन्ध में किये गये परीक्षा समिति के निर्णय से विद्या परिषद अवगत हुई।

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दसवीं योजना में कैरियर ओरियेन्टेड प्रोग्राम के अन्तर्गत कम्प्यूटर एप्लीकेशन, योग एवं कत्थक नृत्य मे डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तथा इनकी सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्राचार्या, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय के पत्र दिनांक 11.08.2004 पर विचार।

नोट: प्राचार्या ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उनके महाविद्यालय को उक्त योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रु. 5,00,000/- का अनुदान सीड मनी के रूप में प्राप्त हो चुका है एंव वह इसी सत्र से उपर्युक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना चाहती है।

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई।

24. अनुसूचिज जाति/जनजाति के छात्रों को पी.एच-डी. के पंजीकरण हेतु परास्नातक स्तर की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किये जाने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान करने पर विचार।

नोट: विदित हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने बाली कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति/राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (जे.आर.एफ./नेट परीक्षा) हेतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अर्हता परास्नातक स्तर की परीक्षा 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया जाना है।

विद्या परिषद द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को शोध हेतु पंजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में परास्नातक परीक्षा पचास प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किये जाने का प्राविधान स्वीकार किया गया।

25. प्रबन्ध शास्त्र संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 18.08.2004 जिसके द्वारा प्रबन्धशास्त्र विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 14.08.2004 में संस्तुत बी.बी.ए., बी.बी.ए. (दूरस्थ शिक्षा) एवं एम.बी.ए. (दूरस्थ शिक्षा) के पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया है, की संस्तुतियों पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा संकाय बोर्ड की संस्तुतियां यथावत अनुमोदित की गई।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर पर्यावरण विषय पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

नोट: उक्त समिति द्वारा पर्यावरण विषय का पाठ्यक्रम तैयार कर इसे सत्र 2004-05 से प्रभावी किये जाने की संस्तुति की गई है। समिति की संस्तुति के अनुसार इस पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रत्येक छात्र को उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु वह अपनी सुविधा के अनुसार यह परीक्षा किसी भी वर्ष में (प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय भाग की परीक्षा के साथ) उत्तीर्ण कर सकता है। यह परीक्षा केवल अर्हता के लिए होगी इसके अंक कुल प्राप्तांकों में जोड़े नही जाएंगे।

विद्या परिषद द्वारा समिति की संस्तुतियां यथावत् स्वीकार की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय:-

27. अभियान्त्रिकी एंव प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 19.08.2004 जिसके अन्तर्गत एम.एस-सी. (एप्लाईड फिजीक्स, एप्लाईड कैमिस्ट्री, एप्लाईड मैथ), का पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश, कैमिकल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा इन आर.ए.सी. का पाठ्यक्रम पारित किया गया है, की संस्तुतियां विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित की गई।

28. यू.जी.सी. माडल के आधार पर सांख्यिकी विषय में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम तैयार कर सत्र 2004-05 से प्रभावी किये जाने सम्बन्धी सांख्यकी विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 18.08.2004 की संस्तुतियां विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित की गई।

29. वनस्पिति विज्ञान विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 17.08.2004 जिसके द्वारा बी. एस-सी. तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम को संशोधित कर सत्र 2004-05 से प्रभावी किये जाने की संस्तुति की गई है, का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

30. राष्ट्र गौरव पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम जिस समिति द्वारा तैयार किया गया है उसी समिति को जो सुझाव आए है उसे सौप कर उसकी संस्तुति प्राप्त की जाय तथा जिन टॉपिक (विषयों) को शामिल करना है उसको ईकाई रूप में अंकित किया जाए।

31. वाणिज्य विषय पाठ्य पाठ्यक्रम में कतिपय संशोधन हेतु डा. यू.सी. शर्मा, संयोजक, वाणिज्य विषय पाठ्य समिति ने लिखा है कि न्यूमिरकल प्रश्नपत्रों का बंटवारा बी. काम. के तीनों वर्षो मे समान नही हुआ है अतः इसे दूर किया जाए। विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि उनके द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विषय पाठ्य समिति को सन्दर्भित किया जाए।

32. आर.एस.एम. डिग्री कालेज, धामपुर, बिजनौर ने डिप्लोमा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सदस्य डा. एस.के. राजपूत ने अवगत कराया कि पी.जी. डिप्लोमा इन रूरल रिसोर्स मैनेजमेंट एवं पी.जी.डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण करा लिया गया है लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में पत्र निर्गत नही किया गया है।

इस सम्बन्ध में सहायक कुलसचिव (सम्बद्वता) ने अवगत कराया है कि कार्यपरिषद से अनुमोदन के पश्चात डिप्लोमा प्रारम्भ करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।

33. हिन्दी विषय पाठ्य समिति के बुलाने के सम्बन्ध मे प्रकरण माननीय सदस्य हिन्दी विषय पाठ्य समिति के संयोजक, डा. नलिनी रंजन शर्मा ने उठाया, के सम्बन्ध मे निर्णय लिया गया कि उक्त के सम्बन्ध में पूर्ण पत्रावली कुलपति महोदय को प्रेषित की जाय और विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाए।

34. बी.काम (आनर्स) का पाठ्यक्रम तैयार करने सम्बन्ध मे एक सदस्य ने अनुरोध किया जिस पर यह अवगत कराया गया कि संयोजक विषय पाठ्य समिति के न आने के कारण इस कार्य हेतु बुलाई गई बैठक तीन बार स्थगित की जा चुकी है। वाणिज्य विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक आहूत कर बी.काम (आनर्स) तथा बी. काम (कम्प्यूटर) का पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय हुआ और यह भी निर्णय हुआ कि यदि संयोजक नही भी आते है और जो सदस्य उपस्थित रहते हैं, तो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाय ताकि इसे इसी सत्र 2004-2005 से लागू किया जा सके।

प्रो.(जाहिद हुसैन जैदी)
कुलपति/अध्यक्ष

कुलपति जी, अनुमोदनार्थ

डा.(कैलाश नाथ पाण्डेय)
कुलसचिव/सचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 29.10.2007 का कार्यवृत्त

संख्या : 01/2007

समय : 11:30 बजे पूर्वान्ह

स्थान : सेमिनार हाल, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय भवन (आई.ए.एस.ई.)

उपस्थिति :-

1.	प्रो. ओम प्रकाश, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री वी.पी.सिहं, धामपुर,	सदस्य
3.	डा. बी.एस.भारद्वाज, बरेली	सदस्य
4.	प्रो. ए.के.सिन्हा, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
5.	डा. एन.एल. शर्मा, बरेली	सदस्य
6.	डा. रीना जायसवाल, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
7.	डा. बी.के.शर्मा, मुरादाबाद	सदस्य
8.	प्रो. नीलिमा गुप्ता, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
9.	डा. सरोज सिहं, मुरादाबाद	सदस्य
10.	प्रो. एन.एन.पाण्डेय, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
11.	प्रो. पारस नाथ राम, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
12.	प्रो. पी.के.यादव, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
13.	प्रो. आर.पी.यादव, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
14.	प्रो. के.बी. सिहं, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
15.	प्रो. वी.पी.सिहं, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
16.	प्रो. बीना शाह, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
17.	डा. ए.के.सिहं, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
18.	डा. रज्जन कुमार, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
19.	डा. अजय त्रिवेदी, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
20.	डा. कर्मवीर आर्य, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
21.	प्रो. ए.के.गुप्ता, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
22.	डा. ओ.पी. उपाध्याय, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
23.	डा.एम.एस.करूणा, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
24.	डा. एस.के.पाण्डेय, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
25.	डा. ए. प्रसाद, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
26.	डा. रमेश सिंह, रामपुर	सदस्य
27.	डा. राजेश सिंह चौहान, धामपुर	सदस्य
28.	डा. शिवशंकर कटियार, धामपुर	सदस्य
29.	डा. एस. सी. सिंह, धामपुर	सदस्य
30.	डा. शरीफ अहमद कुरेशी, रामपुर	सदस्य

31.	डा. सी. पी. शुक्ला, बदायूँ	सदस्य
32.	डा. सरोज अग्रवाल, बरेली	सदस्य
33.	डा. रुबी सिद्दीकी, रामपुर	सदस्य
34.	डा. जी. एस. अग्रवाल, बिजनौर	सदस्य
35.	डा. संजय कुमार पन्त, मुरादाबाद	सदस्य
36.	डा. प्रदीप जौहरी, मुरादाबाद	सदस्य
37.	डा. शुभ्रा कटारा, बरेली	सदस्य
38.	डा. मो. सदरे आलम, बरेली	सदस्य
39.	डा. एम. के. सिंह, मीरगंज	सदस्य
40.	डा. एस. के. बैजल, बरेली	सदस्य
41.	डा. सी. एस. गुप्ता, मुरादाबाद	सदस्य
42.	डा. विनीता खन्ना, मुरादाबाद	सदस्य
43.	प्रो. गिरजेश कुमार, वि.वि. परिसर	सदस्य
44.	प्रो. ए. के. सरकार, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
45.	प्रो.ए.के.जेटली, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
46.	प्रो.बी.आर.कुकरेती, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
47.	प्रो. एन.पी.सिहं, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
48.	डा. ब्रजपाल सिहं, कांठ	सदस्य
49.	डा. राधा दुआ, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
50.	डा. मनीष राय, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
51.	डा. शाहबुद्दीन, मुरादाबाद	सदस्य
52.	डा. के.के.चौधरी, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
53.	डा. शोभना सिहं, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
54.	डा. श्याम बिहारी लाल, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
55.	डा. बी.के.कन्नौजिया, वि.वि. परिसर, बरेली	सदस्य
56.	डा. ए.के.सिहं, मुरादाबाद	सदस्य
57.	डा. बाल कृष्ण पाण्डेय, कुलसचिव	सचिव

<u>कार्य विवरण :-</u>

विद्या-परिषद की बैठक को प्रारम्भ करते हुए परिषद के अध्यक्ष मा. कुलपति महोदय ने परिषद के नवीन सदस्यों का परिचय प्राप्त किया। समस्त सदस्यों का स्वागत किया और परिषद की बैठक बुलाने में विलम्ब पर खेद व्यक्त किया । इस दौरान विश्वविद्यालय में होने वाली मुख्य-मुख्य गतिविधियों से परिषद को अवगत कराया। कुलपति ने बताया कि दिनांक 01.08.2007 को उत्तर क्षेत्रीय कुलपति सम्मेलन में भाग लेने के बाद उन्होंने ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिनांक 21.08.2007 को अधिकारियों एवं शिक्षकों की एक बैठक की। इसके बाद कई बैठकें और हुईं और ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव इस विश्वविद्यालय की ओर से तैयार कर यू.जी.सी. को प्रेषित कर दिया गया । इसी योजना में विश्वविद्यालय का मुख्य बल शोध, शिक्षण एवं प्रसार (एक्सटेंशन) गतिविधियों को प्राथमिकता देना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से रिसर्च ओरिएन्टेशन स्टाफ कालेज तथा विश्वविद्यालय

परिसर में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की मांग भी की गयी । क्योंकि ये दोनो ही संस्थाएं शोध प्रवणता तथा शोध सक्षमता को, विशेष करके उस विश्वविद्यालय में विकसित करने के आधार साबित होंगे जो शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित है जैसे कि यह विश्वविद्यालय।

सदस्यों से अनुरोध है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित करने के पूर्व ही इन महत्वपूर्ण शोध संस्थाओं को विश्वविद्यालय के अपने संसाधनों से प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करें।

विश्वविद्यालय के विगत 05 वर्षों के बजट के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि इस विश्वविद्यालय की कुल आय का 01से 02 प्रतिशत ही शोध अध्यापन एवं प्रसार गतिविधियों पर व्यय हुआ है। जो विश्वविद्यालय की सबसे प्रधान गतिविधि है। अब तक होने वाले निर्माण कार्यों में 96 प्रतिशत विश्वविद्यालय के अपने स्रोतों से व्यय किया गया है। विगत 05 वर्षों में निर्माण कार्यों के अतिरिक्त परीक्षा एवं सामान्य प्रशासन पर सबसे अधिक व्यय हुआ है। किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसकी शोध अवधारणा एवं प्रसार गतिविधियों से बनती है जिसके लिए उपयुक्त वातावरण, पर्यावरण एवं शैक्षिक स्वतंत्रता अनिवार्य होती है। उन्होंने यह भी बताया कि शोध उस ग्लेशियर के समान है जिससे उच्च शिक्षा की नदी निकलती है। वर्तमान में जो शोध हो रहा है उसकी न तो कोई नीति है और न ही कोई लक्ष्य। शोध के नाम पर दी जाने वाली उपाधियों की गुणवत्ता में गिरावट आती जा रही है और उससे जो रोजगार की अर्हता पैदा हो रही है वह एकल और अनिश्चित है। शोध की कार्य सूची वस्तुतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जरूरतें तय कर रहीं है। शोध नीति का फोकस क्या होगा यह भी तय नहीं है जिससे कि देश और राष्ट्र की वे जरूरतें शोध दृष्टि/नीति द्वारा नजर अन्दाज की जा रही है जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दृष्टि के बाहर है। ऐसे विषयों पर शोध कराकर राष्ट्रीय धन का व्यय राष्ट्र निर्माण में सहायक नहीं हो सकता और न ही कोई मौलिक तकनीकि उपलब्धि उस स्तर की प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि बिल गेट्स का विन्डो सिस्टम। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस एक शोध से करोड़ों लोगों को रोजगार, व्यापार और उद्योग प्राप्त हुआ है। यह विश्वविद्यालय अगले दस वर्ष के लिए एक शोध नीति का निर्धारण करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका फोकस तय करते हुए यह शोध में टीम वर्क को प्रोत्साहित करना चाहता है। यह विश्वविद्यालय परिसर में रिसर्च टेम्पर भी पैदा करना चाहता है। जिसके लिए शोधार्थियों को प्रवेश देने से पहले एक दो दिवसीय कार्यशाला से होकर गुजरना पड़ता है जिसके लिए अब तक एनीमल साइंस/जूलाजी, लॉ/विधि की दो कार्यशालाएं करायी जा चुकी हैं और हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की कार्यशालाएं 01 नवम्बर से 04 दिसम्बर के बीच में निर्धारित हैं। इन कार्यशालाओं में शोधार्थियों के अतिरिक्त उनके गाईड, विषय संयोजक तथा बाह्य विशेषज्ञ भाग लेते हैं। गाईड और विषय संयोजक

आन्तरिक विशेषज्ञ के रूप में बुलाये जाते हैं। प्रथम दिन शोध के तौर तरीका और शोध के विषय सापेक्ष अधुनातन ज्ञान तथा किये गये कार्य की स्थिति पर चर्चा होती है। दूसरे दिन विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों के अनुसार शोधार्थियों को विभिन्न समूहों में बाँटकर उनकी समस्या का समाधान किया जाता है तथा उन्हें इस सम्बन्ध में लिखित सामग्री भी दी जाती है।

विश्वविद्यालय ने समय-समय पर अनेक उच्च स्तरीय शोध-शैक्षिक कार्यक्रम करा कर शोध मानसिकता को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों की ज्ञान विज्ञान तथा जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किये हैं। जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :-

1-2 सितम्बर 2007 को **Economic Bonds : India and Iran** पर दो दिवसीय अर्न्तराष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें भारत और ईरान से लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों ने भागीदारी की। 05 अक्टूबर 2007 को आई.आई.टी. कानपुर के प्रो. वाई.एन.सिहं ने **Next Genaration Networking : An Introduction** विषय पर इंजीनियरिंग तथा तकनीकी संकाय में भाषण दिया। 06 अक्टूबर को चण्डीगढ़ के प्रो0 चैटर्जी ने **Artificial Intellegence in Electrical System** पर उसी संकाय में व्याख्यान दिया। 06 अक्टूबर 2007 तथा 09 से 11 अक्टूबर 2007 को प्रौढ़ शिक्षा विभाग में विज्ञान गीत/कविता सृजन कार्यशाला तथा उद्यमिता जागरूता शिविर का आयोजन किया गया । विश्वविद्यालय ने प्रसार कार्यक्रम के रूप में केचुंआ पालन तथा किसान प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन दिनांक 30.10.2007 को निर्धारित किया है। जिसमें लगभग 200 से 250 किसान भागीदारी करेंगे। कुलपति ने इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा शोध वातावरण तथा शोध पर्यावरण स्थापित किये जाने के गम्भीर प्रयासों को सदस्यों के समक्ष रखा।

अध्यापन स्तर को सुधारने की दृष्टि से 10 जुलाई से 06 अगस्त 2007 के बीच बाहृय विशेषज्ञ बुलाकर अतिथि प्रवक्ताओं का विभिन्न विषयों में विधिवत् चयन किया गया । इन चयन समितियों में कुलपति स्वयं बैठे थे।

इस पर कुछ सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टेस्ट लेकर शोध कार्यक्रम में भर्ती करने का सुझाव दिया। कुछ ने शोध कार्यशाला के विचार की सराहना करते हुए उसके क्रियान्वयन की कतिपय दोषों की तरफ ध्यान आकर्षण किया। सदस्यों के सकारात्मक सुझाव का स्वागत करते हुए उनके क्रियान्वयन के दोषों को कुलसचिव द्वारा दूर करने के आश्वासन के साथ सभी सदस्यों ने शोध कार्यशाला आयोजित करके शोध पर्यावरण और रिसर्च टेम्पर विकसित करने की विश्वविद्यालय की पहल का स्वागत किया ।

कुछ मा. सदस्यों ने कार्यशाला में भाग लेने वाले बाहृय विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों द्वारा की गयी सराहना का भी उल्लेख किया ।

01. विद्या-परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2004 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार

विद्या-परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। इस सम्बंध में विद्या-परिषद के माननीय सदस्य प्रो0 ए0के0 जेटली ने कहा कि उक्त कार्यवृत्त के संकल्प संख्या 10 एवं 11 के अन्तर्गत विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का जो अनुमोदन किया गया हैं, उसमें यह उल्लेख भी होना चाहिए कि वह डिप्लोमा पाठ्यक्रम किस संकायान्तर्गत संचालित हैं। इस पर विद्या-परिषद में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। विद्या-परिषद ने विचारोपरान्त कुलपति महोदय को एक समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया। यह समिति इन डिप्लोमा के संकाय निर्धारण के साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित अन्य विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने के सम्बंध में इनकी उपयोगिता और वैधानिक दृष्टिकोण आदि के सम्बंध में अपनी आख्या विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी।

02. विद्या-परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2004 के कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से विद्या-परिषद को अवगत कराना।

विद्या-परिषद अवगत हुई।

03. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.12.2006 के संकल्प संख्या 6.03 के अन्तर्गत अनुमोदित अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 30.10.2006 की मिडसेम एवं एण्डसेम परीक्षा के पूर्वार्द्ध को क्रमशः 30:70 करने सम्बन्धी संस्तुतियों से विद्या परिषद को अवगत कराना एवं अनुमोदन करना।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं इस सम्बंध में माननीय सदस्यगण द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय ने विस्तार से प्रकाश डाला और संकाय बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों से विद्या परिषद को अवगत कराया। तदोपरान्त विद्या परिषद द्वारा अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 30.10.2006 की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया। किन्तु इसको दिनांक 30.10.06 से ही प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में विधिक परामर्श प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया गया ।

04. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्यागिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 04.05.2007 की पी.एच-डी. उपाधि हेतु शोध कार्यक्रम से सम्बंधित संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(अ) संकायाध्यक्ष, अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय द्वारा संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 04.05.07 की संस्तुतियों से विद्या-परिषद को अवगत कराया गया एवं विद्या-परिषद ने इसको यथावत् अनुमोदित किया ।

(ब) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अभि. एवं प्रौद्यो. संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 27.10.07 की संस्तुतियों को भी संकायाध्यक्ष द्वारा पटल पर प्रस्तुत किया गया एवं इसकी संस्तुतियों के सम्बन्ध में

माननीय सदस्यगण को अवगत कराया गया । विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियों को भी यथावत् अनुमोदित किया गया ।

05. कृषि संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 29 जुलाई 2006 की संस्तुतियां, जोकि बी.एस-सी.(कृषि) भाग-दो के द्वितीय प्रश्न पत्र, मृदा जल संरक्षण के प्रायोगिक पाठ्यक्रम, बी.एस-सी.(कृषि) भाग-एक के एग्रीकल्चर इकोनामिक्स व बी.एस.सी. भाग-चार के पाठ्यक्रम में आंशिक परिवर्तन एवं एग्रोनामी विषय पाठ्य समिति को पुनर्गठित करने के सम्बंध में है, पर विचार।

विद्या-परिषद द्वारा कृषि संकाय बोर्ड की बैठक की उक्त संस्तुतियां अनुमोदित की गई।

06. (अ) पुलिस विभाग एवं पुलिस व कैदियों के मुद्दों पर अनुसंधान एवं विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की दिनांक 07.08..2007 को बी.एस.एफ. कान्फ्रेन्स हाल, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त से विद्या-परिषद को अवगत कराने सम्बंधी डा. किरन बेदी, महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17 अगस्त 2007 पर विचार।

विद्या-परिषद डा. किरन बेदी के उक्त पत्र से अवगत हुई एवं इसी तारतम्य में पुलिस विज्ञान के अध्यापन हेतु विद्या-परिषद ने विषय कार्यसूची के 6 (ब) पर प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार पुलिस साइंस के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम को स्वीकार करते हुए, इसके प्रारम्भ किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की।

6(ब) पी.टी.सी. मुरादाबाद द्वारा प्रस्तावित पुलिस साइंस के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पर विचार।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रम स्वीकार किया गया एवं इसको प्रारम्भ किये जाने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गई।

07. विश्वविद्यालय के संकायों एवं विभागों से सम्बंधित मार्च 2006 में महामहिम कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त विभिन्न परिनियम संशोधनों के कारण विश्वविद्यालय के कतिपय शैक्षणिक विभागों के विलुप्त हो जाने की स्थिति एवं अन्य उत्पन्न विसंगतियों के सम्बन्ध में विद्या-परिषद को अवगत कराना। साथ ही इन विसंगतियों के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.12.2006 में अनुमत परिनियम संशोधनों से विद्या परिषद को अवगत कराना एवं उसका अनुमोदन प्राप्त कराना।

विद्या-परिषद परिनियमों में हुए विसंगतियों एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26.12.06 में अनुमत परिनियम संशोधनों से अवगत हुई। इस सम्बंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया और अध्यक्ष/कुलपति महोदय द्वारा विद्या-परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 1995 में महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमत परिनियम संशोधन ही विश्वविद्यालय में प्रभावी था और है, क्योंकि विधिक व्यवस्था के किसी नवनिर्मित नियमों की विसंगति से उत्पन्न संस्था लोप होने की स्थिति में पूर्वगामी

प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था, किन्तु महामहिम द्वारा यह प्रस्ताव यथावत्, अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण उपर्युक्त वर्णित स्थिति उत्पन्न हुई। अतः इन विसंगतियों के निराकरण एवं विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों को परिनियम में समावेशित करने के उददेश्य से कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26.12.06 में विभिन्न परिनियम संशोधनों को अनुमत किया गया है।

इन्हीं विसंगतियों के कारण पाठ्यक्रमों एवं विभागों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी, जैसे फैकल्टी आफ एजुकेशन एण्ड एलाइड साइन्सेज के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तो परिनियम के अनुसार विभागों के रूप में स्थापित किये गये किन्तु फैकल्टी आफ इंजी0एण्ड टेक्नालाजी के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम भी विभागों के रूप में परिनियम में स्थापित कर दिये गये। इसी क्रम में कम्यूनिकेटिव अंग्रेजी जिसमें स्वतंत्र रूप से कोई डिग्री दी ही नहीं जाती और केवल एक सहयोगी पाठ्यक्रम है, को विभाग बनाने का प्रत्यावेदन डा.आशा चौबे द्वारा बार-बार दिये जाते रहें हैं। उनका कथन है कि कम्यूनिकेटिव अंग्रेजी, ह्यूमीनिटीज के अन्तर्गत आती है और ह्यूमीनिटीज को विभाग के रूप में परिनियम में स्थापित किया गया है। लेकिन उ.प्र.राज्य विश्वविद्यालय अधिनियिम 1973 की धारा 31 (5) (सी) के अन्तर्गत दी गयी व्याख्या के अनुसार सबजेक्ट आफ स्टडीज वही हो सकता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से उपाधि प्रदान की जाती है। चूँकि ह्यूमीनिटीज और इसके अन्तर्गत आने वाले कम्यूनिकेटिव अंग्रेजी और औद्योगिक अर्थशास्त्र जैसे विषयों के पाठ्यक्रम में स्वतंत्र रूप से कोई उपाधि नहीं दी जाती। इसलिए न तो इन्हें सब्जेक्ट आफ स्टडीज के रूप में देखा जा सकता है और न ही स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जा सकता है। अधिनियम के प्रतिगामी होने के कारण परिनियम की यह व्यवस्था स्वमेव निष्प्रभावी हो जाती है।

विद्या-परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त निश्चय किया गया कि उक्त विसंगतियों के सम्बंध में महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को अवगत कराते हुए परिनियम संशोधन का प्रस्ताव भेजा जाय और उसके नियमानुसार अनुमोदित होने पर उसे लागू किया जाय। तब तक 1995 में अनुमोदित परिनियम ही प्रभावी रहेंगे। जिससे कोई व्यवस्था लोप न हो।

08. नेट/पी.एच.डी. उपाधि धारकों को स्नातक स्तर में अंक सुधार/परीक्षा सुधार की सुविधा विषयक डा0 गजराज सिहं, बिजनौर के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2007 एवं अन्य प्रार्थना पत्रों पर विचार।

<u>टिप्पणी :-</u> प्रार्थी ने पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर ली है एवं नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुका है। किन्तु स्नातक परीक्षा में प्रार्थी ने 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैं, जिसके कारण प्रवक्ता पद पर उसका चयन नहीं हो पा रहा है। अतः प्रार्थी ने 1994 में उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा में अंक/श्रेणी सुधार हेतु चौधरी चरण सिहं विश्वविद्यालय, मेरठ की भाँति अब परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति

प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। इस प्रकार के अन्य कई आवेदन भी है। अतः इस पर नीति निर्धारण करना आवश्यक है।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के परीक्षा सुधार सम्बंधी नियमों से विद्या-परिषद अवगत हुई तथा इस प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त विद्या-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि चौधरी चरण सिहं विश्वविद्यालय, मेरठ की भाँति परीक्षा-सुधार की सुविधा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह सुधार परीक्षा में बैठने की पात्रता सम्बन्धी न्यायसंगत नियमों के प्रतिकूल है।

9. विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20 जनवरी 2005 के संकल्प संख्या- 20 के अन्तर्गत किये गये निश्चयानुसार निम्नलिखित प्रकरण पर विचार :-

वर्ष 2004 की मैरिट सूची में व्यक्तिगत/संस्थागत दोनों प्रकार के छात्रों को सम्मिलित किया जाये या केवल संस्थागत छात्रों को।

विद्या-परिषद द्वारा निश्चय किया गया कि व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रकार के छात्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही मैरिट सूची तैयार की जाये।

10. परीक्षा समिति के गठन सम्बन्धी अध्यादेश में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में विद्या-परिषद के एक सदस्य को नामित किये जाने पर विचार।

विद्या-परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विद्या-परिषद के माननीय सदस्य डा. बी.के.शर्मा, भौतिकी विभाग, के.जी.के. कालेज, मुरादाबाद को परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया ।

11. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.06.2006 के संकल्प संख्या 7.02 के अन्तर्गत किये गये निश्चयानुसार आई.ए.एस.ई. के अध्यादेशों को निरस्त किये जाने एवं उनके स्थान पर संकायाध्यक्ष की एक सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किये गये काम चलाऊ अध्यादेश को नियमित अध्यादेश तैयार होने तक की अवधि हेतु प्रभावी किये जाने से विद्या-परिषद को अवगत कराना और काम चलाऊ अध्यादेशों को आवश्यक संशोधनों सहित, जो कि शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 11.10.2007 में अनुमोदित किए जा चुके हैं, को नियमित अध्यादेश के रूप में अनुमोदित करने पर विचार।

उक्त प्रकरण पर विचार करते हुए विद्या-परिषद को अवगत कराया गया कि आई.ए.एस.ई. वस्तुतः इन्स्टीट्यूशन आफ एडवान्स स्टडी इन एजुकेशन नाम की मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की इन सर्विस तथा प्री. सर्विस टीचर ट्रेनिंग की एक योजना थी विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के माध्यम से 1995 में प्राप्त करायी गयी थी। इस योजना की आड़ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय 1973 की धारा-44 के अन्तर्गत इन्स्टीटयूट आफ एडवान्स स्टडी इन एजुकेशन के नाम से विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में एक संस्थान का गठन अध्यादेश के द्वारा कर दिया गया था जो अनियमित था। (क्योंकि संस्थान का

गठन अध्यादेश के रूप में न होकर परिनियम के रूप में होना चाहिये) उक्त अध्यादेश विधिक विसंगतियों से भरा हुआ था और जिसके कारण विश्वविद्यालय को अनेक गम्भीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मा. उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से इसकी जाँच कराने पर जब इसकी विसंगतियां उजागर हुईं तो कार्य परिषद ने इसे निरस्त कर दिया था। चूँकि विश्वविद्यालय के शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय के बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम इसके अभिन्न अंग थे इसलिए एक समिति द्वारा पाठ्यक्रम सम्बंधी अध्यादेश निर्मित करके उसे काम चलाऊ अध्यादेश के रूप में तात्कालिक प्रभाव से कार्य परिषद द्वारा लागू कर दिया गया था। इन काम चलाऊ अध्यादेश को दिनांक 11.10.2007 की सम्बंधित संकाय बोर्ड की बैठक द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ संस्तुत किया गया ।

उक्त तथ्यों से अवगत होकर गम्भीर विचारोपरान्त विद्या-परिषद ने उक्त संकाय बोर्ड द्वारा संस्तुत अध्यादेश का नियमित अध्यादेश के रूप में अनुमोदन किया और यह निर्णय लिया कि कार्य परिषद द्वारा उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत काम चलाऊ पाठ्यक्रम सम्बंधी अध्यादेश तब तक लागू रहेंगे जब तक संकाय बोर्ड द्वारा संस्तुत और विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित नियमित अध्यादेश लागू नहीं हो जाते।

विद्या-परिषद की मा. सदस्या प्रो. बीना शाह ने उक्त काम चलाऊ अध्यादेश को अवैधानिक बताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करायी। किन्तु विद्या-परिषद के शेष सदस्यों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया ।

11.(अ) शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 11.10.2007 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय बोर्ड की उक्त बैठक की अन्य संस्तुतियों का संकायाध्यक्ष द्वारा बैठक में विस्तृत उल्लेख किया गया, जिनका अनुमोदन करते हुए एम.एड.(वोकेशनल एजूकेशन) तथा एम. फिल (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की संस्तुति की गयी है। साथ ही इलैक्ट्रोनिक जर्नलिज्म तथा मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को क्रियान्वित कराने और एप्लाइड अंग्रेजी विभाग का परिनियमावली में प्रावधान कराने सम्बंधी शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 11.10.2007 की संस्तुतियों का अनुमोदन विद्या-परिषद द्वारा किया गया ।

12. विश्वविद्यालय परिसर में रिसर्च ओरिएन्टेशन स्टाफ कालेज स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि यह विश्वविद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित है इससे कुल 133 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। जिनमें से लगभग 50 महाविद्यालय शोध कार्यक्रम चलाते हैं। शोध कराने वाले पर्यवेक्षकों एवं शोधार्थियों को समुचित अध्ययन, विचार-विमर्श एवं रिसर्च ओरिएन्टेशन के अवसर पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाते। इन्टरनेट की सुविधा की उपलब्धता

बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण नगण्य है। इस कारण इस विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है जो चिन्ता का विषय है। अर्हताधारी अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना में की जानी वाली शोध उपाधियों की संख्या वर्तमान से दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए यह विश्वविद्यालय टेस्ट और छटनी के लिए आयोजित टेस्ट के माध्यम से शोधार्थियों की संख्या बहुत कम करना उपर्युक्त नहीं समझता है। आवश्यकता रिसर्च टेम्पर, शोध प्रवणता और शोध पर्यावरण के निर्माण की है। इसलिए विश्वविद्यालय परिसर में रिसर्च ओरिएन्टेशन का स्टाफ कालेज की स्थापना तात्कालिक अनिवार्यता है। बिना इसके विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में गुणवत्ता नहीं लायी जा सकती।

मा. कुलपति जी के उक्त विचारों से अवगत होने के उपरान्त विद्या-परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर में रिसर्च ओरिएन्टेशन स्टाफ कालेज की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया ।

13. विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

मा. कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने विद्या-परिषद को यह भी अवगत कराया कि रिसर्च ओरिएन्टेशन स्टाफ कालेज की स्थापना के साथ-साथ विश्वविद्यालय परिसर में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला की भी महती आवश्यकता है। शोध कार्य कराने वाले अधिकांश महाविद्यालयों में स्तरीय प्रयोगशाला का अभाव है और एक ही प्रकार के उपकरण अलग-अलग महाविद्यालयों स्तरीय प्रयोगशाला बनाने के लिए संसाधनों का अपव्यय होगा। इसलिए विश्वविद्यालय परिसर में एक ऐसी स्तरीय प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें नवीनतम उपकरण एवं मशीनें हों और समय प्रबन्धन के माध्यम से यह केन्द्रीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शोधार्थियों तथा पर्यवेक्षकों को हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। यह दूसरे विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को भी उनके आवेदन पर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

मा. कुलपति के उपर्युक्त विचारों से अवगत होने के उपरान्त विद्या-परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

14. संस्कृत विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 17.01.2005 एवं 23.08.2006 की संस्तुतियों एवं तद्नुसार स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाना।

विद्या-परिषद द्वारा इन पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करते हुए इसे तत्काल प्रभावी किये जाने का निश्चय किया गया ।

15. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 5.03 के अन्तर्गत उल्लिखित प्राविधान के अनुसार विश्वविद्यालय विद्या-परिषद में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच व्यक्तियों के सहयोजन पर विचार।

विद्या-परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अधोलिखित पांच व्यक्तियों का सहयोजन किया गया :-

1. डा. के.सी. यादव, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
2. डा. ए. नागप्पा, बी.आई.टी.एस. पिलानी
3. प्रो. एन.के.गुप्ता, आई.आई.एम., लखनऊ
4. डा. ए.के.मिश्रा, एम.एन.एन.आई.टी. इलाहाबाद।
5. प्रो. राधाकान्त वर्मा, चेयरमैन, इलाहाबाद राष्ट्रीय संग्रहालय, इलाहाबाद।

16. विभिन्न विषय पाठ्य समितियों द्वारा पुनरीक्षित किये गये निम्नलिखित पाठ्यक्रम विद्या-परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में उनके सम्मुख अंकित सत्र से प्रभावी किये जाने की सूचना से विद्या-परिषद को अवगत कराना :-

01.	इतिहास (स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर)	2005-06
02.	गणित (स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर)	2005-06
03.	शिक्षा-शास्त्र (स्नातक स्तर)	2006-07
04.	बी.एड. एवं एम.एड.	2005-06
05.	दर्शन शास्त्र (स्नातकोत्तर स्तर पर)	2005-06
06.	अंग्रेजी (स्नातकोत्तर स्तर पर)	2005-06
07.	वाणिज्य (स्नातकोत्तर स्तर पर)	2006-07
08.	शारीरिक शिक्षा (स्नातक स्तर पर)	2006-07
09.	फैशन डिजाइनिंग (स्नातक स्तर पर)	2004-05

विद्या-परिषद अवगत हुई।

17. फारसी विषय पाठ्य समिति के संयोजक डा. मोहसिन एवं सदस्य डा. सदरे आलम, द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर तैयार किये गये फारसी विषय के पाठ्यक्रम का अनुमोदन कर इसे सत्र 2007-08 से प्रभावी किये जाने पर विचार।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रम का अनुमोदन करते हुए इसे सत्र 2007-08 से प्रभावी किये जाने का निश्चय किया गया ।

18. विश्वविद्यालय के प्लान्ट साइंस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को उपाधि/अंकतालिका **"Plant Science (Botany)"** एवं हिन्दी रूपान्तर **"पादप विज्ञान (वनस्पति विज्ञान)"** नाम से दिये जाने सम्बन्धी प्लान्ट साइंस विभाग के शिक्षकों एवं संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय के प्रस्ताव पर विचार।

<u>नोट :-</u> विदित हो उक्त पाठ्यक्रम के छात्र यदि कहीं मौखिकी अथवा नौकरी की परीक्षा आदि में सम्मिलित होने जाते हैं तो पाठ्यक्रम का नाम **Plant Science** होने के कारण उसकी मान्यता के सम्बन्ध में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश अवसर पूर्व प्रचलित नाम **Botany** के अध्ययन, अध्यापन अथवा मूल अर्हता के होते हैं।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

19. विश्वविद्यालय के एनीमल साइंस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को उपाधि/अंकतालिका **"Animal Science (Zoology)"** एवं हिन्दी रूपान्तर **"जन्तु विज्ञान/प्राणी विज्ञान "** नाम से दिये जाने सम्बन्धी एनीमल साइंस विभाग के शिक्षकों एवं संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय के प्रस्ताव पर विचार।

<u>नोट :-</u> विदित हो उक्त पाठ्यक्रम के छात्र यदि कहीं मौखिकी परीक्षा आदि में सम्मिलित होने जाते हैं तो पाठ्यक्रम का नाम **Animal Science** होने के कारण उसकी मान्यता के सम्बन्ध में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि वास्तव मे **Animal Science** एवं **Zoology** में कोई अन्तर नहीं है।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार किये गये प्रकरण :-

20. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संकायाध्यक्ष, दन्त विज्ञान संकाय प्रो0 नीलिमा गुप्ता ने विद्या-परिषद को अवगत कराया कि डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा बी.डी.एस. एवं एम.डी.एस. पाठ्यक्रम हेतु नया अध्यादेश तैयार किया गया है। उन्होनें इस नये अध्यादेश को विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभावी किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया । साथ ही एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा तैयार किये गये अध्यादेश को यथावत् प्रभावी किये जाने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

विद्या-परिषद द्वारा इन अध्यादेशों को स्वीकार करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से प्रभावी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई एवं यह भी निश्चय किया गया कि समय-समय पर डी.सी.आई. एवं

एम.सी.आई. से प्राप्त अध्यादेशों के संशोधनों को तत्काल प्रभाव से यथावत् प्रभावी किया जाये। साथ ही डी.सी.आई. एवं एम.सी.आई. के अध्यादेशों के अनुरूप Faculy of Dental Science एवं Faculty of Medical Science के अन्तर्गत निम्नलिखित विभागों को सम्मिलित करने हेतु परिनियमावली में प्राविधान किये जाने की विद्या-परिषद ने अनुमति प्रदान की :-

(अ) **Faculy of Dental Science (B.D.S.)** के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग होंगे :-

1. Anatomy

2- Physiology

3- Bio-Chemistry

4- Pathology and Micro Biology

5- Pharmocology

6- General Medicine

7- General Surgery

8- Oral Pathology, Microbiology & Forensic Odontology

9- Prosthodontics, Crown Bridge, Aesthetic Dentistry and Oral Implantology

10- Oral Medicine and Raidology

11- Pedodontics and Preventive Dentistry

12- Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics

13- Public Health Dentistry

14- Conservative, Endodontics and Esthetic Dentistry

15- Perodontics and Oral Implantology

16- Oral and Maxillofacial Surgery and Oral Implantology

17- Dental Anatomy

(ब) **Faculy of Medical Science (M.B.B.S.)** के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग होंगे :-

1. Anatomy

2- Physiology

3- Biochemistry

4- Pathology

5- Microbiology

6- Pharmocology

7- Forensic Medicine

8- Opthalmology

9- E.N.T.

10- Community Medicine

11- General Medicine

12- Psychiatry

13- Dermatology

14- Chest & TB

15- General Surgery

16- Orthopaedics

17- Anaesthesiology

18- Dental Science

19- Radiology

20- Obstetrics & Gynaecology

21-Paediatrics

21. संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय द्वारा प्रस्तुत रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव पर विचार :-

1. एम.एस.सी. इन मेडिकल एनोटामी

2. एम.एस.सी. इन मेडिकल फिजियोलॉजी

3. एम.एस.सी. इन मेडिकल बायो कैमेस्ट्री

4. एम.एस.सी. इन मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी

5. बेचलर डिग्री इन नैचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस।

विद्या-परिषद द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया गया ।

22. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम के सम्बंध में तदर्थ गठित बोर्ड ऑफ स्टडीज की संस्तुतियों पर विचार करने के बाद उन संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया ।

23. शासन द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न अनिवार्य विषयों :- शारीरिक शिक्षा, पर्यावरण विज्ञान, राष्ट्र गौरव, साम्प्रदायिक सद्भाव तथा मानवाधिकार के सम्बंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इनके अध्ययन, अध्यापन, परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन व्यवस्था के सम्बंध में एक समिति गठित की जाए जो अपनी आख्या कुलपति जी को प्रस्तुत करे। प्राप्त संस्तुतियों पर आवश्यक निर्णय लेने हेतु विद्या-परिषद द्वारा मा.कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

24. विश्वविद्यालय में शोधार्थियों हेतु आयोजित की जाने वाली कार्यशाला (**Workshop**)के औचित्य के विषय में कुछ सदस्यों ने प्रश्न उठाये और इसकी उपयोगिता के विषय में संदेह व्यक्त किया। इस पर विद्या-परिषद में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। अनेकों सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने शोधार्थियों हेतु आयोजित की जाने वाली कार्यशाला के औचित्य और इसकी उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए सदस्यगण की जिज्ञासा को शान्त किया ।

इसके उपरान्त माननीय सदस्य प्रो0 नीलिमा गुप्ता, डा0 रीना जायसवाल आदि अनेक सदस्यों ने इस सम्बनध में अपने अनुभवों से विद्या-परिषद को अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये इस कदम की सराहना की। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कार्यशाला में सम्मिलित होने वाले शोध छात्रों ने विश्वविद्यालय के इस प्रयास को बहुत सराहा है। प्रो0 नीलिमा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने स्वयं कार्यशाला में सम्मिलित हुए शोध छात्रों की प्रतिक्रिया कार्यशाला के विषय में जानी। छात्र बहुश खुश थे और सभी शोधार्थियों ने यह अनुभव किया कि इस कार्यशाला में भाग लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। विद्या-परिषद की बैठक में इस प्रकार हुए विस्तृत विचार विमर्शोपरान्त शोध छात्रों हेतु कार्यशाला आयोजित कराने वाले प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों जैसे प्रो. आर.पी. भटनागर ने भी इसकी सराहना की। विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि शोधार्थियों के लिए कार्यशालाओं का यह क्रम जारी रखा जाये।

25. संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय द्वारा शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकायान्तर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को संचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

(अ) मास मीडिया एजूकेशन विभागान्तर्गत

1- Certificate in Radio Jockeying

2- Certificate in News Anchoring for Broadcast Media

3- Certificate in Video Editing.

(ब) अनुप्रयुक्त दर्शन-शास्त्र विभागान्तर्गत

M.A./M.Sc. in Comprehensive Environment Studies : Focussed on the Management of Man made and Natural Environment.

विद्या-परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं संकायाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का अनुमोदन भी किया गया ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद विसर्जित हुई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव/सचिव

विद्या–परिषद की आपात बैठक दिनांक 27.08.2009 का कार्यवृत्त

संख्याः 01 / 2009
समयः मध्यान्ह 12:00 बजे
स्थानः समिति कक्ष, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय भवन

उपस्थिति

1.	प्रो0 सत्यपाल गौतम, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री वी.पी. सिंह, धामपुर	सदस्य
3.	प्रो0 एम.आई. सिद्दीकी	सदस्य
4.	प्रो0 रीना	सदस्य
5.	डा0 एम.के. धस्माना	सदस्य
6.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता	सदस्य
7.	प्रो0 एन.पी. सिंह	सदस्य
8.	प्रो0 ए.के. गुप्ता	सदस्य
9.	विभागाध्यक्ष, रीजनल एण्ड एप्लाइड इक्नोमिक्स	सदस्य
10.	प्रो0 के.बी. सिंह	सदस्य
11.	प्रो0 ए.के. जेटली	सदस्य
12.	प्रो0 गिरिजेश कुमार	सदस्य
13.	विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
14.	विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान विभाग	सदस्य
15.	विभागाध्यक्ष, एप्लाइड फिजिक्स विभाग	सदस्य
16.	विभागाध्यक्ष, एप्लाइड कैमिस्ट्री विभाग	सदस्य
17.	विभागाध्यक्ष, एप्लाअड मैथ्स विभाग	सदस्य
18.	विभागाध्यक्ष, मानविकी विभाग विभाग	सदस्य
19.	विभागाध्यक्ष, एम.बी.ए. विभाग विभाग	सदस्य
20.	विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नालाजी	सदस्य
21.	विभागाध्यक्ष, इन्स्ट्रूमेंटेशन विभाग	सदस्य
22.	विभागाध्यक्ष, कैमिकल इंजीनियरिंग विभाग	सदस्य
23.	डा0 शिव शंकर कटियार	सदस्य
24.	डा0 ए.बी.एल. लखटकिया	सदस्य
25.	डा0 पी.के. जैन	सदस्य
26.	डा0 मंजरी त्रिपाठी	सदस्य
27.	डा0 राकेश कुमार गुप्ता	सदस्य
28.	डा0 प्रेमनाथ अरोरा	सदस्य
29.	डा0 पी.बी. मिश्रा	सदस्य
30.	डा0 प्रदीप जौहरी	सदस्य
31.	डा0 एम.के. सिंह	सदस्य
32.	डा0 एस.एस. वार्ष्णेय	सदस्य

33. डा0 वेदपाल सिंह सदस्य
34. डा0 पी.के. शर्मा सदस्य
35. प्रो0 पी.के. यादव सदस्य
36. प्रो0 वी.पी. सिंह सदस्य
37. प्रो0 ए.के. शर्मा सदस्य
38. प्रो0 ए.के. सिन्हा सदस्य
39. प्रो0 एन.एन. पाण्डेय सदस्य
40. प्रो0 बी.आर. कुकरेती सदस्य
41. डा0 ए.एस. यादव सदस्य
42. डा0 स्वीटी तलवाड़ सदस्य
43. डा0 ब्रजपाल सिंह सदस्य
44. डा0 अमिताभ मिश्रा सदस्य
45. डा0 राजकमल सदस्य
46. श्री डी.एस. नेगी सदस्य
47. डा0 शिव सिंह सदस्य
48. डा0 के.के. चौधरी सदस्य
49. डा0 शोभना सिंह सदस्य
50. डा0 श्याम बिहारी लाल सदस्य
51. डा0 बालकृष्ण पाण्डेय सदस्य

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त माननीय सदस्यगण का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ हुआ।

कुलसचिव महोदय द्वारा माननीय सदस्यगण को आज आपात बैठक आहूत किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये हिन्दी विषय के विवादित पाठ्यक्रम के विषय में निम्नवत् ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है–

1. कुलसचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सर्वप्रथम दिनांक 21 अप्रैल 2008 को विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई हिन्दी विषय पाठ्य समिति की बैठक में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी विषय का नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2008–09 से प्रभावी किये जाने हेतु तैयार किया गया, जिसे कुलपति महोदय के आदेशानुसार विद्यापरिषद के अनुमोदन की

प्रत्याशा में सत्र 2008–09 से प्रभावी किये जाने का अनुमोदन किया गया। तदोपरान्त समस्त महाविद्यालयों को इस नवीन पाठ्यक्रम को प्रभावी किये जाने हेतु पत्र निर्गत किये गये।

नवीन पाठ्यक्रम प्रभावी होने पर स्थानीय प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओ द्वारा अपनी आपत्ति व्यक्त की गयी और यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विचाराधीन प्रस्तुत किया गया। इसको लेकर छात्र–छात्राओं में भ्रम की स्थिति बनी रही कि सत्र 2008–09 में हिन्दी विषय का नवीन पाठ्यक्रम प्रभावी रहेगा अथवा पुराना।

इसके उपरान्त यह प्रकरण प्राचार्य बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिये गये निर्णय के अनुसार संशय की स्थिति समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.10.2008 के निर्णय की सत्र 2008–09 में दोनों ही पाठ्यक्रम नवीन एवं पुराने, प्रभावी रहेंगे, से माननीय प्राचार्यगण को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में माननीय प्राचार्यगण से यह भी निवेदन किया गया कि वह विलम्बतम् दिनांक 10.01.2009 तक विश्वविद्यालय को यह भी अवगत करायें कि उनके महाविद्यालय में हिन्दी विषय का पठन–पाठन पूर्व से प्रभावी पाठ्यक्रम के अनुसार हो रहा है अथवा सत्र 2008–09 से प्रभावी नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार, जिससे कि इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

अन्त में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 24.07.2009 के अनुपालन में हिन्दी विषय पाठ्यसमिति की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में सत्र 2009–10 से प्रभावी किये जाने हेतु हिन्दी विषय के नवीन पाठ्यक्रम को (स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर) तैयार किया गया, जिसे आज विद्या परिषद की बैंठक में अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

विद्यापरिषद द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त हिन्दी विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 31.07.2009 में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी विषय के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम सत्र 2009–10 से प्रभावी किये जाने का निश्चय किया गया।

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विद्या परिषद द्वारा विचार कर निश्चय किया गया।

02. विद्या परिषद की माननीय सदस्या डा0 प्रमोद बाला मिश्रा संस्कृत विभाग बरेली कालेज, बरेली ने वर्तमान में प्रभावी संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अवगत कराया कि उक्त पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों को कठिनाई हो रही है। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन किये जाने पर जोर दिया।

विद्या–परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर संयोजक, संस्कृत विषय पाठ्य समिति को अधिकृत किया कि वह यथा आवश्यक संशोधन कर अति–शीघ्र पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित कर लें। तदनुसार पुनरीक्षित पाठ्यक्रम सत्र 2009–10 से प्रभावी किये जाने की विद्यापरिषद द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।

03. बी.सी.ए./एम.सी.ए. विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 20.09.2008, जिसमें बी.सी.ए., एम.सी.ए. एवं सी.एस.आई.टी. पाठ्यक्रमों को पुनरीक्षित कर सत्र 2009–10 से प्रभावी किये जाने की संस्तुति की गयी है, पर विद्या–परिषद द्वारा विचार किया गया।

विद्यापरिषद द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श कर विषय पाठ्य समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया एवं सत्र 2009–10 से पाठ्यक्रम को प्रभावी किये जाने का निश्चय किया गया।

04. बायोटेक्नोलाजी एवं माइक्रोबायोलोजी विषय पाठ्यसमिति की बैठक दिनांक 14.03.08 जिसमें स्नातक स्तर पर माइक्रोबायोलाजी एवं बायोटेक्नोलाजी का पाठ्यक्रम तैयार कर सत्र 2007–08 से प्रभावी किये जाने की संस्तुति की गयी थी, पर विद्यापरिषद द्वारा विचार किया गया।

विदित हो कि उक्त पाठ्यक्रम विद्या–परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सत्र 2007–08 से प्रभावी किया जा चुका है। अतः तद्सम्बन्धी कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26.07.2008 का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

05. एम.एससी.(पर्यावरण विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु गठित विषय पाठ्यसमिति द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम जो वर्तमान में प्रभावी है, का विद्या–परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

06. स्नातक स्तर पर विधि विषय का पाठ्यक्रम बार काउन्सिल आफ इण्डिया के निर्देशानुसार सैमिस्टर प्रणाली के अन्तर्गत पुनरीक्षित/संशोधित कर सत्र 2009–10 से प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में विद्या–परिषद द्वारा संकाय बोर्ड की बैठक आहूत कर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

07. विद्यापरिषद द्वारा विभिन्न शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को नोट किया जाना।

विद्यापरिषद द्वारा शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को नोट किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद विसर्जित हुई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव/सचिव

विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 09.08.2011 का कार्यवृत्त

संख्याः 01/2011
समयः मध्यान्ह 12:30 बजे
स्थानः समिति कक्ष, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय भवन

उपस्थिति

1. प्रो0 सत्यपाल गौतम, कुलपति — अध्यक्ष
2. श्री वी.के. सिंह, धामपुर — सदस्य
3. प्रो0 ए. के. सिन्हा, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
4. डा0 आई. सी. कश्यप, बरेली — सदस्य
5. प्रो0 रीना, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
6. प्रो0 वी. पी. सिंह, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
7. डा0 सुमन गुप्ता, धामपुर — सदस्य
8. प्रो0 ए.के. शर्मा, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
9. प्रो0 एन.पी. सिंह, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
10. विभागाध्यक्ष, एनीमल साइंस विभाग — सदस्य
11. विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त क्लीनिकल साइकोलोजी विभाग — सदस्य
12. विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त दर्शनशास्त्र विभाग — सदस्य
13. विभागाध्यक्ष, एप्लाइड इंग्लिस विभागब — सदस्य
14. विभागाध्यक्ष, एप्लाइड फिजिक्स विभाग — सदस्य
15. विभागाध्यक्ष, एप्लाइड कैमिस्ट्री विभाग — सदस्य
16. विभागाध्यक्ष, एप्लाअड मैथ्स विभाग — सदस्य
17. विभागाध्यक्ष, फार्मेसी विभाग — सदस्य
18. विभागाध्यक्ष, पौढ़ सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग — सदस्य
19. विभागाध्यक्ष, एम.बी.ए. विभाग — सदस्य
20. विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग — सदस्य
21. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंफार्मेशन टैक्नोलॉजी विभाग — सदस्य
22. विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग — सदस्य
23. विभागाध्यक्ष, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग — सदस्य
24. डा0 एस. एस. कटियार, धामपुर
25. डा0 एस. एल. पाल, धामपुर — सदस्य
26. डा0 रमेश सिंह, धामपुर — सदस्य
27. डा0 वी. पी. सिंह, धामपुर — सदस्य
28. डा0 आर. एन. शर्मा, मुरादाबाद — सदस्य
29. डा0 कुहू दत्त गुप्ता, बरेली — सदस्य
30. श्रीमती सन्तोष सिंह, बरेली — सदस्य
31. डा0 एम. एन. हक, बरेली — सदस्य

32.	डा0 सन्धया मिश्रा	
33.	डा0 एस. के. शर्मा, पीलीभीत	सदस्य
34.	डा0 अनीत जौहरी, बरेली	सदस्य
35.	डा0 मुकेश चन्द्र, बरेली	सदस्य
36.	डा0 पी. के. शर्मा, बरेली	सदस्य
37.	डा0 एस.पी. बरेली	सदस्य
38.	डा0 के. ए. गुप्ता, मुरादाबाद	सदस्य
39.	प्रो0 गिरजेश कुमार, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
40.	प्रो0 ए. के. गुप्ता, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
41.	प्रो0 ए. के. जेटली, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
42.	प्रो0 बी. आर. कुकरती	सदस्य
43.	डा0 ए. एस. यादव, कछला	सदस्य
44.	डा0 आर. पी. सिंह, बरेली	सदस्य
45.	डा0 श्रीमती रानी त्रिपाठी, शाहजहांपुर	सदस्य
46.	डा0 अमिताभ मिश्रा, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
47.	श्री डी.एस. नेगी	सदस्य
48.	श्री0 एम. एस. करूणा, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
49.	डा0 एम. एस. अग्रवाल, बदायूँ	सदस्य
50.	डा0 नसीम अख्तर, बरेली	सदस्य
51.	डा0 बिजय बहादुर सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
52.	डा0 योगेन्द्र प्रसाद, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
53.	डा0 श्याम बिहारी लाल, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
54.	डा0 पी. पी. सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
55.	श्री वी. पी. कौशल, कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य
		सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त माननीय सदस्यगण का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ हुआ।

1. विद्या परिषद की आपात बैठक दिनांक 27.08.2009 में कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किया जाना।

   विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

2. विद्या परिषद की आपात बैठक दिनांक 27.08.2009 के कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से विद्या परिषद को अवगत कराना।

   परिषद अवगत हुई।

3. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 29.10.2007 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किया जाना।

परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

4. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 29.10.2007 के कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से विद्या परिषद को अवगत कराना।

विद्या परिषद अवगत हुई।

5. महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा नवम्बर, 2010 में कुलपतियों के सम्मेलन में दिये गये आदेशानुरूप समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर न्यूनतम समान्य पाठ्यकम लागू किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 30.06.2011 तथा 23.07.2011 को लखनऊ में सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों को कार्यन्वित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आहूत विभिन्न विषय पाठ्य समितियों की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषय पाठ्य समितियों की संस्तुतियों से परिषद को अवगत कराया गया:—

1.	बी0वी0ए0	8.	समाजशास्त्र	15.	चित्रकला	22.	जन्तु विज्ञान
2.	बी0सी0ए0	9.	शिक्षा शास्त्र	16.	राजनीति विज्ञान	23.	वनस्पति विज्ञान
3.	बी0टेक0	10.	उर्दू	17.	संगीत	24.	गणित
4.	बी0एच0एम0 एण्ड सी0टी0	11.	फारसी	18.	गृहविज्ञान	25.	सांख्यिकी
5.	बी0फार्मा0	12.	भूगोल	19.	दर्शनशास्त्र	26.	सैन्य अध्ययन
6.	हिन्दी	13.	इतिहास	20.	भौतिक विज्ञान	27.	वाणिज्य
7.	अंग्रेजी	14.	अर्थशास्त्र	21.	रसायन विज्ञान	28.	मनोविज्ञान
						29.	बी0लिब0
						30	बी0एस-सी0 कृषि

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त समस्त विषय पाठ्य समितियों की संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया एवं निश्चय किया गया कि स्नातक स्तर पर सत्र 2011–12 से प्रथम वर्ष में तद्नुसार उपर्युक्त समस्त पाठ्कम प्रभावी किये जाये।

उक्त के कम में कुछ माननीय सदस्यगण ने हिन्दी विषय में वर्तमान में स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष के प्रभावी पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट एवं मौखिकी की व्यवस्था को अनुचित मानते हुए इस पर आपत्ति व्यक्त की, अतः व्यवस्था को पाठ्यकम से हटाने पर विचार किया गया।

विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रकरण को हिन्दी विषय पाठ्य समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था पर कार्यान्वन स्थगित किया जाये।

06. पूर्व में निम्नलिखित विषयों की विषय पाठ्य समिति द्वारा संस्तुत संशोधित/पुनरीक्षित पाठ्यकम उनके समुख अंकित सत्र से विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रभावी किये गये हैं, से विद्या परिषद को अवगत कराना।

क0स0	विषय पाठ्य समिति	प्रभावी सत्र
1.	एम0एस–सी0 होम साइंस दिनांक 22.12.2009	सत्र 2009–10 से प्रभावी
2.	एम0ए0 एप्लाइड इंग्लिश	सत्र 2009–10 से प्रभावी
3.	एम0एस–सी0 पर्यावरण विज्ञान दिनांक 21.08.2010	सत्र 2010–11 से प्रभावी
4.	बी0एड0 स्पेशल/वोकेशनल/कम्प्यूटिंग	सत्र 2010–11 से प्रभावी
5.	एम0ए0 मनोविज्ञान दिनांक 18.01.2008	सत्र 2010–11 से प्रभावी
6.	अर्थशास्त्र (स्नातक/स्नातकोत्तर) दिनांक 05.12.2009	सत्र 2010–11 से प्रभावी
7.	समाजशास्त्र (स्नातक/स्नातकोत्तर) दिनांक 27.08.2010	सत्र 2010–11 से प्रभावी
8.	एलएल0बी0 पंचवर्षीय दिनांक 25.04.2009	सत्र 2009–10 से प्रभावी
9.	एलएल0बी0 त्रिवर्षीय (छः सेमेस्टर) एवं एलएल0एम0 दो वर्षीय (चार सेमेस्टर) दिनांक 06.03.2010	सत्र 2009–10 से प्रभावी

विद्या परिषद अवगत हुई एवं परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

7. निम्नलिखित विषय पाठ्यसमितियों द्वारा संस्तुत (सत्र 2011–12 प्रारम्भ किये जाने हेतु) पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार :

1. बी0एड0 / एम0एड0 दिनांक 31.08.2010 2. एम0एस–सी0 रसायन विज्ञान

विद्या परिषद द्वारा उक्त विषय पाठ्य समितियों की संस्तुतियों का अनुमोदन किया एवं इन पाठ्यक्रमों को सत्र 2011–12 से प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

8. विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के एक सदस्य के रूप में विद्या परिषद के एक सदस्य को विद्यापरिषद द्वारा नामित किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा परीक्षा समिति के एक सदस्य के रूप में विद्या परिषद का एक सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

9. विधि अध्ययन संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 12.06.2010 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उक्त विधि अध्ययन संकाय बोर्ड की संस्तुतियों के अनुमोदित किया गया।

10. दिनांक 20.04.2009 से दिनांक 23.07.2011 के मध्य सम्पन्न हुई विभिन्न शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को नोट किया जाना।

विद्या–परिषद द्वारा उक्त शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को नोट किया गया।

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से विचाराणीय मदः

11. अधिनियम की धारा 25(2) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार शैक्षिक प्रतिष्ठा के पांच सदस्यों का चयन किये जाने पर विद्या परिषद द्वारा विचार किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त विद्या–परिषद द्वारा पांच सदस्यों का चयन किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत किया गया।

12. उन्नत समाजिक विद्यान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 03.08.2011 की संस्तुतियों पर विद्या–परिषद द्वारा विचार किया गया एवं इसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

13. अभियन्त्रिकी तथा प्राद्योगिक संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 18.06.2010 की संस्तुतियों पर विद्या–परिषद द्वारा विचार किया गया।

कुलपति महोदय ने विद्या परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर उच्च तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु भारत सरकार के मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने इस विश्वविद्यालय को 10 करोड़ का वित्तीय अनुदान प्रदान किया है। उक्त अनुदान प्राप्त करने वाला प्रदेश का यह एक मात्र विश्वविद्यालय है। इस निमित्त विश्वविद्यालय के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारम्भ करना होगा एवं शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि आयोजित करने होंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श कर योजना तैयार करने हेतु संकाय बोर्ड की उक्त बैठक आयोजित की गई।

संकार्य बोर्ड की संस्तुतियों के सम्बन्ध में विद्या परिषद के माननीय सदस्य डा0 मनोज कुमार सिंह ने विस्तारपूर्वक विद्या परिषद को अवगत कराया, जिसके अनुसार बी0टेक अध्यादेश को संशोधित किये जाने, एम0टेक पाठ्यकम प्रारम्भ करने आदि समस्त संस्तुतियों से विद्या–परिषद अवगत हुई एवं विद्या–परिषद द्वारा संकाय बोर्ड की उक्त संस्तुतियां अनुमोदित की गई।

14. बरेली कालेज, बरेली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त 10 लाख के वित्तीय अनुदान के साथ एम.ए.–मानवाधिकार (MA in Human Rights)पाठ्यकम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में विद्या–परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त करते हुए निश्चय किया गया कि नियमानुसार उक्त से सम्बन्धित विषय पाठ्य समिति गठित कर उसके माध्यम से एम.ए. मानवाधिकार पाठ्यकम प्रारम्भ करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 26.04.2013 का कार्यवृत्त

संख्या: 01/2013,

समय : मध्यान्ह 12.00 बजे

स्थान : शिक्षा एवं सहबद्ध संकाय भवन सभागार, विश्वविद्यालय परिसर

उपस्थितिः

1.	प्रो0 मो0 मुज़म्मिल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा0 राजेश सिंह चौहान, धामपुर	सदस्य
3.	प्रो0 ए0के0 सिन्हा, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
4.	डा0 एल0एन0 अग्रवाल	सदस्य
5.	प्रो0 रीना जायसवाल, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
6.	डा0 के0 ए0 गुप्ता, मुरादाबाद	सदस्य
7.	प्रो0 वी0पी0 सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
8.	प्रो0 बी0आर0 कुकरेती, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
9.	प्रो0 पी0के0 यादव, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
10.	प्रो0 एस0एम0 सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
11.	डा0 एम0के0 सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
12.	डा0 रमाकान्त, धामपुर	सदस्य
13.	डा0 एस0एल0 पाल, धामपुर	सदस्य
14.	डा0 राजेश कुमार यादव, धामपुर	सदस्य
15.	श्री वी0पी0 सिंह, धामपुर	सदस्य
16.	डा0 (श्रीमती) स्वीटी तलवाड़, मुरादाबाद	सदस्य
17.	डा0 कुहू दत्त गुप्ता, बरेली	सदस्य
18.	डॉ0 आर0यू0 सिद्दीकी, बदायूँ	सदस्य
19.	श्रीमती संतोष सिंह, बरेली	सदस्य
20.	डॉ0 एम0एन0 हक़, बरेली	सदस्य
21.	डॉ0 मो0 सदरे ऑलम, बरेली	सदस्य
22.	डॉ0 हेतराम सिंह, मुरादाबाद	सदस्य
23.	डॉ0 संध्या मिश्रा, बरेली	सदस्य
24.	डॉ0 आर0पी0 अग्रवाल, पीलीभीत	सदस्य
25.	डॉ0 शशि बाला राठी, बरेली	सदस्य
26.	डॉ0 के0के0 अंगीरा, रामपुर	सदस्य
27.	डॉ0 के0 आर0 कण्डपाल, पीलीभीत	सदस्य
28.	डॉ0 अनीता जौहरी, बरेली	सदस्य
29.	श्रीमती शुभा गोयल, मुरादाबाद	सदस्य
30.	डॉ0 ए0सी0 त्रिपाठी, बरेली	सदस्य
31.	डॉ0 श्रीमती शुभ्रा कटारा, बरेली	सदस्य
32.	डा0 ए0ए0 सिद्दीकी, रामपुर	सदस्य
33.	प्रो0 गिरिजेश कुमार, वि0वि0 परिसर	सदस्य
34.	प्रो0 ए0के0 सरकार, वि0वि0 परिसर	सदस्य
35.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, वि0वि0 परिसर	सदस्य
36.	प्रो0 ए0के0 जेटली, वि0वि0 परिसर	सदस्य
37.	प्रो0 एन0एन0 पाण्डेय, वि0वि0 परिसर	सदस्य
38.	प्रो0 एन0पी0 सिंह, वि0वि0 परिसर	सदस्य
39.	डा0 एल0वी0 रॉवल, धामपुर	सदस्य
40.	डॉ0 नलिनी श्रीवास्तव, वि0वि0 परिसर	सदस्य

41. डॉ0 संजय मिश्रा, वि0वि0 परिसर	सदस्य
42. डॉ0 संजय कुमार गर्ग, वि0वि0 परिसर	सदस्य
43. डॉ0 वीरेन्द्र सिंह, बरेली	सदस्य
44. डॉ0(श्रीमती) अर्पिता डे, बदायूँ	सदस्य
45. डॉ0 श्याम बिहारी लाल, वि0वि0 परिसर	सदस्य
46. डॉ0 प्रेमपाल सिंह, वि0वि0 परिसर	सदस्य
47. डॉ0 योगेन्द्र प्रसाद, वि0वि0 परिसर	सदस्य
48. डॉ0 विजय बहादुर सिंह, वि0वि0 परिसर	सदस्य
49. प्रो0 बी0एल0 शाह, नैनीताल	सदस्य
50. डॉ0 के0 एन0 पाण्डेय, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यगण का स्वागत किया। इसके उपरान्त कुलसचिव ने माननीय सदस्यगण से अनुरोध किया कि चूंकि वर्तमान कुलपति एवं कुलसचिव के कार्यकाल में प्रथम बार विद्या परिषद की बैठक आहूत हुई है, अतः माननीय सदस्य गण अपना–अपना परिचय प्रस्तुत करने की कृपा करें। इस पर समस्त माननीय सदस्यगण ने अपना परिचय प्रस्तुत किया। तदोपरान्त विद्या परिषद की बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ हुआ।

1. विद्या परिषद की गत बैठक दिनांक 09.08.2011 के कार्यवृत्त की संम्पुष्टि किया जाना।

   विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

2. विद्या परिषद की गत बैठक दिनांक 09.08.2011 के कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से विद्या परिषद को अवगत कराना।

   विद्या परिषद अवगत हुई।

3. दिनांक 28.09.2012 को सम्पन्न हुई वाणिज्य विषय पाठ्य समिति की बैठक, जिसके अन्तर्गत आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहजहाँपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत एवं अनुदानित त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बी0कॉम, वित्तीय सेवायें (फाइनेन्शियल सर्विसेज) की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा बी0काम0 (कम्प्यूटर) के पाठ्यक्रम में निम्न संशोधन किये गये हैं, का अनुमोदन किया जानाः–

   अ. ग्रुप में (ए.बी.सी.डी.) प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30 प्रतिशत न्यूनतम की जो अनिवार्यता है उसे समाप्त किया जाना चाहिये।

   ब. ग्रुप में 40 प्रतिशत अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाना चाहिये।

स. ग्रेस मार्क 03 अंक की सुविधा अन्य विषयों में जैसे उपलब्ध है प्रदान की जाये।

द. कम्प्यूटर ग्रुप (ग्रुप डी0) टैली को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्तानुसार ग्रुप के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30 प्रतिशत न्यूनतम अंको की अनिवार्यता समाप्त किये जाने एवं ग्रुप में 40 प्रतिशत अनिवार्यता को भी समाप्त किये जाने सम्बन्धी संस्तुति को पुनः विषय पाठ्य समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट किया गया एवं विषय पाठ्य समिति की शेष संस्तुतियों को यथावत अनुमोदित किया गया।

4. दिनांक 03.10.2012 को सम्पन्न हुई एनीमल साइन्स विषय पाठ्य समिति की बैठक में तैयार किये गये एम.एस.सी0 एनीमल साइन्स के नवीन पाठ्यक्रम जो सत्र 2012–13 से सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तैयार किया गया है एवं प्रभावी किया जा चुका है, पर विद्या परिषद का अनुमोदन किया जाना।

   विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

5. दिनांक 20.10.12 को सम्पन्न हुई बी.टेक (इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेशन) पाठ्यक्रम समिति की बैठक में (चार वर्षीय) आठ सेमेस्टर के उक्त पाठ्यक्रम को सत्र 2012–13 से प्रभावी किये जाने की संस्तुति की गई है, का अनुमोदन किया जाना।

   विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

6. दिनांक 27.01.12 को सम्पन्न हुई प्लाण्ट साइन्स (पादप विज्ञान) विषय पाठ्य समिति की बैठक में एम.एस.सी. (प्लान्ट साइंस) के नवीन पाठ्यक्रम जो सत्र 2012–13 से सेमेस्टर प्रणाली के अनुरूप तैयार किया गया है एवं लागू किया जा चुका है, का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाना।

   विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

7. दिनांक 22.12.2012 को सम्पन्न हुई मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक जिसके द्वारा प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति, क्षेत्रीय एवं व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत् प्रसार विषय पाठ्य समिति की संस्तुतियों, जिसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू किया गया है, का अनुमोदन किया जाना।

   विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

8. बी0एड0 / एम0एड0 विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 10.09.2012 की संस्तुतियों जिसके अन्तर्गत एप्लाइड एम0एड0 (सेमेस्टर सिस्टम) के पाठ्यक्रम पर विद्या परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

9. दिनांक 19.09.2012 को सम्पन्न हुई अनुप्रायुक्त भौतिक शास्त्र (एप्लाइड फिजिक्स) पाठ्यक्रम समिति की बैठक द्वारा तैयार किये गये चार सेमेस्टर (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम, जो सत्र 2012–13 से प्रभावी है, का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

10. दिनांक 30.08.12 को सम्पन्न हुई अनुप्रायुक्त रसायन शास्त्र (एप्लाइड कैमेस्ट्री) विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक में तैयार किये गये चार सेमेस्टर (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम जो सत्र 2012–13 से प्रभावी है, का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

11. दिनांक 06.08.12 को सम्पन्न हुई अनुप्रायुक्त गणित (एप्लाइड मैथ) पाठ्यक्रम समिति की बैठक में तैयार किये गये चार सेमेस्टर (दो वर्षीय) के पाठ्यक्रम, जो सत्र 2012–13 से प्रभावी है, का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

12. विभागाध्यक्ष, मीडिया एजूकेशन, विश्वविद्यालय परिसर से प्राप्त विषय पाठ्य समिति द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम जो सत्र 2012–13 से प्रभावी है, पर विद्या परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जानां।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

13. दिनांक 07.08.12 को सम्पन्न हुई एम0ए0 एप्लाइड अंग्रेजी विषय पाठ्य समिति की बैठक जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली के अनुरुप तैयार किया गया है एवं सत्र 2012–13 से प्रभावी किया जा चुका है , की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

14. बी0लिव0 (पुस्तकलय विज्ञान में स्नातक उपाधि) एवं एम0लिव0 (पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि) पाठ्यक्रम, एम.ए. मानवाधिकार, एम0एस0सी0 पर्यावरण विज्ञान एवं एम0एस0सी0 औद्योगिक रसायन आदि पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधान किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित किये जाने अनुमति प्रदान की गई। साथ ही निश्चय किया गया कि आवश्यकतानुसार एम0ए0 (कोरियोग्राफी) आदि अन्य पाठ्यक्रमों को भी परिनियमावली में समाहित किया जाय।

15. दिनांक 30.04.12 को सम्पन्न हुई तदर्थ उपचारिका (नर्सिंग) विषय पाठ्य समिति की बैठक एवं दि0 20/07/2011 को सम्पन्न हुई तदर्थ पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग विषय पाठ्य समिति की बैठक, जिसके द्वारा दोनो विषयों के पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश तैयार किये गये हैं, की संस्तुतियों एवं पोस्ट बेसिक बी0एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की कार्येत्तर अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

16. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वृत्तिका अभिमुखी पाठ्यक्रमों (कैरियर ओरिएन्टेड कोर्सेज) की सम्बद्धता के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन लखनऊ को संबोधित (पत्रांक रु0वि0/समिति/एफ–75/4687 दिनांक 07.03.13) से विद्या परिषद को अवगत कराना तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उन्नत (एडवान्सड) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को चलाए जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जानें पर विचार।

विद्या परिषद शासन को प्रेषित उक्त पत्र से अवगत हुई और विद्या परिषद द्वारा सम्प्रति पूर्व से संचालित उक्त पाठ्यक्रमों को चलाये जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई। साथ ही निश्चय किया गया कि इन पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु विधिवत समस्त आवश्यक औपचारिकतायें, (परिनियमावली में प्राविधान एवं सम्बद्धता आदि) पूर्ण की जाये।

17. शोध (पी.एच.डी0) अध्यादेश 2013 के प्रस्तावित प्रारूप पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त शोध अध्यादेश के प्रारूप पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, किन्तु उक्त प्रारूप को अन्तिम रूप प्रदान करने पर सहमति नहीं बन पाई। कुलसचिव द्वारा माननीय सदस्यगण को अवगत कराया गया कि अध्यादेश के उक्त प्रारूप को विश्वविद्यालय की बेवसाइट

पर उपलध (अपलोड) करा दिया गया है और समस्त संकायाध्यक्षों को उक्त प्रारूप की एक–एक छाया प्रति भी उपलब्ध करा दी गई है। विद्या परिषद द्वारा विनिश्चय किया गया कि समस्त संकायाध्यक्ष अपने स्तर से अध्यादेश के उक्त प्रारूप पर समस्त सम्बन्धित शिक्षकों के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर अपने सुझाव/संस्तुति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दें, जिससे कि इस प्रारूप को अन्तिम रूप प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

18. स्नातक स्तर पर चल रहे शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की परीक्षा में दो प्रश्न पत्रों के स्थान पर एक प्रश्न पत्र का प्राविधान किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा विचारोपरान्त प्रत्येक कक्षा में यथा बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में शारीरिक शिक्षा के एक ही प्रश्नपत्र का प्राविधान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा प्रश्न पत्र के अंकों का निर्धारण वर्तमान में दोनों प्रश्नपत्रों को मिलाकर होने वाले अंक अर्थात 100 अंक को निर्धारित किया गया। साथ ही स्नातक स्तर पर आयोजित की जाने वाली पर्यावरण की परीक्षा की समय अवधि 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटा निर्धारित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

19. विश्वविद्यालय परिसर में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा हेतु सैद्धान्तिक (Theory) और प्रयोगात्मक (Practical) के अधिकतम अंको का अनुपात 70:30 निर्धारित किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई।

20. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को शोध हेतु पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार ।

टिप्पणीः उक्त समिति की संस्तुति के अनुसार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारतीय प्रबन्धन संस्थानों (इण्डियन इंस्टीटियूट ऑफ मैनेजमेण्ट) से पी0जी0डी0एम0 (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेण्ट) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शोध में प्रवेश हेतु अर्ह होगें।

विद्या परिषद द्वारा उक्त समिति की संस्तुतियां यथावत अनुमोदित की गई।

21. स्वामी शुकदेवानन्द कॉलेज, शाहजहाँपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवोन्मेषी (इनोवेटिव) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत बी0काम0, वित्त (फाइनेन्स) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ

करने की अनुमति प्रदान करने एवं उक्त पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित किये जाने पर विचार।

विद्या–परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही निश्चय किया गया कि उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

22. विधि विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 12.10.2011 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

टिप्पणीः विदित हो उक्त बैठक में एल0एल0बी0 परीक्षा नियमावली एवं रेग्यूलेशन के कॉलम संख्या 07 में संशोधन करते हुए अगले सेमेस्टर में प्रवेश (प्रमोशन) नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही जो छात्र इन संशोधित नियमों के अनुसार दो पेपरों में बैक पेपर की सुविधा चाहते हैं तथा एक अन्य प्रश्न पत्र में कृपांक पाने की स्थिति में हैं तो उन्हें तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति दी गई है। संवैधानिक विधि फैमिली लॉ और पर्यावरण विधि में आवश्यक संशोधन कर सत्र 2011–12 से ही लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत एवं अनु0 जाति एवं जन जाति के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। इन्हें अध्यादेश में समाहित कर लिया गया है। तदनुसार संशोधित विधि त्रिवर्षीय और पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के अध्यादेश का अनुमोदन किया जाना।

विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त विषय पाठ्य समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए संशोधित विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों के अध्यादेश को अनुमोदित किया गया।

23. वर्तमान में चल रहे निम्नलिखित पराचिकित्सीय (पैरामेडिकल) पाठ्यक्रम की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने एवं इससे सम्बन्धित विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 17.04.2013 में इन पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित तैयार किये गये अध्यादेश एवं पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया जानाः–

1. बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीक्स
2. बैचलर ऑफ फिजियोथेरिपी
3. बैचलर ऑफ ऑप्टोमेटरी
4. बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स
5. बैचलर ऑफ साइंस इन आपरेशन थियेटर टेक्निक्स
6. बैचलर ऑफ साइंस इन सी0टी0/एम0आर0आई0 टेक्निक्स

विद्या परिषद द्वारा वर्तमान में संचालित उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करते हुए सम्बन्धित विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 17.4.13 की संस्तुतिया अनुमोदित की गई

तथा उक्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित किए जाने का विनिश्चय किया गया।

24. वर्तमान में संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान किया जाना और तद्नुसार तैयार अध्यादेश का अनुमोदन किया जाना :–

1. एम0एस0 जनरल सर्जरी
2. एम0एस0 आर्थोपेडिक्स
3. एम0एस0 आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलोजिस्ट
4. एम0डी0 ऐनेशथिसिया
5. एम0डी0 रेडियो डायग्नोसिस
6. एम0डी0 साइकेट्रि
7. एम0डी0 पैथोलॉजी
8. एम0डी0 माइक्रोबायोलॉजी
9. एम0डी0 फार्माकोलॉजी
10. एम0डी0 कम्यूनिटी मेडीसीन

विद्या–परिषद द्वारा वर्तमान में संचालित उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करते हुए इनके अध्यादेशों को अनुमोदित किया गया तथा उक्त पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित किए जाने का विनिश्चय किया गया।

25. अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 21.04.2013 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या–परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियां, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर स्तर पर भेषजी (फार्मेसी), एम0फार्मा0 की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने की भी संस्तुति की गई है, को यथावत अनुमोदित किया गया।

26. विश्वविद्यालय परिसर के एम0बी0ए0 विभागान्तर्गत मास्टर ऑफ टूरिज्म एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (एम0टी0ए0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विचार।

विद्या–परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गइ। साथ ही निश्चय किया गया कि यह पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

27. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0एड0 लर्निंग डिस्एबिलिटी) संचालित किये जाने हेतु दोनो विश्वविद्यालयों के मध्य प्रक्रियान्तर्गत 'अववोध-स्मरण लेख' (मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टेन्डिंग) अर्थात सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान करने पर विचार।

नोटः- विदित हो कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की उत्कृष्ट क्षमता के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर पर एम0एड0 लर्निंग डिस्एबिलिटी पाठ्यक्रम चलाने हेतु इसे एक मात्र केन्द्र के रूप में चिन्हित किया है। राष्ट्रीय महत्व के इस उपयोगी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का चयन इग्नू करेगा। पाठ्यक्रम पूर्णता के उपरान्त इग्नू द्वारा ही परीक्षा लेकर उपाधि प्रदान की जायेगी। इग्नू द्वारा विश्वविद्यालय में अध्ययन केन्द्र (स्टडी सेन्टर) की स्थापना की गई है।

विद्या-परिषद द्वारा सहर्ष उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई एवं इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के आचार्यों द्वारा किये गये प्रयास की सराहना करते हुए उन्हे बधाई दी गई।

28. होटल प्रबन्धन एवं खान-पान प्रौद्योगिकी (होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी) विषय पाठ्य समिति की बैठक 10.12.2012 जिसके अन्तर्गत बैक पेपर की अर्हता हेतु प्राप्ताकों में 15 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की गयी है, का अनुमोदन किया जाना।

उक्त की सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष द्वारा विद्या-परिषद को अवगत कराया गया कि उक्त पाठ्यक्रम की विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 10.12.2012 मे बैक पेपर की अर्हता हेतु 20 प्रतिशत प्राप्तांकों की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए 15 प्रतिशत प्राप्तांक निर्धारित किये गये है। विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियां यथावत् अनुमोदित की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारणीय मदः-

29. विद्या परिषद के माननीय सदस्य डॉ0 राजेश सिंह चौहान, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, ने कहा कि कृषि संकाय अन्तर्गत शोध हेतु शोध उपाधि समिति का गठन अभी तक नही किया गया है। इस पर कुलसचिव ने कहा कि वह इस सम्ब्ध में तत्काल सम्बन्धित अनुभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करेगें।

30. विद्या परिषद की माननीय सदस्य डा0 शुभ्रा कटारा, सांख्यिकी विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली ने परिषद को अवगत कराया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं राजकीय महाविद्यालयों में सांख्यिकी विषय के मात्र दो ही शिक्षक सेवारत है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अनुरोध

किया कि सांख्यिकी विषय पाठ्य समिति में दो के स्थान पर तीन वाह्य विशेषज्ञ नामित किये जाने पर विचार किया जाय।

विद्या परिषद द्वारा डा0 शुभ्रा कटारा के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

31. विद्या परिषद के माननीय सदस्य प्रो0 गिरिजेश कुमार ने विश्वविद्यालय में भाषा संकाय (फैकेल्टी ऑफ लैग्वेजेज) की स्थापना किये जाने पर बल दिया, जिसके अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था हो।

परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की गई और इस विषय में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया गया।

32. बी0एस0सी (होम साइन्स) की परीक्षा हेतु वर्तमान में प्रचलित सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) के अधिकतम अंको के अनुपात 60:40 पर चर्चा हुई।

निश्चय किया गया कि इन अधिकतम अंको के अनुपात को 70:30 निर्धारित किये जाने हेतु प्रकरण सम्बन्धित विषय पाठ्य समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद विसर्जित हुई।

कुलपति / अध्यक्ष

कुलसचिव / सचिव

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 05.08.2013 का कार्यवृत्त

संख्या : 02/2013
समय : पूर्वान्ह 11:30 बजे
स्थान : शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय भवन सभागार, विश्वविद्यालय परिसर

उपस्थिति :–

1.	प्रो0 मोहम्मद मुजम्मिल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा0 राजेश सिंह चौहान, धामपुर	सदस्य
3.	डा0 महेश चन्द्र रस्तोगी, बरेली	सदस्य
4.	डा0 कृष्ण अवतार गुप्ता, मुरादाबाद	सदस्य
5.	प्रो0 विजय पाल सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
6.	प्रो0 बैज राम कुकरेती, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
7.	प्रो0 प्रदीप कुमार यादव, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
8.	डा0 शतेन्द्र मोहन सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
9.	डा0 अभय कुमार सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
10.	डा0 रमाकान्त, धामपुर	सदस्य
11.	डा0 एस.एल. पाल, धामपुर	सदस्य
12.	डा0 राजेश कुमार यादव, धामपुर	सदस्य
13.	डा0 वी.पी. सिंह, धामपुर	सदस्य
14.	डा0 कुहुदत्त गुप्ता, बरेली	सदस्य
15.	डा0 तरूण लता, बदायूं	सदस्य
16.	डा0 एम.एन. हक, बरेली	सदस्य
17.	डा0 मो0 सदरे आलम	सदस्य
18.	डा0 हेतराम सिंह, मुरादाबाद	सदस्य
19.	डा0 एस.के. मेहरोत्रा, बरेली	सदस्य
20.	डा0 आर.पी. अग्रवाल, पीलीभीत	सदस्य
21.	डा0 के.के. अंगीरा, रामपुर	सदस्य
22.	डा0 के.आर. काण्डपाल, पीलीभीत	सदस्य
23.	डा0 अनीता जौहरी, बरेली	सदस्य
24.	डा0 यू.सी. पाण्डेय, बरेली	सदस्य
25.	प्रो0 गिरिजेश कुमार, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
26.	प्रो0 अजय कुमार जेटली, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
27.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
28.	प्रो0 नागेन्द्र नाथ पाण्डेय, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
29.	प्रो0 नरेन्द्र प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
30.	डा0 एल.बी. रावल, धामपुर	सदस्य
31.	डा0 नलिनी श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
32.	डा0 संजय मिश्रा, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य

33. डा0 संजय कुमार गर्ग, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
34. डा0 वीरेन्द्र सिंह, बरेली — सदस्य
35. डा0 श्रीमती अर्पिता डे, चन्दौसी — सदस्य
36. प्रो0 बी.एल. शाह, नैनीताल — सदस्य
37. डा0 श्याम बिहारी लाल, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
38. डा0 प्रेमपाल सिंह, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
39. डा0 योगेन्द्र प्रसाद, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य
40. डा0 विजय बहादुर सिंह, विश्वविद्यालय परिसर — सदस्य

विशेष आमन्त्रित

41. डा0 शिव कुमार तोमर, आईईटी, विश्वविद्यालय परिसर — विशेष आमंत्रित
42. डा संजीव, आईईटी, विश्वविद्यालय परिसर — विशेष आमंत्रित
43. श्री विशाल सक्सेना, आईईटी, विश्वविद्यालय परिसर — विशेष आमंत्रित
44. श्री एम.एस. करूणा, आईईटी, विश्वविद्यालय परिसर — विशेष आमंत्रित
45. डा0 मो0 सलीम खान, आईईटी, विश्वविद्यालय परिसर — विशेष आमंत्रित
46. डा0 शरद कुमार पाण्डेय , आईईटी, विश्वविद्यालय परिसर — विशेष आमंत्रित
47. श्री शतेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी — विशेष आमंत्रित
48. डा0 कैलाश नाथ पाण्डेय, कुलसचिव — सचिव

सर्वप्रथम कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यगण का स्वागत किया और आज की बैठक के मुख्य बिन्दु शोध अध्यादेश के सम्बन्ध में संक्षिप्त ब्यौरा माननीय सदस्यगण के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए इसको अनुमोदित करने में सहयोग की अपेक्षा की। शोध अध्यादेश के सम्बन्ध में विद्या-परिषद की गत बैठक दिनांक 26.04.2013 के निश्चयानुसार विश्वविद्यालय स्तर से की गयी कार्यवाही से भी विद्या-परिषद को अवगत कराया गया। इसके उपरान्त बैठक की विषय कार्यसूची के अनुसार बिन्दुवार विचार प्रारम्भ हुआ।

01.. विद्या-परिषद की गत बैठक दिनांक 26.04.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किया जाना।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

02. विद्या'-परिषद की गत बैठक दिनांक 26.04.2013 के कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से विद्या परिषद को अवगत कराना।

विद्या-परिषद अवगत हुयी।

03. राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (NET)/पी0एच-डी0 उपाधि धारकों को स्नातक स्तर पर अंक सुधार/परीक्षा सुधार की सुविधा का एक अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के आलोक में विचार।

टिप्पणी-विदित हो उक्त प्रकरण पूर्व में विद्या-परिषद की बैठक दिनांक 29.10.2007 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था और विद्या-परिषद द्वारा उक्त सुविधा प्रदान किया जाना स्वीकर नहीं किया गया था। कालान्तर में इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका 49541/2012 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2012 के अनुसार प्रकरण पुनः विद्या-परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। यद्यपि इस प्रकरण में पूर्व में विद्या-परिशद द्वारा उपर्युक्त नेट/पी0एच-डी0 उपाधि धारकों को अंक सुधार/परीक्षा सुधार की सुविधा प्रदान नहीं किये जाने सम्बन्धी निर्णय माननीय सदस्यगण के संज्ञान में था, फिर भी इस सम्बन्ध में विद्या-परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की भावना का सम्मान करते हुये व्यापक छात्र हित में पुर्नविचार कर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया-

(1) नेट/पी0एच-डी0 उपाधि धारकों को स्नातक/परास्नातक स्तर पर अंकसुधार/परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान की जाये। किन्तु यह सुविधा केवल उन्हीं उक्त उपाधि धारकों को प्रदान की जायेगी, जिन्होनें अपनी स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत या परास्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत से कम अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।

(2) यह सुविधा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले कुल सोलह याचिकाकर्ताओं में से सबसे पहले जिस सत्र में स्नातक/परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है, वाले वर्ष (1995) एवं इसके बाद उत्तीर्ण छात्रों पर लागू होगा।

(3) उक्त सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी परीक्षा सुधार परीक्षा में वर्तमान में विश्वविद्यालय के नियम ही प्रभावी होंगे। अर्थात् उक्त सुविधा मात्र एक बार स्नातक स्तर पर दो विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर/बी0एड0 में एक प्रश्न-पत्र में परीक्षा सुधार की सुविधा प्रदान की जायेगी एवं परीक्षा के उपरान्त यदि प्राप्त अंकों मे वृद्धि होगी तभी परीक्षाफल प्रभावित होगा अन्यथा की स्थिति में परीक्षाफल यथावत् रहेगा।

(4) छात्रों को वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र ही देने होंगे। पुराने पाठ्यक्रम जिससे छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, में कोई परीक्षा सम्पन्न नहीं होगी। यह सुविधा केवल एक बार अपवादात्मक स्वरूप में दी जा रही है। भविष्य में इसे उदाहरण नहीं माना जायेगा।

(5) यह सुविधा उन छात्रों को भी दी जायेगी, जो उक्त याचिका में शामिल नहीं हैं किन्तु उपर्युक्त क्रमांक 1 अनुसार योग्यता धारित करते हैं।

04. उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्रांक 643/सत्तर-1-2013-16(74)/2011 दिनांक 14 जून, 2013 द्वारा प्रेषित पी0एच-डी0 उपाधि अध्यादेश के मानक प्रारूप (माडल ड्राफ्ट) एवं इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों से प्राप्त संस्तुतियों पर विचार।

विद्या-परिषद द्वारा शासन से प्राप्त शोध अध्यादेश के मानक प्रारूप (माडल ड्राफ्ट) पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने दिनांक 29.07.2013 को वि0वि0 में सम्पन्न हुई संकायाध्यक्षों की बैठक से अवगत कराया। मानक अध्यादेश के प्रारूप पर उक्त बैठक में की गयी संस्तुतियों/सुझावों को कुलसचिव ने माननीय सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया और उपस्थित संकायाध्यक्षों को इन सुझावों की एक-एक प्रति भी उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय एवं संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय से प्राप्त सुझावों को भी कुलसचिव ने विद्या-परिषद को अवगत कराया और इसकी एक-एक प्रति संकायाध्यक्षों को उपलब्ध कराई गयी।

विद्या-परिषद की बैठक में माडल अध्यादेश के सम्बन्ध में प्राप्त उक्त सुझावों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया एवं निश्चय किया गया कि यदि इसके अतिरिक्त भी माननीय सदस्यगण और सुझाव देना चाहते हों, तो वह अपने सुझाव सम्बन्धित संकायाध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय को 15 दिन में उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह प्राप्त समस्त सुझावों को समेकित कर, संकायाध्यक्षों की बैठक में रखा जाएगा और उनसे प्राप्त सुझावों को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित माना जाएगा। शोध अध्यादेश का प्रारूप कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

05. विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के एक सदस्य के रूप में विद्या-परिषद के एक सदस्य को विद्या-परिषद द्वारा नामित किये जाने पर विचार।

विद्या-परिषद के एक सदस्य को विद्या-परिषद द्वारा परीक्षा-समिति के एक सदस्य के रूप में नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारणीय मद/तत्काल कार्यसूची</u>

06. विश्वविद्यालय के शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकायान्तर्गत संचालित बीएड स्पेशलाइजेशन इन वोकेशनल एजुकेशन तथा बी.एड. स्पेशलाईजेशन इन एजुकेशनल कम्प्यूटिंग पाठ्यक्रमों की अंकतालिका पर पाठ्यक्रम के रूप में बी.एड.(बैचलर आफ एजुकेशन) अंकित किये जाने के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय एवं विभाग मे वरिष्ठतम आचार्य एवं विद्या-परिषद के माननीय सदस्य व विभागाध्यक्ष, बी.एड. के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त पत्र दिनांक शून्य पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण करने के उपरान्त नियमों के अन्तर्गत अंकतालिका पर पाठ्यक्रम के रूप में बी.एड.(बैचलर आफ एजुकेशन) अंकित किया जाना स्वीकार किया गया।

07. समस्त सदस्यों ने बी.ए., बी.एससी. पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के समूह का निर्धारण करने के लिए निश्चय किया ताकि सभी विषयों का एक संतुलित पठन-पाठन हो सके और वार्षिक परीक्षा को कम समय में सम्पन्न करा लेने में सुविधा हो।

08. आन लाइन प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

कुलपति महोदय ने सभी शिक्षकों का आह्वान किया कि वे सत्र के प्रारम्भ में छात्रों से संवाद कर अवगत हो कि वे क्या पढ़ना व कैसे पढ़ना चाहते हैं? छात्रों से प्रत्येक कक्षा में समूह चर्चा का आयोजन किया जाय ताकि विषय वस्तु को वे आत्मसात कर सकें व विचारों का आदान प्रदान हो सके। साथ ही साथ छात्र का साक्षात्कार भी किया जाय। इन सब गतिविधियों से नए विचारों का जन्म होगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद विसर्जित हुयी।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव/सचिव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27.11.2014 का कार्यवृत्त

संख्या : 01/2014
समयः अपरान्ह 03:00 बजे
स्थानः शिक्षा एवं सहबद्व विज्ञान संकाय भवन
सभागार, विश्वविद्यालय परिसर

उपस्थितिः–

1.	प्रो. मुशाहिद हुसैन, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा. राजेश सिंह चौहान, धामपुर	सदस्य
3.	प्रो. ए. के. सिन्हा, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
4.	डा. दीपक आनन्द, बरेली	सदस्य
5.	डा. वाई.के. गुप्ता, मुरादाबाद	सदस्य
6.	प्रो. वी.पी. सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
7.	प्रो. बी.आर. कुकरेती, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
8.	प्रो. ए.के. गुप्ता, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
9.	प्रो. ए.के. जेटली, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
10.	डा. अभय कुमार सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
11.	डा. एम.के. सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
12.	डा. पी. बी. सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
13.	डा. रमाकान्त, धामपुर	सदस्य
14.	डा. श्योराज सिंह, धामपुर	सदस्य
15.	डा. राजेश कुमार यादव, धामपुर	सदस्य
16.	डा. वी.के. सिंह, धामपुर	सदस्य
17.	डा. ओ. पी. गुप्ता, फरीदपुर	सदस्य
18.	डा. मौ. सदरे आलम, बरेली	सदस्य
19.	डा. बी. एस. ठाकुर, चन्दौसी	सदस्य
20.	डा. विमल बिहारी लाल, बरेली	सदस्य
21.	डा. शशिबाला राठी, बरेली	सदस्य
22.	डा. के. के. अंगीरा, रामपुर	सदस्य
23.	डा. के. आर. काण्डपाल, पीलीभीत	सदस्य
24.	डा. ऊषा खन्ना, बरेली	सदस्य
25.	डा. अनुपमा मेहरोत्रा, मुरादाबाद	सदस्य
26.	डा. ए.के. सिंह, मुरादाबाद	सदस्य
27.	डा. (श्रीमती) शुभ्रा कटारा, बरेली	सदस्य

28. डा. हरि विष्णु गौतम, बरेली	सदस्य
29. डा. डी. के. गुप्ता, बरेली	सदस्य
30. डा. यू.सी. पाण्डेय, बरेली	सदस्य
31. प्रो. एन.एन. पाण्डेय, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
32. प्रो. एन. पी. सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
33. डा. कुहु दत्त गुप्ता, बरेली	सदस्य
34. डा. एल.बी.रावल, धामपुर	सदस्य
35. डा. नलिनी श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
36. डा. संजय मिश्रा, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
37. डा. संजय कुमार गर्ग, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
38. डा. वीरेन्द्र सिंह, बरेली	सदस्य
39. डा. श्याम बिहारी लाल, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
40. डा. प्रेमपाल सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
41. डा. के. के. चौधरी, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
42. डा. सुधीर कुमार वर्मा, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
43. श्री अशोक कुमार सिंह, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यगण का स्वागत किया और अपेक्षा की माननीय सदस्यगण के महत्वपूर्ण सुझावों और सकारात्मक सहयोग से विश्वविद्यालय शैक्षिक रुप से प्रगति करेगा। तदोपरान्त कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ हुआ।

01. विद्या–परिषद की गत बैठक दिनांक 05.08.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किया जाना।
उक्त के सम्बन्ध में विचारोपरान्त विद्या परिषद की बैठक दिनांक 05.08.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई:–
उक्त कार्यवृत्त के संकल्प संख्या 3(3) के अन्तर्गत किये गये निश्चय को निम्नवत् पढ़ा जाय:–
" उक्त सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी परीक्षा सुधार परीक्षा में वर्तमान में विश्वविद्यालय के नियम ही प्रभावी होंगे। अर्थात उक्त सुविधा मात्र एक बार स्नातक स्तर पर एक विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर/बी.एड. में एक प्रश्न–पत्र में परीक्षा सुधार की सुविधा प्रदान की जायेगी एवं परीक्षा के उपरान्त यदि प्राप्त अंको में वृद्वि होगी तभी परीक्षाफल प्रभावित होगा अन्यथा की स्थिति में परीक्षाफल यथावत् रहेगा।"

विद्या परिषद द्वारा शेष कार्यवृत्त की यथावत् सम्पुष्टि की गई।

उक्त के अतिरिक्त चूंकि वर्तमान में प्रभावी प्राविधान के अनुसार प्रवक्ता पद पर चयन हेतु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी अर्ह होंगे। अतः उक्त कार्यवृत्त के संकल्प संख्या 3(1) के अन्तर्गत किये निश्चय को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निश्चय किया गया:–

" नेट/पी–एच0डी0 उपाधि धारकों को स्नातक/परास्नातक स्तर पर अंकसुधार/परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान की जाये। किन्तु यह सुविधा केवल उन्ही उक्त उपाधि धारकों को प्रदान की जायेगी, जिन्होने अपनी स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत या परास्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत से कम अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।"

02. विद्या–परिषद की गत बैठक दिनांक 05.08.2013 के कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से विद्या परिषद को अवगत कराना।
विद्या परिषद अवगत हुई।

03. विश्वविद्यालय में शोध कार्य प्रारम्भ करने हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय से अनुमोदित शोध अध्यादेशानुसार शोध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 06 माह का कोर्स वर्क नियमित छात्र के रुप में पूर्ण करना होगा। अतः सम्बन्धित संकायाध्यक्षों द्वारा तैयार किये गये कोर्स वर्क (पाठ्यक्रम) से परिषद को अवगत कराना एवं तद्नुसार अनुमोदन किया जाना।

उक्त के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कुलपति महोदय की अनुमति से पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रो. वी. पी. सिंह द्वारा इस बिन्दु पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। माननीय सदस्यगण द्वारा इस विषय में व्यक्त की गई शंकाओं का समाधान भी प्रो. वी. पी. सिंह द्वारा किया गया। तदोपरान्त विद्या परिषद ने संकायाध्यक्षों द्वारा तैयार किये गये निम्नलिखित कोर्सवर्क (पाठ्यक्रम) एवं तद्सम्बन्धी कार्यवाही का अनुमोदन किया गयाः–

01. जुलोजी
02. एनिमल सांइस
03. रसायन शास्त्र
04. अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र
05. भौतिकी विज्ञान
06. अनुप्रयुक्त भौतिकी विज्ञान
07. गणित
08. अनुप्रयुक्त गणित
09. प्लांट सांईस
10. बॉटनी
11. विधि अध्ययन
12. वाणिज्य
13. व्यवसाय प्रबंधन
14. शिक्षा शास्त्र (कालेज)
15. शिक्षा शास्त्र (विवि परिसर)
16. अर्थशास्त्र
17. क्षेत्रीय एवं व्यवहारिक अर्थशास्त्र
18. अंग्रेजी
19. अनुप्रयुक्त अंग्रेजी
20. इतिहास

21. प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति
22. अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र
23. दर्शनशास्त्र
24. सी.एस.आई.टी.
25. सांख्यिकी
26. मिलिट्री स्टडीज
27. समाजशास्त्र
28. मनोविज्ञान
29. राजनीति विज्ञान
30. हिन्दी
31. संस्कृत
32. भूगोल
33. उर्दू
34. संगीत
35. चित्रकला
36. गृह विज्ञान

04. पर्यावरण विज्ञान विषय में शोध कार्य प्रारम्भ किये जाने विषयक कुलपति महोदय के आदेशों से परिषद को अवगत कराना एवं तद्नुसार अनुमोदन किया जाना।

उक्त के सम्बन्ध में कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रो. वी.पी. सिंह द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि चूंकि पर्यावरण पाठ्यक्रम परास्नातक स्तर पर संचालित है एवं पर्यावरण विषय से सम्बन्धित सहबद्व विषयों के पूर्णकालिक शिक्षक भी उपलब्ध हैं। अतः छात्र हित में पर्यावरण विषय में शोध कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। इस पर विद्या परिषद द्वारा कुलपति महोदय के आदेशों का अनुमोदन किया गया।

05. अधिनियम की धारा 25(2) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार शैक्षिक प्रतिष्ठा के पांच सदस्यों का चुनाव किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा शैक्षिक प्रतिष्ठा के पाँच सदस्यों का चुनाव किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

06. विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के एक सदस्य के रुप में विद्या परिषद के एक सदस्य को विद्या परिषद द्वारा नामित किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद ने परीक्षा समिति का एक सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

07. विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा अनुमोदित प्रवेश नियमावली सत्र 2014–15 से विद्या परिषद को अवगत कराना।

विद्या परिषद अवगत हुई। साथ ही प्रवेश नियमावली में बी.एड. पाठ्यक्रम की मान्यता के सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालय की बी.एड. उपाधि का जो उल्लेख किया गया है, के विषय में माननीय सदस्य प्रो. एन.पी.सिंह ने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि यह पुनः सुनिश्चित किया जाना उचित होगा कि दूरस्थ शिक्षा के इन समस्त विश्वविद्यालयों की बी.एड. उपाधि को मान्यता प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं? क्योंकि उनके संज्ञान में आया है कि कतिपय विश्वविद्यालय की इन उपाधियों की मान्यता सम्बन्धी विवाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त के सम्बन्ध में विद्यापरिषद ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि वह अपने स्तर से विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर यह सुनिश्चित करें कि किन दूरस्थ शिक्षा के किन विश्वविद्यालय की बी.एड. उपाधि को मान्यता प्रदान की जा सकती है?

08. माननीय कुलाधिपति/राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12 व 13 जनवरी, 2014 को योजना भवन, लखनऊ में आयोजित वार्षिक राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में किये गये निर्णय के अनुसार परम्परागत पाठ्यक्रमों के साथ छः माह के साफ्ट स्क्लि (कम्प्यूटर ज्ञान) कोर्स को प्रभावी किये जाने का निश्चय किया गया है, से परिषंद को अवगत कराना।

विद्या परिषद ने उक्त निश्चय को सहर्ष स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि कम्प्यूटर के ज्ञान हेतु उक्त पाठ्यक्रम समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय अपने स्तर से संचालित करें।

पटल पर प्रस्तुत की गई विषय कार्यसूची के अनुसार

09. एम.एससी. गृह विज्ञान (सामान्य एवं मानव विकास) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने एवं इस निमित्त विषय पाठ्य समिति द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम को प्रभावी/अनुमोदित किये जाने पर विचार।
विद्या परिषद द्वारा उक्त पाठ्यक्रम अनुमोदित किया गया।

10. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाली निम्नलिखित उपाधियों के प्रारुप को स्वीकार किये जाने सम्बन्धी कुलपति महोदय के आदेशों का अनुमोदन किया जाना–

01- B.Sc. (Home Science)
02- B.Sc. (Computer Science)
03- B.Com (Honors)
04- B.C.A. & B.B.A.
05- LL.B. (Five Years)
06- M.D.S. & MBBS
07- B.P.Ed.

विद्या परिषद द्वारा कुलपति महोदय के आदेशों का अनुमोदन किया गया।

11. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सरकारी गजट (विधायी अनुभाग–1 संख्या 314/79–वि–1–14–1(क)–1–2014, दिनांक 28 फरवरी, 2014) उ.प्र. राज्य वि.वि. (संशोधन) अधिनियम, 2014 के अनुसार आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों की सम्बद्धता स्वीकृत कराने का विशेषाधिकार छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के बजाय सभी राज्य विश्वविद्यालयों में उनके क्षेत्राधिकार के अनुरुप निहित होगा, सम्बन्धित सूचना से विद्या परिषद को अवगत कराना।

विद्या परिषद अवगत हुई एवं शासन के उक्त निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

12. अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 29.10.2014 की संस्तुतियों को अनुमोदित किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियां अनुमोदित की गई।

13. ईरानी दूतावास के आमन्त्रण पर कुछ कुलपतियों का भारत एवं ईरान के मध्य शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान हेतु 08 दिवसीय दौरा किया गया, जिसके अन्तर्गत महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली तथा निम्न 02 विश्वविद्यालयों के मध्य शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु एम0ओ0यू0 (MOU) किये गये, से विद्या परिषद को अवगत करानाः–

1. अमीर कबीर विश्वविद्यालय, तेहरान, ईरान
2. अल्लामा तबातबाई विश्वविद्यालय, ईरान

विद्या परिषद अवगत हुई। इस पर हर्ष व्यक्त किया गया एवं माननीय सदस्यगण ने इसके लिए कुलपति महोदय की सराहना करते हुए उन्हे बधाई दी। परिषद ने कुलपति महोदय द्वारा की गई ईरान यात्रा को विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

14. विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2014–15 से एम.फार्मा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही से परिषद को अवगत कराना जाना।

परिषद ने एम.फार्मा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास हेतु कुलपति महोदय द्वारा इस प्रकार किये गये प्रयास की सराहना की।

उक्त के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा समस्त परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु कोडिंग प्रणाली प्रभावी किये जाने एवं परीक्षा आवेदन पत्रों के भरवाने के लिए प्रभावी की गई आन–लाईन प्रक्रिया की भूरि–भूरि प्रंशसा करते हुए कुलसचिव एवं कुलपति महोदय की सराहना की गई।

अंत में बैठक सधन्यवाद विसर्जित हुई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव/सचिव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.09.2017 का कार्यवृत्त

संख्या : 01 / 2017

समय : अपराह्न 02:00 बजे

स्थान : शिक्षा एवं सम्बद्ध विज्ञान संकाय सभागार, विश्वविद्यालय परिसर

उपस्थिति :

1	प्रो0 अनिल शुक्ल, कुलपति	अध्यक्ष
2	डॉ0 शिव शंकर कटियार, [illegible], आर0एस0एम0 कॉलेज, धामपुर	सदस्य
3	डॉ0 कुमुदनी गुप्ता, अंग्रेजी विभाग/प्राचार्या, कन्या महाविद्यालय, भुड़, बरेली।	सदस्य
4	प्रो0 [illegible] सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
5	डॉ0 ए0के0 सक्सेना, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली	सदस्य
6	डॉ0 [illegible] दीक्षित, संकायाध्यक्ष, विधि अध्ययन संकाय, के0जी0के0 कालेज, मुरादाबाद	सदस्य
7	प्रो0 [illegible] सिंह, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
8	प्रो0 [illegible] गुप्ता, संकायाध्यक्ष, आई0ई0टी0, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
9	प्रो0 [illegible] सिंह, संकायाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
10	प्रो0 संजय गर्ग, विभागाध्यक्ष, प्लान्ट साइन्स विभाग, विश्वविद्यालय परिसर	सदस्य
11	डॉ0 [illegible], [illegible], आर0एस0एम0 कालेज, धामपुर	सदस्य
12	डॉ0 ओम प्रकाश गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, आर0एस0एम0 कालेज, धामपुर,	सदस्य
13	डॉ0 (श्रीमती) वन्दना रानी, हिन्दी विभाग, जे0एस0एच0 पी0जी0 कालेज, अमरोहा	सदस्य
14	डॉ0 (श्रीमती) [illegible] वार्ष्णेय, संस्कृत विभाग, बरेली कालेज, बरेली	सदस्य
15	डॉ0 (श्रीमती) [illegible] रानी, शिक्षाशास्त्र विभाग, [illegible] कॉलेज, मुरादाबाद	सदस्य
16	डॉ0 सुरेश चन्द, इतिहास विभाग, के0जी0के0 कालेज, मुरादाबाद	सदस्य
17	डॉ0 (श्रीमती) मंजू सिंह, चित्रकला एवं [illegible] विभाग, बरेली कालेज, बरेली	सदस्य
18	डॉ0 (श्रीमती शशी शुक्ला) संगीत विभाग, साहू राम स्वरूप कालेज, बरेली	सदस्य
19	श्री शिवपूजन सिंह यादव, दर्शन शास्त्र विभाग, के0जी0के0 कालेज, मुरादाबाद	सदस्य
20	डॉ0 [illegible] अग्रवाल, सैन्य अध्ययन विभाग, बरेली कालेज, बरेली	सदस्य
21	डॉ0 पी0के0 शुक्ल, गणित विभाग, के0जी0के0 कालेज, मुरादाबाद	सदस्य
22	डॉ0 (श्रीमती) सुधा [illegible], [illegible] विभाग, बरेली कालेज, बरेली	सदस्य
23	डॉ0 [illegible] सक्सेना, [illegible] विभाग, बरेली कालेज, बरेली	सदस्य
24	डॉ0 विनय कुमार गुप्ता, वाणिज्य विभाग, [illegible] महाविद्यालय, पीलीभीत	सदस्य
25	प्रो0 ए0के0 जेटली, प्लान्ट साइंस विभाग	सदस्य
26	प्रो0 [illegible] पाण्डेय, शिक्षा विभाग	सदस्य
27	प्रो0 [illegible], शिक्षा विभाग	सदस्य
28	प्रो0 श्याम बिहारी लाल, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
29	प्रो0 [illegible] त्रिपाठी, प्रोफेसर [illegible] विभाग	सदस्य
30	प्रो0 [illegible] प्रसाद, प्रोफेसर [illegible] विभाग	सदस्य
31	डॉ0 ए0के0 [illegible], [illegible] विभाग	सदस्य
32	डॉ0 [illegible], जी0एफ0 कालेज, शाहजहाँपुर	

33 डॉ० ममता गंगवार, प्राचार्या, श्रीमती रानी अवन्ती बाई लोधी राज. महिला महाविद्यालय, बरेली सदस्य
34 प्रो० एस०के० सिंह, [illegible], विश्वविद्यालय परिसर सदस्य
35 डॉ० आलोक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता, विश्वविद्यालय परिसर सदस्य
36 डॉ० [illegible] सिंह, शिक्षा विभाग सदस्य
37 डॉ० [illegible], शिक्षा विभाग, वि०वि० परिसर सदस्य
38 डॉ० [illegible] कुमार शर्मा, शिक्षा विभाग, वि०वि० परिसर सदस्य
39 श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव सदस्य सचिव

सर्वप्रथम कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यगण का स्वागत किया गया एवं अपेक्षा की कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक विकास हेतु उन्हें माननीय सदस्यगण का सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही उन्होंने आज आहूत विद्या परिषद की बैठक के सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण को अवगत कराते हुए बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार किये जाने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया। इसके उपरान्त बैठक के विषय कार्यसूची पर विचार किया जाना प्रारम्भ किया।

01 विद्या-परिषद की बैठक दिनांक 25.10.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किया जाना।

विद्या–परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी एवं उक्त कार्यवृत्त पर कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से विद्या–परिषद को अवगत कराया गया।

02 दिनांक 06 अक्टूबर 2017 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के पंचदश दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में विद्या–परिषद को अवगत कराना।

पंचदश दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा विस्तारपूर्वक विद्या–परिषद को अवगत कराया गया। इसमें सम्मिलित हो रहे मुख्य अतिथि के विषय में विद्या–परिषद अवगत हुई। साथ ही उन्होंने इस दीक्षान्त समारोह हेतु भारतीय संस्कृति के अनुरूप निर्धारित किये गये ड्रेस कोड के सम्बन्ध में भी विद्या–परिषद को अवगत कराया। उन्होंने कहा की दीक्षान्त समारोह को उसकी गरिमा के अनुरूप आयोजित किये जाने हेतु उसमें लगभग 2000 से भी अधिक छात्र, छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों, बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास किया जायेगा।

03. भारत के राजपत्र संख्या 278, दिनांक 05 जुलाई 2016 में प्रकाशित यू०जी०सी० रेगुलेशन/नोटिफिकेशन, दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश में संशोधन किये जाने पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में विद्या–परिषद के माननीय सदस्य प्रो० ब्रजेश त्रिपाठी द्वारा यू०जी०सी० रेगुलेशन के अनुरूप शोध अध्यादेश में किये गये संशोधनों का विस्तृत विवरण विद्या–परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं इस सम्बन्ध में अन्य माननीय सदस्यगण द्वारा किये गये परिप्रश्नों का समाधान उनके समक्ष प्रस्तुत किया।

[signature]

तद्नुसार विद्या–परिषद द्वारा संशोधित शोध अध्यादेश को यथावत् स्वीकार किया गया।

04 दिनांक 12–02–2017 को सम्पन्न हुई फार्मेसी विषय पाठ्य समिति की बैठक की संस्तुतियां एवं तद्नुसार संशोधित बी–फार्मा एवं एम फार्मा के पाठ्यक्रम को सत्र 2017–18 से प्रभावी किये जाने पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में विद्या–परिषद के माननीय सदस्य प्रो० ए०के० गुप्ता, संकायाध्यक्ष, प्राविधिक एवं प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा पूर्ण वस्तुस्थिति विद्या–परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्या परिषद द्वारा उक्त विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 12.02.2017 एवं तत्सम्बन्धी आई.ई.टी. फैकल्टी बोर्ड की बैठक दिनांक 13.02.2017 की संस्तुतियाँ यथावत् अनुमोदित की गयी।

05 माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 06 जुलाई 2017 को योजना भवन, लखनऊ में आयोजित राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के सम्मेलन में लिये गये निम्नलिखित संकल्पों को पूरा करने पर विचार।

(अ) संकल्प संख्या 13 के अनुसार परीक्षा सुधार लागू किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रश्न–पत्रों में विस्तृत प्रश्नों के साथ–साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न (आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न) भी पूछे जाने पर विचार।

(ब) च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सी०बी०सी०एस०) लागू किये जाने पर विचार।

विद्या–परिषद द्वारा उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त उपर्युक्त संकल्प संख्या 13 के सम्बन्ध में निश्चय किया गया कि वर्तमान स्थिति में स्नातक एवं परास्नातक स्तर की परीक्षा में विस्तृत प्रश्नों के साथ–साथ लघु उत्तरीय प्रश्नों को (वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्थान पर) पूछा जाना उचित होगा। साथ ही विद्या–परिषद द्वारा च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सी०बी०सी०एस०) लागू किये जाने पर सिद्धान्तः सहमति प्रदान की।

6. सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्तमान में प्रभावी एम.एड. पाठ्यक्रम / अध्यादेश, जिसमें एकल त्रुटिवश लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में पृथक पृथक डिविजन (श्रेणी) दिये जाने का उल्लेख है, के स्थान पर विश्वविद्यालय परिसर में प्रभावी एम.एड. अध्यादेश के अनुसार लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के आधार पर एक ही डिवीजन (श्रेणी) प्रभावी किये जाने सम्बन्धी कुलपति महोदय के आदेशों का अनुमोदन किया जाना।

नोट : एम.एड. पाठ्यक्रम / अध्यादेश की उपर्युक्त त्रुटि के सम्बन्ध में विषय पाठ्य समिति (जिसके द्वारा यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया था) की तत्कालीन सदस्य डॉ० उमा व्यास शिक्षा विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 26.08.2017 के माध्यम से अवगत कराते हुए त्रुटि सुधार किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्या–परिषद द्वारा कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेशों का अनुमोदन किया गया।

7. दिनांक 08.02.2017 को सम्पन्न हुई अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय की बैठक की संस्तुतियों पर विचार, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के एम.एससी. पाठ्यक्रम के चारों सेमेस्टर के अध्यादेश को तैयार किया गया है, का अनुमोदन किया जाना।

उक्त के सम्बन्ध में माननीय सदस्य प्रो० एस.एम. सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय द्वारा परिषद को अवगत कराया गया एवं विद्या–परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियाँ यथावत अनुमोदित की गयीं।

8. फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियम 2014 के अनुसार बी०फार्मा० एवं एम०फार्मा० के पाठ्यक्रम के सत्र 2017--18 से प्रभावी सम्बन्धी फार्मेसी विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 12.02.2017 एवं फैकल्टी बोर्ड, आई०ई०टी० की बैठक दिनांक 13.02.2017 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

उक्त के सम्बन्ध में संकल्प संख्या 04 के अन्तर्गत निश्चय उल्लिखित किया जा चुका है।

9. विधि अध्ययन संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 01.04.2017 की संस्तुति एवं तदनुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के विधि विभाग हेतु पृथक--पृथक संकाय (विश्वविद्यालय परिसर हेतु विधि अध्ययन संकाय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु विधि संकाय) स्थापित किये जाने पर विचार।

विद्या–परिषद द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार--विमर्श किया गया। किन्तु संकाय बोर्ड पृथक–पृथक स्थापित किये जाने पर माननीय सदस्यगण में सहमति नहीं बन पायी।

10. जन्तु विज्ञान विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 14.09.2017 की संस्तुति, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक एवं परस्नातक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य हेतु जन्तुओं की चीर--फाड़ (Dissection) पर रोक लगायी गयी है, का अनुमोदन किया जाना।

विद्या--परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियाँ यथावत् स्वीकार की गयीं साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध किये गये जन्तुओं को ही प्रयोगात्मक कार्य हेतु चीर–फाड़ (Dissection) से प्रतिबन्धित किया जाये।

11. बी०एड० / एम०एड० (आई०ए०एस०ई०) विभाग की विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 19.09.2017 की संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

विद्या–परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियाँ यथावत् स्वीकार की गयीं।

12. डॉ० नीरजा अस्थाना, संयोजक, सैन्य अध्ययन विषय पाठ्य समिति के पत्र दिनांक 07.09.2017 पर विचार। उक्त पत्र द्वारा सैन्य अध्ययन विषय / विभाग का नाम

परिवर्तित कर रखा अध्ययन किये जाने सम्बन्धी विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 06.09.2017 की संस्तुति पर विचार किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त संस्तुतियाँ स्वीकार की गयीं साथ ही निश्चय किया गया कि विषय/विभाग का नाम परिवर्तित करने के सम्बन्ध में परिनियमावली में संशोधन की कार्यवाही की जाये।

13. दिनांक 23.07.2016 से दिनांक 23.08.2017 के मध्य सम्पन्न हुई विभिन्न विषयों की शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को नोट किया जाना।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त शोध उपाधि समितियों की कार्यवाही को नोट किया गया।

14. कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विद्या-परिषद के माननीय सदस्य प्रो० श्याम बिहारी लाल द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग में "बौद्ध अध्ययन केन्द्र" स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विद्या-परिषद द्वारा उक्त अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद विसर्जित हुई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव/सचिव

विद्या परिषद की आपात बैठक दिनांक 29—03—2018 के कार्यवृत

संख्या 01 / 2018

समयः— अपरान्ह 200. बजे

स्थानः शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय का सभागार

उपस्थितिः—

1	प्रो. अनिल शुक्ल, कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो. एन.एन. पाण्डेय	सदस्य
3	प्रो. ए.के. गुप्ता	सदस्य
4	प्रो. बी. आर. कुकरेती	सदस्य
5	प्रो. श्याम बिहारी लाल	सदस्य
6	प्रो. बृजेश त्रिपाठी	सदस्य
7	प्रो. ए.के. सरकार	सदस्य
8	प्रो. ए.के. जेतली	सदस्य
9	प्रो. पी.बी. सिंह	सदस्य
10	डा. संजय गर्ग	सदस्य
11	डा. अशोक कुमार	सदस्य
12	डा. विशेष कुमार गुप्ता	सदस्य
13	डा. प्रतिभा वार्ष्णेय	सदस्य
14	डा. गुलाम अशरफ कादरी	सदस्य
15	डा. सुरेश चन्द्र	सदस्य
16	डा. किरन साहू	सदस्य
17	श्री शिव पूजन सिंह यादव	सदस्य
18	डा. नीरजा अस्थाना	सदस्य
19	डा. उपदेश कुमार	सदस्य
20	डा. शुभ्रा कटारा	सदस्य
21	डा. कमल कुमार सक्सेना	सदस्य
22	डा. ममता बंसल	सदस्य
23	डा. एम.के. सिंह	सदस्य
24	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
25	डॉ. मो. इसरार खान	सदस्य
26	डॉ. के.के. चौधरी	सदस्य
27	डॉ. सुधीर वर्मा	सदस्य
28	डॉ. प्रेमपाल सिंह	सदस्य
29	डॉ. विनय कुमार गुप्ता	सदस्य
30	डॉ. एस.के. पाण्डेय	सदस्य
31	डॉ. वन्दना रानी गुप्ता	सदस्य
32	श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यगण का स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की विषय कार्यसूची पर कार्य विचार / चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. विश्वविद्यालय शिक्षकों के चयन से सम्बन्धित नियम एवं मानकों के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः उक्त के सम्बन्ध में विचार किया गया। शिक्षकों के चयन के सम्बन्ध में समिति द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन पत्रों की सन्निरिक्षा (स्कूटनी) हेतु निर्धारित प्रारूप का अनुमोदन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि जिन विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो एवं साक्षात्कार कराये जाने में कठिनाई हो तो उन विषयों में स्क्रीनिंग हेतु लिखित परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। यह परीक्षा करायें या न करायें जाने के सम्बन्ध में कुलपति महोदय का निर्णय मान्य होगा।

2. राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक ई/517/जी.एस. दिनांक 03.07.2006 के द्वारा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत परिनियम 7.11 में संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत बायोटेक्नोलॉजी एवं माईक्रोबायोलॉजी पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर में भी एम.एस.सी. (माइक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी) प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : उक्त के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विज्ञान संकाय के अन्तर्गत उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में शुरू किये जा सकते हैं। इस हेतु संकायाध्यक्ष महाविद्यालय के विज्ञान संकाय का रहेगा तथा यह पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम की कुल आय के 60 प्रतिशत हिस्से से संचालित होगा।

3. पर्यावरण विज्ञान के सम्बन्ध में पूर्व में अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय में परिनियम 7.12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में पर्यावरण विज्ञान प्रारम्भ किया जा सकता है। महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण विज्ञान का पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित है, के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः—विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में प्रारम्भ किये जाने हेतु परिनियमावली में सम्मिलित है। अतः महाविद्यालयों में भी संचालित पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी के तहत महाविद्यालयों में भी यह पाठ्यकम चलाना नियमानुकूल है अतः इसे पृथक से परिनियमावली में सम्मिलित कराने की आवश्यकता नहीं है।

4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक महाविद्यालयों में औद्योगिक रसायन व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित है जबकि सर्वप्रथम राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ईएस/1106/ जी.एस. दिनांक 21.06.2002 को महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के अधीन श्याम सुन्दर मेमोरियल डिग्री कालेज, चन्दौसी, सम्भल को स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम औद्योगिक रसायन विषय में अस्थायी सम्बद्धता की सशर्त स्वीकृति प्रदान की थी। इसी अनुमति को आधार मानते हुये अन्य महाविद्यालयों द्वारा भी सम्बद्धता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रेषित किया।

निर्णय :— विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की उक्त विषय में एक महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता को आधार मानते हुये अन्य महाविद्यालयों के प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

5. कला संकाय के अन्तर्गत एम.एस.डब्लू. पाठ्यक्रम महाविद्यालयों में संचालित है, को मान्य किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः– विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एम.एस.डब्लू. पाठ्यक्रम परिनियमावली में शामिल है, अतः महाविद्यालयों में प्रारम्भ किया जा सकता है।

6. वाणिज्य संकार्यान्गत बी.कॉम. (आनर्स), बी.कॉम. (कम्प्यूटर), बी.कॉम. (वित्त) एवं बी.कॉम. (वित्तीय सेवा) का पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सम्मिलित कराये जाने पर विचार।

निर्णयः वाणिज्य संकायान्तर्गत बी.कॉम. (आनर्स), बी.कॉम. (कम्प्यूटर), बी.कॉम. (वित्त) एवं बी.कॉम. (वित्तीय सेवा) का पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश वाणिज्य विषय की मूल विषय पाठ्यकम समिति (B.O.S) की मीटिंग में डीन को शामिल करते हुए तैयार कराकर सक्षम समितियों के अनुमोदन के उपरान्त परिनियमावली में शामिल करने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद् समाप्त हुयी।

(प्रो. अनिल शुक्ल)
कुलपति

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

विद्या परिषद का कार्यवृत्त

संख्या – 01 / 2019
दिनॉक – 12 फरवरी 2019
दिन – मंगलवार
समय – 02:00 बजे
स्थान – शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय का सभागार

उपस्थिति–

1.	प्रो0 अनिल शुक्ल	कुलपति / अध्यक्ष
2.	डा0 शिव शंकर कटियार	सदस्य
3.	डा0 अजय कुमार शर्मा	सदस्य
4.	डा0 अमित सिंह	सदस्य
5.	डा0 एस0एल0पाल	सदस्य
6.	डा0 राजेश चौहान	सदस्य
7.	डा0 चमन सिंह	सदस्य
8.	डा0 प्रतिभा वार्ष्णेय	सदस्य
9.	डा0 मो0 सदरे आलम	सदस्य
10.	डा0 किरन त्रिपाठी	सदस्य
11.	डा0 पम्पा गौतम	सदस्य
12.	डा0 किरन साहू	सदस्य
13.	डा0 शिव पूजन सिंह यादव	सदस्य
14.	डा0 उपदेश कुमार	सदस्य
15.	डा0 संजीव सक्सेना	सदस्य
16.	डा0 कमल कुमार सक्सेना	सदस्य
17.	डा0 पूनम गर्ग	सदस्य
18.	डा0 विनय कुमार गुप्ता	सदस्य
19.	प्रो0 ए0के0सरकार	सदस्य
20.	प्रो0 बी0आर0कुकरेती	सदस्य
21.	प्रो0 ए0के0जैटली	सदस्य
22.	प्रो0 पी0बी0सिंह	सदस्य
23.	प्रो0 राजकमल	सदस्य
24.	प्रो0 एम0के0सिंह	सदस्य
25.	प्रो0 संजय मिश्रा	सदस्य
26.	प्रो0 नलिनी श्रीवास्तव	सदस्य
27.	प्रो0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
28.	प्रो0 संतोष अरोरा	सदस्य
29.	प्रो0 अंजु अग्रवाल	सदस्य
30.	प्रो0 सुधीर कुमार वर्मा	सदस्य
31.	प्रो0 योगेन्द्र प्रसाद	सदस्य
32.	प्रो0 विजय बहादुर सिंह यादव	सदस्य
33.	प्रो0 जे0एन0मौर्य	सदस्य
34.	प्रो0 तुलिका सक्सेना	सदस्य
35.	डा0 सी0एम0जैन	सदस्य
36.	डा0 आलोक श्रीवास्तव	सदस्य

क्रमशः......2 पर

37.	डा0 ज्योति पाण्डेय	सदस्य
38.	डा0 प्रतिभा सागर	सदस्य
39.	प्रो0 रामप्रकाश शर्मा	सदस्य
40.	डा0 मंजू खरे	सदस्य
41.	डा0 विनय कुमार गुप्ता	सदस्य
42.	डा0 सोमपाल सिंह	विशेष आमंत्रित
43.	श्री अशोक कुमार अरविंद	कुलसचिव / सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यगणों का स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार/चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 29.03.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना।

निर्णय– उक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. माइक्रोबायोलॉजी की बी0ओ0एस0 में तैयार पाठ्यकम एवं आर्डीनेंस पारित करने के संबंध में प्रो0 ए0के0 जैटली के पत्र पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त उक्त पाठ्यकम एवं आर्डीनेंस को स्वीकार किया गया।

3. विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर विभिन्न संकायान्तर्गत पाठ्यकम प्रारम्भ किये जाने ने संबंध में प्रो0 ए0के0 जैटली के पत्र पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक स्तर विभिन्न संकायार्न्तगत प्रारम्भ किये जाने वाले संबंधित विषय की पाठ्यकम समिति द्वारा 03 माह की समय–सीमा में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाये तद्परांत उक्त प्रस्ताव को आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

4. विश्वविद्यालय में बी0ए0(आनर्स) एप्लाइड फिलासफी/फिलासफी (आनर्स) प्रारम्भ किये जाने के संबंध में डा0 रज्जन कुमार के पत्र पर विचार।

निर्णय– बिन्दु सं0 3 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

5. कृषि विषय पाठ्यकम समिति की बी0ओ0एस0 द्वारा निम्न विषय पाठ्यकम समितियों के गठन किये जाने की संस्तुति की गयी, पर विचार।

   I. शस्य विज्ञान विषय पाठ्यकम समिति
   II. कृषि अर्थशास्त्र विषय पाठ्यकम समिति
   III. कृषि वनस्पति विज्ञान विषय पाठ्य समिति
   IV. उधान विज्ञान विषय पाठ्य समिति
   V. कृषि रसायन विषय पाठ्य समिति
   VI. पशुपालन एवं दुग्ध उधोग विषय पाठ्य समिति

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत उक्त विषय पाठ्यकम समितियों के गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

6 बी0एस0सी0 (आनर्स) पाठ्यकम समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 में की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत बी0एस0सी0 (आनर्स) पाठ्यकम समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।

कमशः......3 पर

7 शारीरिक शिक्षा विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 27.06.2018 में की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन किया जाना।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कला संकायान्तर्गत उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन किया गया।

8 फैशन डिजायनिंग विषय पाठ्यकम समिति की बैठक दिनांक 25.11.2018 द्वारा तैयार एम0ए0 फैशन डिजायनिंग पाठ्यकम का अनुमोदन किया जाना।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत परास्नातक स्तर पर तैयार उक्त पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

टेबल ऐजण्डा–

1 सत्र 2017–18 से एम0एस0सी0 (उत्तर्रार्द्ध) भौतिक विज्ञान विषय के पंचम प्रश्न पत्र जिसमें Practical & Project work को 200 अंको का रखा गया है, Project Work के मूल्यांकित किये जाने हेतु परीक्षकों को उचित पारिश्रमिक दिये जाने के संबंध में डा0 संजीव सक्सेना, भौतिक विभाग, बरेली कालेज, बरेली के पत्र दिनांक 11.02.2019 पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत प्रकरण वित्त समिति को संदर्भित किया गया।

2. रसायन विज्ञान विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 17.07.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत उक्त प्रकरण Faculty Board को संदर्भित किया गया।

3. स्नातक स्तर स्तर विषय संयोजन (Subject combination) किये जाने के संबंध में विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर स्तर विषय संयोजन (Subject Combination) किये जाने के संबंध में निम्नवत् समिति गठित की गयी।

1 संकायाध्यक्ष, कला

2 संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण (डी0एस0डब्लू)

3. संकायाध्यक्ष, उन्नत समाज एवं समाजिक विज्ञान

3 उपकुलसचिव (शैक्षणिक)

अन्य निर्णय–

- शिक्षकों की वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराये जाने के संबंध में समस्त अनुदानित/राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को पत्र प्रेषित किया जाये ताकि विश्वविद्यालय द्वारा संकायवार वरिष्ठता सूची जारी की जा सके।
- बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा संस्तुत शिक्षकों से ही प्रश्नपत्र बनवाये जाये।
- प्रश्निक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नपत्रों में कोई संशोधन न किया जाये।
- परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों के बण्डल खोलते समय उसकी विडियोग्राफी करायी जाये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 अनिल शुक्ल)
कुलपति

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

विद्या परिषद का कार्यवृत्त

संख्या – 02/2019
दिनॉक – 16 दिसम्बर 2019
दिन – सोमवार
समय – 02:00 बजे
स्थान – शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय का सभागार

उपस्थिति–

1.	प्रो0 अनिल शुक्ल	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 वी0 त्रिपाठी	सदस्य
3.	प्रो0 ए0के0जेटली	सदस्य
4.	प्रो0 पी0बी0सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 एस0के0पाण्डेय	सदस्य
6.	प्रो0 योगेन्द्र प्रसाद	सदस्य
7.	प्रो0 एम0के0सिंह	सदस्य
8.	प्रो0 संजय मिश्रा	सदस्य
9.	प्रो0 एस0एम0सिंह	सदस्य
10.	प्रो0 नलिनी श्रीवास्तव	सदस्य
11.	प्रो0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
12.	प्रो0 के0के0चौधरी	सदस्य
13.	प्रो0 अंजु अग्रवाल	सदस्य
14.	प्रो0 सुधीर कुमार वर्मा	सदस्य
15.	प्रो0 यशपाल सिंह	सदस्य
16.	प्रो0 विजय बहादुर सिंह यादव	सदस्य
17.	प्रो0 जे0एन0मौर्य	सदस्य
18.	प्रो0 तुलिका सक्सेना	सदस्य
19.	प्रो0 संजय गर्ग	सदस्य
20.	प्रो0 संतोष अरोरा	सदस्य
21.	डा0 रमेश सिंह	सदस्य
22.	डा0 पूर्णिमा अनिल	सदस्य
23.	डा0 संजीव सक्सेना	सदस्य
24.	डा0 मंजू खरे	सदस्य
25.	डा0 दिनेश कुमार मौर्य	सदस्य
26.	डा0 अमित सिंह	सदस्य
27.	डा0 शोराज सिंह	सदस्य
28.	डा0 राजेश सिंह चौहान	सदस्य
29.	डा0 वी0के0सिंह	सदस्य
30.	डा0 एस0एस0कटियार	सदस्य
31.	डा0 एस0एस0पाल	सदस्य
32.	डा0 चन्द्रकान्ता	सदस्य
33.	डा0 जकिया रफत	सदस्य

कमशः.........2 पर

34.	डा0 प्रतिभा वार्ष्णेय	सदस्य
35.	डा0 मोहम्मद सदरे आलम	सदस्य
36.	डा0 सुमन शर्मा	सदस्य
37.	डा0 रजनी रानी अग्रवल	सदस्य
38.	डा0 सुनील चौधरी	सदस्य
39.	डा0 ए0के0रूस्तगी	सदस्य
40.	डा0 रूचि गुप्ता	सदस्य
41.	डा0 मनीषा राव	सदस्य
42.	डा0 शिवपूजन सिंह यादव	सदस्य
43.	डा0 स्वदेश सिंह	सदस्य
44.	डा0 रेनू यादव	सदस्य
45.	डा0 पूनम गर्ग	सदस्य
46.	डा0 पी0के0वार्ष्णेय	सदस्य
47.	डा0 जमील अहमद	सदस्य
48.	डा0 आलोक श्रीवास्तव	सदस्य
49.	डा0 प्रतिभा सागर	सदस्य
50.	डा0 ज्योति पाण्डेय	सदस्य
51.	डा0 प्रदीप कुमार	सदस्य
52.	डा0 अशोक कुमार	सदस्य
53.	डा0 सुनीता पाण्डेय	कुलसचिव / सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यगणों का स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार / चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 12.02.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना।

निर्णय– उक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित Applied Chemistry, Applied Philosophy, Applied English, Applied Physics, Applied and Clinical Psychology, Applied Mathematics, Applied and Regional Economics की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा कमशः दिनांक 05.09.2019, 13.09.2019 25.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019, 05.10.2019 एवं 19.10.2019 में उक्त पाठ्यकमों से Applied शब्द को हटाये की संस्तुति की गयी है, पर विचार।

   ज्ञातव्य हो कि उक्त पाठ्यकमों से उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु (नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आदि) अमान्य किया जा रहा है। सूच्य हो कि विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.08.1997 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.1997 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यकमों की विश्वविद्यालय परिनियमावली में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में संचालित उक्त कोर्स जिनमें Applied शब्द जुड़ा हुआ है, उसे हटाने की सिद्वान्तः सहमति व्यक्त की गयी साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन हेतु मा0 कुलधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। फैकेल्टी बोर्ड की बैठक दिनांक 13.12.2019 के प्रस्तावानुसार फैकेल्टी आफ एप्लाइड सांइस का नाम पूर्व में स्वीकृत फैकेल्टी आफ लाइफ सांइस करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

3. विश्वविद्यालय परिसर, बरेली में बी0एस–सी0 (नर्सिंग) एवं पैरामेडिकल पाठ्यकम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

कमशः.........3 पर

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में उक्त कोर्स को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रारम्भ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. एम0डी0 आयुर्वेद की उपाधि में निम्नानुसार संशोधन किये जाने के संबंध में प्रो0 दिनेश कुमार मौर्य, संकायाध्यक्ष/प्राचार्य एवं अधीक्षक, आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली के पत्र दिनांक 25.01.2019 पर विचार।

क्र.सं0	उपाधि में प्रकाशन	प्रस्तावित संशोधन
1.	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्वेद)	आयुर्वेद वाचस्पति (एम0डी0 आयुर्वेद)
2	DOCTOR OF MEDICINE (AYURVED)	DOCTOR OF MEDICINE (M.D. AYURVED)

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप छात्रों को उपाधि दी जाय।

5. प्रो0 ए0के0जेटली, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण से प्राप्त पत्र दिनांक 13.11.2019 जो पी0एच–डी0 शुरू होने के समय को आर0डी0सी0 की तिथि से प्रभावी किये जाने पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह स्थिती पी0एच–डी0 अध्यादेश 2014 के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों (जिन्हें रू0 25000/– का शुल्क जमा करने की तिथि से पी0एच–डी0 समयावधि की गणना करने का नियम अध्यादेश 2014 में उल्लिखित है) के संदर्भ में प्रशासनिक विलम्ब के कारण हुई समय की हानि को घटाते हुए छात्रहित के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय के अनुमोदन से पी0एच–डी0 समयावधि की गणना की जा सकती है।

6. एम0एस0सी0 (माइक्रोबायोलॉजी) पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 28.09.2019 द्वारा तैयार किये गये आडिनेंस एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन के साथ स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय परिसर में बी0एस0सी0 (माइक्रोबायोलॉजी) की कक्षाये प्रारम्भ किये जाने पर विचार।
ज्ञातव्य हो कि विश्वविद्यालय परिनियमों में माइक्रोबायोलॉजी विभाग का समावेश पूर्व में हो चुका है।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त एम0एस0सी0 (माइक्रोबायोलॉजी) के तैयार पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश का अनुमोदन किया गया एवं विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत के बी0एस0सी0 (माइक्रोबायोलॉजी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

7. एम0एस0सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 15.11.2019 एवं 31.10.2019 द्वारा तैयार किये गये आडिनेंस एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन एवं उक्त पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किये जाने पर विचार।

निर्णय– सम्य्क विचारोपरान्त एम0एस0सी0 (बायोटैक्नालॉजी) के तैयार पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश का अनुमोदन किया गया एवं पादव विज्ञान के शिक्षकों की समिति के प्रस्तावानुसार विज्ञान संकायान्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्त पोषित योजना में एम0एस0सी0 (बायोटैक्नालॉजी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। इस हेतु बायोटैक्नालॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी का भवन विश्वविद्यालय में उपलब्ध है।

8. बी0एड0/एम0एड0 विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 05.03.2019 एवं 30.11.2019 जिसमें बी0एड0

क्रमशः.....4 पर

प्रथम वर्ष में मौखिक परीक्षा का समावेश करने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा बी0एड0 द्वितीय वर्ष प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा के संचालन हेतु पैनल के गठन में तीन परीक्षक नियुक्त किये जाने जिसमें एक आन्तरिक परीक्षक सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों से अनिवार्य रूप से हो तथा पहला बाह्य परीक्षक एम0जे0पी0रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों से अनिवार्य रूप से होने तथा द्वितीय बाह्य परीक्षक एम0जे0पी0रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक, एम0जे0पी0रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक हो की संस्तुति की गयी है, पर विचार।

निर्णय– उक्त के संबंध विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि प्रकरण को आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

9. गणित विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 27.08.2019 द्वारा एम0एस0सी0/एम0ए0 (उत्तरार्द्ध) में मौखिक परीक्षा 100 अंक एवं बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष में मौखिक परीक्षा 75 अंक किये जाने की संस्तुति पर विचार।

   सूच्य हो कि विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.10.2016 में उक्त प्रकरण स्थगित किया गया था।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त सत्र 2020–21 से स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0/एम0ए0 (उत्तरार्द्ध) में 100 अंक की मौखिक परीक्षा कराये जाने पर परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष में गणित विषय की मौखिकी परीक्षा कराये जाने के संबंध में प्रकरण को आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

10. वाणिज्य विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 15.10.2019 में बी0काम0 में प्रवेश हेतु किसी भी स्ट्रीम के छात्रों को प्रवेश दिये जाने एवं बी0काम (आनर्स) में ग्रेस अंक प्रदान किये जाने की संस्तुति पर विचार।

निर्णय– प्रकरण को आगामी विद्या परिषद की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

11. राजनीति विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 25.09.2019 में एम0ए0 (उत्तरार्द्ध) के विद्यार्थियों के लिए 01 पेपर रिसर्च मैथडोलॉजी (Research Mathodology) का प्रारम्भ करने संस्तुति पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त एम0ए0 (उत्तरार्द्ध) राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन के उपरान्त उक्त को लागू किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

12. एम0एस0सी0 पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग विषय पाठ्य समिति बैठक दिनांक 04.11.2019 में तैयार पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– सम्यंक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परिनियमावली में स्नाकोत्तर स्तर पर उक्त पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित हेतु मा0 कुलाधिपति जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

13. संस्कृत विषय पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 27.09.2019 के द्वारा बी0ए0(आनर्स) के संचालन हेतु अध्यादेश के निर्माण की संस्तुति की गयी है, पर विचार।

निर्णय– उक्त से परिषद अवगत हुई एवं सर्वसम्मति से अध्यादेश बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्रमशः.....5 पर

14. B.Tech (Electronics and Instrumentation Engineering) पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 10.12.2019 द्वारा सत्र 2020–21 हेतु तैयार किये गये पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत उक्त पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

15. विधि विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 29.09.2018 द्वारा एल0एल0एम0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एवं नियमों में किये गये संशोधन के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत उक्त पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

16. विधि विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 30.07.2019 द्वारा निम्नलिखित 04 नवीनकृत पोस्ट ग्रेजुऐट लॉ डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये जाने पर विचार।
    I. Post Graduate Diploma in Legal and Paralegal Advocacy.
    II. Post Graduate Diploma in Human Rights & Duties.
    III. Post Graduate Diploma in Cyber Laws Cyber Forensic.
    IV. Post Graduate Diploma in Media Law.

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली में शामिल कराये जाने के उपरान्त स्नाकोत्तर स्तर पर उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों प्रारम्भ किये जाने की सिद्धान्तः सहमति प्रदान की गयी।

17. विधि विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 11.09.2019 द्वारा विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों को संशोधित एवं नवीनीकृत किया गया है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरांत उक्त नवीनीकृत पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

18. शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, विश्वविद्यालय परिसर में संचालित के बी0एड0/एम0एड0 बोर्ड आफ स्टडीज की बैठक दिनांक 09.12.2019 एवं फैकल्टी बोर्ड की बैठक 13.12.2019 द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार
    (1) Department of B.Ed/M.Ed (I.A.S.E). के नाम को Department of Education (I.A.S.E). किया जाना।
    (2) विश्वविद्यालय परिसर, बरेली में संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश में किये गये संशोधन को सत्र 2020–21 से लागू किया जाना।

निर्णय– उक्त के संबंध में परिषद द्वारा निम्न निर्णय लिया गया–
1. Department of B.Ed/M.Ed (I.A.S.E) का नाम Department of Education (I.A.S.E) किये जाने हेतु सिद्वांतः सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियमावली एवं एन0सी0टी0ई0 में नाम परिवर्तन की कार्यवाही की जाय।
2. एम0एड0 पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश में किये गये संशोधन को सत्र 2020–21 से लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

19 प्रबन्धन विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 06.12.2019 एवं फैकेल्टी बोर्ड की बैठक दिनांक 09.12.2019 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2020–21 से बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम 40 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ प्रारम्भ किये जाने की संस्तुति पर विचार।

कमशः.....6 पर

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2020–21 से स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम 40 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ प्रारम्भ किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

20 शोध अध्यादेश वर्ष 2013 के अन्तर्गत ऐसे पंजीकृत छात्र जो वर्ष 2016 में सम्पन्न हुई पी0एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तथा अनुत्तीर्ण हो गये, ऐसे छात्र अध्यादेश 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आगामी कोर्स वर्क की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अध्यादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार कई छात्र/छात्राये इस वर्ष सम्पन्न हुई कोर्स वर्क की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये है, की शोध अवधि तथा शोध पर्यवेक्षक के चुनाव के संबंध में शोध अनुभाग की कार्यालीय टीप दिनांक 03.12.2019 पर विचार।

निर्णय– बिन्दु सं0 05 के द्वारा व्याख्यायित है।

21 बी0एस0सी0(कृषि) तथा एम0एस0सी0 (कृषि) में आई0सी0ए0आर0 के द्वारा अनुमोदित 5th डीन कमेटी का कोर्स प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जा चुका है। कृषि विषय पाठ्यक्रम समिति की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा 5th डीन कमेटी के कोर्स को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की संस्तुति पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि संकायाध्यक्ष (कृषि) द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गये आई0सी0ए0आर0 के द्वारा अनुमोदित 5th डीन कमेटी का कोर्स पर समस्त बोर्ड आफ स्टडीज के सदस्यों की सहमति के उपरान्त लागू किया जाय। किन्हीं कारणोंवश विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में शेष बोर्ड आफ स्टडीज के सदस्यों की सहमति प्राप्त नहीं हुई उनकों भी प्राप्त प्रस्ताव पर आवश्यक संशोधन यदि कोई हो तो 15 दिनों की समयावधि के अन्दर संशोधन प्राप्त कर लिये जाय। निर्धारित अवधि में संशोधन प्राप्त न होने के स्थिति में कुलपति को निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 अनिल शुक्ल)
कुलपति

(डा0 सुनीता पाण्डेय)
कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

विद्या परिषद का कार्यवृत्त

संख्या – 01/2021
दिनॉक – 22 मार्च 2021
दिन – सोमवार
समय – 12:30 बजे
स्थान – मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन सभागर

उपस्थिति–

1.	प्रो0 के0पी0सिंह	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो0 वी0 त्रिपाठी	सदस्य
3.	प्रो0 नलिनी श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रो0 पी0बी0सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 एस0के0पाण्डेय	सदस्य
6.	प्रो0 एम0के0सिंह	सदस्य
7.	प्रो0 संजय मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
9.	प्रो0 के0के0चौधरी	सदस्य
10.	प्रो0 अंजु अग्रवाल	सदस्य
11.	प्रो0 सुधीर कुमार वर्मा	सदस्य
12.	प्रो0 यशपाल सिंह	सदस्य
13.	प्रो0 विजय बहादुर सिंह यादव	सदस्य
14.	प्रो0 जे0एन0मौर्य	सदस्य
15.	प्रो0 तुलिका सक्सेना	सदस्य
16.	प्रो0 संतोष अरोरा	सदस्य
17.	प्रो0 सुमित्रा कुकरेती	सदस्य
18.	डा0 दिनेश कुमार मौर्य	सदस्य
19.	डा0 आर0पी0सिंह	सदस्य
20.	डा0 एस0एस0पाल	सदस्य
21.	डा0 बालेन्दु वरिष्ठ	सदस्य
22.	डा0 एन0के0जैन	सदस्य
23.	डा0 अमित सिंह	सदस्य
24.	डा0 अनुराग मोहन	सदस्य
25.	डा0 ओ0पी0मौर्य	सदस्य
26.	डा0 शोराज सिंह	सदस्य
27.	डा0 राजेश सिंह चौहान	सदस्य
28.	डा0 एस0एस0कटियार	सदस्य
29.	डा0 अरशद रिजवी	सदस्य
30.	डा0 मो0 सदरे आलम	सदस्य
31.	डा0 सुमन सिंह	सदस्य
32.	डा0 रेणु शर्मा	सदस्य
33.	डा0 पम्पा गौतम	सदस्य
34.	डा0 सुनील चौधरी	सदस्य
35.	डा0 ए0के0रूस्तगी	सदस्य

36.	डा0 (श्रीमती) शशी शुक्ला	सदस्य
37.	डा0 शिवपूजन सिंह यादव	सदस्य
38.	डा0 स्वदेश सिंह	सदस्य
39.	डा0 ऋतु अग्रवाल	सदस्य
40.	डा0 इला अग्रवाल	सदस्य
41.	डा0 शालिनी राय	सदस्य
42.	डा0 अनामिका त्रिपाठी	सदस्य
43.	डा0 पी0के0वार्ष्णेय	सदस्य
44.	डा0 अतुल शर्मा	सदस्य
45.	डा0 आलोक श्रीवास्तव	सदस्य
46.	डा0 प्रतिभा सागर	सदस्य
47.	डा0 ज्योति पाण्डेय	सदस्य
48.	डा0 प्रतिभा वार्ष्णेय	सदस्य
49.	डा0 अशोक कुमार	सदस्य
50.	डा0 संजीव त्यागी	विशेष आमंत्रित
51.	डा0 सुनीता पाण्डेय	कुलसचिव/सचिव

कार्यवृत्त–

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यगणों का स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की विषय कार्यसूची पर विचार/चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. विद्या परिषद की गत बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 09 पर लिए गये निर्णय के कम में सत्र 2021–22 से बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष में गणित विषय की मौखिकी परीक्षा कराये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत परीक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित पाठ्यकम समितियों के संयोजकगणों की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 28.02.2021 के कार्यवृत्त तथा इस संबंध में आये सुझावों पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के संबंध में कुलपति महोदय को समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया गया।

3. वाणिज्य विषय पाठ्य समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 22.12.2020 के द्वारा एस0एस0कालेज, शाहजहाँपुर में यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत पाठ्यकम B.Voc. (B.Com Vocational) डिग्री कोर्स कमशः B.Com Vocational-Retaic, B.Com Vocatinal- Taxation एवं B.Com Vocational-Tourism and Hospitality को सत्र 2021–22 से प्रारम्भ किये जाने की संस्तुति की गयी। इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी प्रस्ताव पारित किये गये–

(अ) बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति पाठ्यकम समिति द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों के नाम (प्रदत्त सूची) के अनुसार ही किये जायें परन्तु यदि किसी दशा में किसी अन्य (सूची के बाहर) बाह्य परीक्षक की नियुक्ति किये जाने संबंधी सुझाव पर विचार।

(ब) B.Com की भाँति B.Com (Hons) में ग्रेस मार्क्स दिये जाने की व्यवस्था की जाए।

(स) B.Com Finance के पंचम सेमेस्टर में चल रहे द्वितीय प्रश्न पत्र Export- Import Practice and Documentatin के स्थान Principles of Marketing तथा छठे सेमेस्टर में चल रहे पॉचवे प्रश्न पत्र VAT and Service Tax Law and Accounts के स्थान पर GST (Goods and Service Tax Law and Account) को लागू किया जाये।

उक्त संस्तुतियों का अनुमोदन फैकेल्टी बोर्ड की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 09.02.2021 द्वारा किया गया, से विद्या परिषद को अवगत कराया जाना।

निर्णय– यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृति पाठ्यकम B.Com Vocational-Retaic, B.Com Vocatinal- Taxation एवं B.Com Vocational-Tourism and Hospitality नवीन पाठ्यकम होने के फलस्वरूप मा0 कुलाधिपति जी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सत्र 2021–22 से प्रारम्भ किये जाने की सिद्धान्तः सहमति व्यक्त की गयी।

4. डा0 अमित सिंह, संयोजक, विधि विषय पाठ्य समिति से प्राप्त पत्र दिनांक 05.02.2021 के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को सम्पन्न हुई विधि पाठ्यकम समिति एवं दिनांक 05.01.2021 की फैकेल्टी बोर्ड द्वारा विधि अध्ययन संकाय हेतु निम्नलिखित नवीन पाठ्यकम अनुमत किए गए है–

(A)	**(I)**	B.Com. LL.B (Hons)	05 Year (10 Semester)
	(II)	BBA. LL.B (Hons)	05 Year (10 Semester)
	(III)	LLM. (Cyber Laws)	02 Year (04 Semester)
	(IV)	LLM. (Human Right & Duties)	02 Year (04 Semester)

उक्त नवीन पाठ्यकमों को विश्वविद्यालय परिनियमावली में शामिल किये जाने सम्बन्धी माननीय कुलाधिपति जी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम शुरू किये जाने के संबंध में विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त उक्त पाठ्यकमों को मा0 कुलाधिपति जी की स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

(B) विधि विषय फैकेल्टी बोर्ड की बैठक दिनांक 05.01.2021 में पारित प्रस्ताव 05 के अनुसरण में पूर्व संचालित पाठ्यकममों विधि (त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय) एवं एल0एल0एम0 द्वितीय वर्षीय पाठ्यकमों में किये गये संशोधित/नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त उक्त पाठ्यकमों में किये गये संशोधन/नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. दिनांक 10.12.2020 को सम्पन्न हुई सी0एस0आई0टी0 की बोर्ड आफ स्टडीज सत्र 2020–21 से एम0सी0ए0 (नवीन पाठ्यकम) को विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त पाठ्यकम लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त से विद्या परिषद को अवगत कराया जाना।

निर्णय– उक्त से विद्या परिषद अवगत हुई।

6. विश्वविद्यालय परिसर में फार्मेसी विभाग के अन्तर्गत M.Pharma Pharmaeutics, Pharmaceutial Chemistry एवं Pharmacology विषयों में फार्मेसी कॉसिंल आफ इण्डिया (PCI) द्वारा शैक्षिक सत्र

2020–21 से 09–09 सीटों की अनुमति प्रदान करने फलस्वरूप कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सत्र 2020–21 से M.Pharma पाठ्यकम के उक्त ब्रांचों में प्रवेश हेतु प्रदान की गयी अनुमति से विद्या परिषद को अवगत कराया जाना।

निर्णय– उक्त से विद्या परिषद अवगत हुई।

7. संकायाध्यक्ष, प्रबन्धन विश्वविद्यालय परिसर द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित BBA पाठ्यकम को BMS (नवीन पाठ्यकम) करने सम्बन्धी पत्र दिनांक 18.08.2020 पर विचार।

ज्ञातव्य हो कि BMS नाम का प्राविधान विश्वविद्यालय परिनियमावली में नहीं है।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में Bachelor of Management Studies (BMS) नवीन पाठ्यकम को प्रारम्भ किये जाने की सिद्धान्तः सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नवीन पाठ्यकम होने के कारण मा0 कुलाधिपति जी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात पाठ्यकम प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाय।

8. दिनांक 10.07.2020 को सम्पन्न हुई BHM&CT विषय पाठ्य समिति की बैठक में की गयी संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, से विद्या परिषद को अवगत कराया जाना।

निर्णय– उक्त से विद्या परिषद अवगत हुई।

9. माइक्रोवायोलॉजी विषय पाठ्य समिति की दिनांक 27.02.2021 में तैयार एम0एस0सी0 माइक्रोवायोलॉजी का संशोधित अध्यादेश एवं पाठ्यकम का अनुमोदन किये जाने पर विचार।

निर्णय– उक्त से विद्या परिषद अवगत हुई।

10. प्रो0 एस0के0पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली के पत्र दिनांक 15.03.2021 के द्वारा संलग्न फैकल्टी बोर्ड की सम्पन्न हुई दिनांक 05.02.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किये जाने पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली के फैकल्टी बोर्ड की बैठक दिनांक 05.02.2021 द्वारा विभिन्न प्रकार के निम्न नवीन डिप्लोमा पाठ्यकम, एम0टेक, इन्टीग्रेटेड एम0टेक–पी0एच0डी0 प्रारम्भ किये जाने पर सिद्धान्तः सहमति व्यक्त की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाठ्यकमों को प्रारम्भ करने हेतु माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। इसके अतिरिक्त बी0टेक0 अध्यादेश में किये गये संशोधन को सत्र 2021–22 के लागू किये जाने पर भी सहमति व्यक्त की गयी। फैकेल्टी बोर्ड की बैठक में की गयी संस्तुतियों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

1.

Courses	ME	EI	CSIT	EE	EC
Diploma	Diploma In ME	Diploma In EI	Diploma In CS & Engg	Diploma In EE	Diploma In EC
M.Tech	M.Tech in (Thermal Engg. Industrial & Producation Design)	EI	CSE	Electrical Engineering	EC

Courses	ME	EI	CSIT	EE	EC
Integrated/ Dual Degree M. Tech- PhD	Thermal Engg. Industrial & Producation	EI	CSE	Power System and Renewable Energy, Control and Automation	EC

1. Faculty Board discussed M.Tech-Ph.D Programme in Mechanical Engineering with specialization in Machine Design Engineering. The Said proposal is not approved by Board of Studies (BoS). The Faculty Board in principle agreed with the proposal However the syllabus has to be approved by BoS before the start of programme.
2. Proposal for starting four years " B.Tech programme" in Civil Engineering under the Faculty of Engineering and Technology as provided by the committee formed by Hon'ble Vice Chanceller was discussed & approved
3. Proposal for starting M.Tech Programme in Polymer Science proposed by the Department of Applied Chemistry already approved by Faculty Borad dated 18-06-2010 in endorsed again by the faculty board for further necessary action.
4. The MCA duration as well as Curriculum as revised by AICTE and the same has been accepted and revised accordingly by BOS of Computer Science dated 10-12-2020 is discussed and approved. The faculty board also recommends the MCA programme be addid under FET in the statutes.
5. The proposed for stating diploma courses namely diploma is chemical & Environmental Engineering as well as PG Diploma in Environmental Management as approved by BoS of Chemical Engineering were discussed and approved.
6. Faculty Board discussed and approved the revisions in the course structure and syllabi of the B.Tech programme in CSIT branch prertaining only to be core subjects offered by the Department bearing subject code CS and training.

11. रसायन विज्ञान विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 17.07.2018 एवं फैकल्टी बोर्ड की बैठक दिनांक 03.03.2021 के द्वारा एम0एस0सी0 (उत्तरार्द्ध) रसायन विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 से लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त उक्त पाठ्यक्रम में किये गये संशोधन को सत्र 2021–22 से लागू करने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

12. महिला अध्ययन उत्कृष्टता केन्द्र द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त 06 माह की अवधि के निम्नवत् दो Certificatie Courses प्रारम्भ करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1- Certificate Course in Women Leadership and Empowerment

2- Certificate Course in Women's Rights and Legal Awareness

13. बहुभाषियों के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त Centre of Excellence for Multilingual Studies समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित Certificate/ Diploma पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2021–22 से प्रारम्भ किये जाने पर सिद्धान्तः सहमति व्यक्त की गयी।

Certificate Course: I Semester

- Certificate in Communication Skills
- Certificate In English for Business

Certificate Course: II Semester

- Certificate of proficiency in Mandarin
- Certificate of proficiency in German
- Certificate of proficiency in Spanish
- Certificate of proficiency in French
- Certificate of translation Sanskrit-Hindi/English
- Certificate of translation English-Hindi
- Certificate of translation English-Mandarin
- Certificate of translation German- English
- Certificate in Interpreting Studies-Hindi, English, Spanish, German, Mandarin
- PG Diploma in Sanskrit for Computer Application
- PG Diploma in Sanskrit of Computer Application
- Diploma in Yoga Vijnan

Certificate Course: IV Semester

- PG Diploma in Functional Hindi
- PG Diploma In Urdu Journalism & Mass Comm.
- Diploma in Pali Language and Buddhist Culture
- Diploma in Pali Language and the Teaching of Buddha
- PG Diploma in Interpreting Studies

14. पी0एच0–डी0 अध्यादेश–2017 में किये गये परिवर्तन उपरान्त संशोधित पी0एच–डी0 अध्यादेश–2020 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– सर्वसम्मति से पी0एच–डी0 अध्यादेश–2020 का अनुमोदन किया गया।

अन्य मद कुलपति महोदय की अनुमति से–

1. कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ के पत्र संख्या ई–7471/12–जी0एस0/2020 (मिस–II) दिनांक 08.12.2020 के साथ संलग्न उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के पत्र दिनांक 20.11.2020 पर विचार ।

कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र संख्या 7471 / 12–जी0एस0 / 2020(मिस– I I) दिनांक 08.12.2020 में संदर्भित कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के पत्र संख्या ओ0यू0 / 2920 / 2020 दिनांक 20.11.2020 पर विद्यापरिषद के सदन में गम्भीर एवं सारगर्भित चर्चा हुई।

अनेक सदस्यों का विचार था कि उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक जनसंख्या (231,521,022) वाला राज्य है तथा इसके अन्तर्गत 17 राज्य विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इतनी जनसंख्या वाले राज्य में सरकारी विश्वविद्यालय की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण एवं अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण होने के कारण यहाँ व्यक्तिगत शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करना प्रचलन में है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिसंख्य अभ्यर्थी संस्थागत शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करने में आर्थिक तंगी, यातायात की सीमित उपलब्धता, जागरूकता की कमी, दैनन्दिन जीविका में उनकी निरंतर संलिप्तता, सामाजिक बाध्यता तथा शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी का अभाव बड़ी बाधायें हैं। इन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सर्वाधिक महिलाएं इससे प्रभावित हैं। अनेक सामाजिक बन्धनों और सामाजिक व्यवस्था के कारण भी विशेष रूप से महिलायें संस्थगत शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यद्यपि उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने की ओर अग्रसर है तथापि इतने बड़े प्रदेश में प्रयागराज स्थित किसी एक विश्वविद्यालय से सभी को अभीष्ट, गुणवत्तायुक्त, दूरस्थ शिक्षा दिया जाना अभी तक व्यवहारिक नहीं हो पाया है। अत्यधिक दूरी के कारण आवश्यकता पड़ने पर शिक्षार्थी, शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक एवं अन्य सहायता पाने से वंचित रह जाते हैं। जबकि क्षेत्रीय विश्वविद्यालय निकटस्थ होने कारण तथा जगह–जगह उनके सम्बद्ध महाविद्यालय होने के कारण व्यक्तिगत शिक्षार्थी सभी प्रकार की मदद प्राप्त कर पाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय से भी सम्पर्क, वार्तालाप तथा भ्रमण कर पाते हैं। यहाँ यह भी सूच्य है कि बड़ी संख्या में विवाहित एवं अविवाहित ग्रामीण तथा शहरी दोनों प्रकार की महिलायें, बच्चियाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग तथा नौकरी पेशा लोग व्यक्तिगत शिक्षार्थी के माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण कर पा रहे हैं। सम्बद्ध क्षेत्रीय महाविद्यालय न केवल इनका अच्छा सम्पर्क सूत्र हैं, बल्कि इनका परीक्षा केन्द्र भी होते हैं जहाँ इनको आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन, सलाह, पाठ्य–सामग्री, सूचनाएँ तथा क्षेत्रीय शिक्षकों द्वारा उचित दिशा–निर्देशन भी प्राप्त होता रहता है। निःसंदेह यह शिक्षा व्यवस्था अति उत्तम शिक्षा व्यवस्था तो नहीं है लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभीष्ट शिक्षा पाने में कामयाब रहते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में व्यक्तिगत शिक्षार्थी इन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में पंजीकृत होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा प्रेषित पत्र में इंगित किया गया है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी की शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर ठीक नहीं हैं, यह कुछ मायनों में सत्य है। लेकिन हमारे प्रदेश की दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था जो उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा दी जा रही है। सभी दूरस्थ शिक्षा वाले विश्वविद्यालय लम्बे समय से अपने नोडल सेन्टर, महाविद्यालय स्थित सेन्टर एवं कुछ प्राइवेट एजेन्सियों को दिये गये सेन्टर सबको मिलाकर भी इतने विख्यात नहीं हो पाये हैं जितनी कि राज्य विश्वविद्यालयों की व्यक्तिगत शिक्षार्थी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त दिनांक 06.01.2021 को उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर केवल 03 सह आचार्य तथा 13 सहायक आचार्यों की सूची प्रदर्शित है। इतने कम शिक्षकों के साथ सम्पूर्ण प्रदेश को उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा वह भी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से दिया जाना कैसे सम्भव हो सकता है, यह भी विचारणीय बिन्दु है।

गत कुछ वर्षों में भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम तथा कम्यूनिकेशन में क्रांति से तथा वर्तमान समय में कोविड–19 महामारी /त्रासदी के कारण ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का बहुत अच्छा स्रोत विकसित हुआ है। विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों ने अनेक संचालित पाठ्यक्रमों की सामग्री ऑनलाईन उपलब्ध करायी है। जिस वजह से पठन–पाठन बहुत मजबूत हुआ है। प्रदेश स्तर पर भी उत्तर प्रदेश डिजिटल लाईब्रेरी स्थापित की गयी है जिसमें लगभग सभी राज्य विश्वविद्यालयों ने आनलाईन स्टडी मैटेरियल उपलब्ध कराये जाने में अपना योगदान किया है। ऐसी स्थिति में छात्रों के पास विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के माध्यम से स्टडी मैटेरियल प्राप्त करने हेतु बहुतायत में ई–रिसोर्स उपलब्ध हैं तथा साथ ही आनलाईन गाइडेंस की भी व्यवस्था विकसित हो रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में क्लास रूम शिक्षा के अतिरिक्त ऑनलाईन शिक्षा ग्रहण कराये जाने की सिफारिश की गयी है। जिसके तहत ऑनलाईन शिक्षा सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य की गई है। साथ ही शिक्षा से वंचित क्षेत्रों, स्थानों पर नये महाविद्यालय स्थापित करने एवं वंचित व पिछड़े क्षेत्रों की जनता को शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किये जाने पर भी जोर दिया गया है।

अनेक सदस्यों का मत था कि माननीय कुलाधिपति कार्यालय द्वारा प्रेषित उद्देश्यपरक व सारगर्भित पत्र के संदर्भ में यह एक विचारणीय बिन्दु हो सकता है कि व्यक्तिगत शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, सर्वग्राही, ऑनलाईन टीचिंग, लर्निंग सिस्टम के साथ परिवर्तित परिवेश में शिक्षा प्रदान करायी जाये। ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण क्षेत्र के लोग विशेषकर महिलायें अपनी शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकेंगी तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण कर

सकेंगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार है।

अतः सदन इस प्रस्ताव पर मतैक्य है कि व्यक्तिगत शिक्षा को शनैः-शनैः ऑनलाईन शिक्षा में परिवर्तित करते हुए इसे गुणवत्तायुक्त व सर्वग्राही बनाने का प्रयास किया जाये न कि इसे बन्द किया जाये।

निर्णय– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यापक छात्रहित के दृष्टिगत पूर्व की भाँति व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित व्यवस्था को ही प्रभावी माना जाय।

2. विश्वविद्यालय में Guidelines for Student's Code of Conduct को लागू किये जाने के संबंध डा० ए०के०सिंह, कृते चीफ प्राक्टर के पत्र दिनांक 19.03.2021 पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त उक्त पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

3. विषय पाठ्यक्रम समिति की बैठक सुचारू से सम्पन्न कराये जाने के संबंध में विचार।

निर्णय– उक्त के संबंध में विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि बोर्ड आफ स्टडीज की बैठके आहूत कराये जाने हेतु संबंधित विषयों के संयोजक अपने स्तर से पाठ्यक्रम समिति के अन्य सदस्यों एवं बाह्य विषय विशेषज्ञों से सम्पर्क कर बोर्ड आफ स्टडीज की आनलाइन/ऑफलाइन बैठके आहूत कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो० के०पी०सिंह)
कुलपति

(डा० सुनीता पाण्डेय)
कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25-11-2022 का कार्यवृत्त
संख्या – 01/2022

स्थान – प्रशासनिक भवन प्रथम तल सभागार

उपस्थिति: -

1	प्रो० के० पी० सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2	प्रो० नलिनी श्रीवास्तव	–	सदस्य
3	प्रो० रज्जन कुमार	–	सदस्य
4	प्रो० पी० बी० सिंह	–	सदस्य
5	प्रो एम के सिंह	–	सदस्य
6	प्रो० रश्मि अग्रवाल	–	सदस्य
7	प्रो० संतोष अरोरा	–	सदस्य
8	प्रो०एस० के०. पाण्डेय	–	सदस्य
9	प्रो० शोभना सिंह	–	सदस्य
10	प्रो० एस० के० तोमर	–	सदस्य
11	प्रो० सुधीर कुमार	–	सदस्य
12	प्रो० अंजू अग्रवाल	–	सदस्य
13	प्रो० अर्चना गुप्ता	–	सदस्य
14	प्रो० सलीम खान	–	सदस्य
15	प्रो० रवेन्द्र सिंह	–	सदस्य
16	प्रो० संजय मिश्रा	–	सदस्य
17	प्रो० जे.एन. मौर्य	–	सदस्य
18	प्रो० मनीष राय	–	सदस्य
19	प्रो० कमल किशोर	–	सदस्य
20	प्रो०एस० एस० बेदी	–	सदस्य
21	प्रो० विजय बहादुर सिंह यादव	–	सदस्य
22	प्रो० तूलिका सक्सेना	–	सदस्य
23	प्रो० निवेदिता श्रीवास्तव	–	सदस्य
24	प्रो० विनय ऋषिवाल	–	सदस्य
25	डा० आलोक श्रीवास्तव	–	सदस्य
26	डा० ओ पी उपाध्याय	–	सदस्य
27	डा० यतेंद्र कुमार	–	सदस्य
28	डा० प्रमेन्द्र कुमार	–	सदस्य
29	डा० डी डी शर्मा	–	सदस्य
30	डा० संजीव त्यागी	–	सदस्य
31	डा० बृजेश कुमार	–	सदस्य
32	डा० अनीता त्यागी	–	सदस्य
33	डॉ० गौरव राव	–	सदस्य
34	डा० अमित सिंह	–	सदस्य

35	डा० आशुतोष प्रिय	–	सदस्य
36	डा० ज्योति पांडेय	–	सदस्य
37	डा० चमन सिंह	–	सदस्य
38	डा० चन्द्रकान्ता सिंघल	–	सदस्य
39	प्रो० धर्मेन्द्र गुप्ता	–	सदस्य
40	प्रो० प्रतिभा सागर	–	सदस्य
41	डा० सी.एम. जैन	–	सदस्य
42	डा० वीर वीरेन्द्र सिंह	–	सदस्य
43	डा० ओ.पी. मौर्य	–	सदस्य
44	डा० शौराज सिंह	–	सदस्य
45	डा० एस.एस. कटियार	–	सदस्य
46	डा० सुनील मलिक	–	सदस्य
47	डा० राजेश सिंह चौहान	–	सदस्य
48	डा० चारू मेहरोत्रा	–	सदस्य
49	डा० गिरीश चन्द्र पाण्डेय	–	सदस्य
50	डा० विनोद कुमार पाण्डेय	–	सदस्य
51	डा० राधा यादव	–	सदस्य
52	डा० नूरूल हक	–	सदस्य
53	डा० सदरे आलम	–	सदस्य
54	डा० सुरेश चन्द्र	–	सदस्य
55	डा० अजय कुमार अस्थाना	–	सदस्य
56	डा० पम्पा गौतम	–	सदस्य
57	डा० मीनू विश्नोई	–	सदस्य
58	डा० ए.पी. सिंह	–	सदस्य
59	डा० आर.के. गुप्ता	–	सदस्य
60	डा० शालिनी रॉय	–	सदस्य
61	डा० आलोक खरे	–	सदस्य
62	डा० एन.के. शर्मा	–	सदस्य
63	डा० शचि मित्तल	–	सदस्य
64	डा० नीरजा अस्थाना	–	सदस्य
65	डा० शुभ्रा कटारा	–	सदस्य
66	डा० राजीव कुमार, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त नवीन सदस्यों का परिचय प्राप्त किया एवं कुलसचिव द्वारा समस्त माननीय सदस्यगणों का स्वागत किया गया। तदोपरांत विषय की कार्यसूची पर कार्य विचार/चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि कराया जाना।

निर्णयः उक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले डिप्लोमा इन योग विज्ञान को संशोधित करते हुए स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग विज्ञान किए जाने सम्बंधित प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत संचालित एवं माननीया कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा इन योग विज्ञान पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग विज्ञान किए जाने सम्बंधित प्रस्ताव से सिद्धांततः सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में आंशिक संशोधन हेतु माननीया कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

3. दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पत्र संख्या DBSE/2021/388 दिनांक 29.12.2021 एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पत्र संख्या EV/VII(5)/2021/385/188 दिनांक 28 जुलाई 2021 से प्राप्त पत्रों का संज्ञान लेते हुये दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली बोर्ड को सीबीएसई एवं भारत के अन्य बोर्ड के समकक्ष मान्यता देने सम्बंधित प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पत्र संख्या DBSE/2021/388 दिनांक 29.12.2021 एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पत्र संख्या EV/VII(5)/2021/385/188 दिनांक 28 जुलाई 2021 से प्राप्त पत्रों का संज्ञान लेते हुये दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली को सीबीएसई एवं भारत के अन्य बोर्ड के समकक्ष मान्यता देने सम्बंधित प्रस्ताव के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया कि दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली बोर्ड विधिक प्रक्रिया द्वारा स्थापित एक बोर्ड है एवं पूर्ण रूप से सीबीएसई एवं भारत के अन्य बोर्ड के समकक्ष है।

4. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मल्टीलिंगुअल स्टडीज के एडजंक्ट फैकल्टी के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मल्टीलिंगुअल स्टडीज के एडजंक्ट फैकल्टी के प्रस्ताव को विचारोपरांत अनुमोदित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को इन विषयों से सम्बंधित अन्य विद्वान आचार्यों को एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में आवश्यकतानुसार सम्मिलित करने हेतु अधिकृत किया गया।

5. प्रो० एस० के० पाण्डेय, आचार्य, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान विभाग को माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 17-10-2022 के द्वारा विद्यापरिषद/ कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संकायाध्यक्ष, शैक्षिक के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–3), उ० प्र० शासन, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 6689/ सत्तर–3–2021–6(35) 2020 दिनाँक 17 मार्च, 2021 के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिपेक्ष्य में प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधारों हेतु माननीय कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विभिन्न समितियों के पुनर्गठन विषयक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था।

उक्त के क्रम में वर्किंग ग्रुप की एक वर्चुअल बैठक दिनाँक 19-08-2021 को सायं 4:00 बजे संपन्न हुई। उक्त बैठक में वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर एक मत से अपनी सहमति व्यक्त की। वर्किंग ग्रुप द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों में प्रस्तर संख्या 3 पर संकायाध्यक्ष, शैक्षिक के पद एवं उसकी आवश्यकता के सन्दर्भ में विस्तृत संस्तुति की गयी (उक्त वर्किंग ग्रुप की संस्तुतियां संलग्न हैं) :-

निर्णयः प्रो० एस० के० पाण्डेय, आचार्य, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान विभाग को माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 17-10-2022 के द्वारा विद्यापरिषद/ कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संकायाध्यक्ष, शैक्षिक के पद पर नियुक्ति को विद्यापरिषद द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन हेतु इस पद की नितांत आवश्यकता एवं इस सम्बन्ध में वर्किंग ग्रुप द्वारा की गयी विस्तृत संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय कुलपति जी के दिनांक 17-10-2022 के निर्णय से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्यपरिषद से अनुमोदनोपरांत माननीया कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

6. प्रो. रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1–6/2007(CPP-II) दिनांक 30-09-2022 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश जिसके अनुसार दो शैक्षणिक पाठ्यक्रम साथ– साथ किये जाने पर विचार।

निर्णयः प्रो. रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या : 1–6 /2007(CPP-II) दिनांक 30-09-2022 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश जिसके द्वारा दो शैक्षणिक पाठ्यक्रम साथ– साथ किये जाने को अनुमन्य किया गया है, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा स्वीकार किया गया एवं कुलपति जी द्वारा प्रो० एस०के०

पाण्डेय के संयोजकत्व में गठित समस्त संकायाध्यक्षों की समिति को विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कराने हेतु अधिकृत किया गया।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परास्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार किये गए विभिन्न विषयों के संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परास्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार किये गए विभिन्न विषयों के संशोधित पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को सत्र 2022-23 से CBCS प्रणाली के अंतर्गत संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गए अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को सत्र 2022-23 से CBCS प्रणाली के अंतर्गत संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गए अध्यादेश को विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित करते हुए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि उक्त के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यदि कोई संशोधन संकायाध्यक्षों द्वारा प्रो० एस० के० पाण्डेय के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो उसे कार्य परिषद के माध्यम से अनुमोदित कराने का कष्ट करें।

9. i) शोध निदेशालय द्वारा विभिन्न संकायों में नवीन पीएच०डी० कोर्स वर्क को प्रारम्भ किये जाने सम्बंधित प्रस्ताव एवं ऐसे विभाग जहाँ पीएच०डी० कार्यक्रम पूर्व से संचालित हो रहे हैं, के कोर्स वर्क के राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के अनुरूप शोध निदेशालय द्वारा प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार -

1. Faculty of Engineering & Technology:
    - a- Mechanical Engineering
    - b- Electronics & Communication Engineering
    - c- Electronics & Instrumentation Engineering
    - d- Electrical Engineering
    - e- Pharmacy
2. Faculty of Agriculture:
    - a- Agriculture Economics
    - b- Agronomy

c- Soil Science & Agricultural Chemistry
d- Genetics and Plant Breeding

3. Faculty of Ayurveda:
   a- Dravya Guna
   b- Kaya Chikitsa
   c- Ras Shastra aur Bhaisajya Kalpana
   d- Sanskrit Samhita aur Moulik Siddhant
   e- Shalakya Tantra
4. Faculty of Arts:
   a- Persian

निर्णयः शोध निदेशालय द्वारा विभिन्न संकायों में नवीन पीएच० डी० कोर्स वर्क को प्रारम्भ किये जाने सम्बंधित प्रस्ताव एवं ऐसे विभाग जहाँ पीएच०डी० कार्यक्रम पूर्व से संचालित हो रहे हैं, के कोर्स वर्क के राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के अनुरूप शोध निदेशालय द्वारा प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रमों को विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया एवं माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि उक्त के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यदि कोई संशोधन विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रो० सुधीर कुमार के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो उसे कार्य परिषद के माध्यम से अनुमोदित कराने का कष्ट करे।

ii) दिनांक 14.11.2022 को निदेशक मण्डल की बैठक में आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली संस्तुतियाँ

शोध अध्यादेश 2017 की धारा 8.3 एवं 8.4 में प्रावधान है कि शोध उपाधि समिति द्वारा संस्तुत/अनुमोदित कार्यवृत्त जिसमें कुलपति महोदय अध्यक्ष हैं को संकाय परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये, जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि कुलपति जी के अनुमोदन के पश्चात् ऐसा करना तर्कसंगत नहीं है। अतः ऐसे शोध छात्र जिनका शोध विषय/शीर्षक शोध उपाधि समिति द्वारा अनुमोदित हैं, को शोध छात्र को आवंटित/अनुमोदित कर दिया जाये।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

iii) शोध अध्यादेश 2020 के बिन्दु संख्या 7 एवं नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निदेशक मंडल द्वारा प्री पी–एच.डी. कोर्सवर्क सम्पादित करने के एवं छात्रों की समस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु विस्तृत नियमावली तैयार की गई है, का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाना।

निर्णय : उपरोक्त अध्यादेश का अनुमोदन प्रदान किया गया।

iv) पी–एच.डी. शोध अध्यादेश 2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अंशकालिक पी–एच.डी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है तथा बीस से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा अंशकालिक पी–एच.डी. में प्रवेश लिया गया है। शोध अध्यादेश में दी गई व्यवस्था अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी अपना कार्य करते हुए शोध कार्य एवं शोध प्रबन्ध जमा कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कोर्सवर्क आनलाईन/आफलाईन मोड में करने पर विचार किया जाना। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्व महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार किया गया जिसके द्वारा शिक्षकों द्वारा उनके लिए कोर्स वर्क आनलाईन/आफलाईन मोड में संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 62/सत्तर–1.2022 दिनांक 06 जनवरी, 2022 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कों पी–एच.डी. उपाधि हेतु भौतिक एवं आनलाईन प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गई है। उपरोक्त के सन्दर्भ में शिक्षकों सहित अन्य सभी अभ्यर्थियों को आफलाईन एवं/अथवा आनलाईन मोड में कोर्स वर्क की अनुमति प्रदान की जाये।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

v) शोध अध्यादेश 2020 के बिन्दु संख्या 4.1 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अध्यावृति प्राप्त अभ्यर्थी वर्ष में कभी भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं किन्तु उनकी प्रवेश प्रक्रिया पर विचार पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर किया जाता है। इसी प्रकार अंशकालिक पी–एच.डी. में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से भी वर्ष भर आवेदन प्राप्त किये जायें तथा आवश्यकतानुसार पात्रता/प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाये।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

vi) शोध निदेशालय द्वारा शोध परियोजनाओं एवं कन्सलटेंसी के लिए तैयार विस्तृत दिशा–निर्देशिका, जिसके द्वारा केन्द्र एवं विभिन्न प्रदेशों तथा अन्य निकाय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं को संचालित करने में शोध अन्वेषकों को मदद होगी एवं ज्यादा से ज्यादा शोध परियोजनाओं को सफलता पूर्वक संचालित किया जा सकता है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. सत्र 2022-23 में बी०ए० द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में विषय पाठ्यक्रम समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप एक प्रश्नपत्र किये जाने की संस्तुति की गयी है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सत्र 2022-23 में बी० ए० द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर एवं अन्य आगामी सेमेस्टर तथा सत्र 2022–23 बी.ए. प्रथम सेमेस्टर तथा आगामी सत्र/सेमेस्टर में अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में विषय पाठ्यक्रम समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप एक प्रश्नपत्र किये जाने की संस्तुति को विद्या परिषद् द्वारा स्वीकार करते हुए अनुमोदित किया गया।

11. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किये जाने पर विचार।

(i) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में (i) पावर सिस्टम एवं रिन्यूएबल एनर्जी (Power System and Renewable Energy) एवं (ii) कण्ट्रोल एवं ऑटोमेशन (Control and Automation) में इंटीग्रेटेड एम० टेक०–पीएच० डी० डुअल डिग्री प्रोग्राम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को, जो पूर्व में विषय पाठ्यक्रम समिति एवं संकाय परिषद द्वारा अनुमोदित है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में (i) पावर सिस्टम एवं रिन्यूएबल एनर्जी (Power System and Renewable Energy) एवं (ii) कण्ट्रोल एवं ऑटोमेशन (Control and Automation) में इंटीग्रेटेड एम० टेक०– पीएच० डी० डुअल डिग्री प्रोग्राम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को, जो पूर्व में विषय पाठ्यक्रम समिति एवं संकाय परिषद द्वारा अनुमोदित है को विद्या परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया । साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि कार्यपरिषद के अनुमोदनोपरांत उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने हेतु माननीया कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(ii) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय के अन्तर्गत ह्यूमनिटीज विभाग में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु समन्वयक,सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज द्वारा प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार-

निर्णयः अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संकाय के अन्तर्गत ह्यूमनिटीज विभाग में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु समन्वयक,सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज द्वारा प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश को अनुमोदित किया गया एवं उक्त के प्रभावी क्रियान्वन हेतु यदि कोई संशोधन विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रो० एस० के० पाण्डेय के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो उसे कार्य परिषद के माध्यम से अनुमोदित करने का कष्ट करे।

(iii) AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अन्तर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में 02 माइनर डिग्री प्रोग्राम यथा i- रोबोटिक्स (Robotics) एवं ii- एनर्जी इंजीनियरिंग (Energy Engineering), प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार-

(iv) AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग में 05 माइनर डिग्री प्रोग्राम यथा (i) Internet of Things(IoT) (ii) Robotics (iii) Artificial Intelligence and Machine Learning (iv) Industrial Automation (v) Electrical Vehicle तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में 03 माइनर डिग्री प्रोग्राम (i) इमर्जिंग एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी इन बी०टेक० (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) (Emerging Area of Technology in B.Tech. (Electrical engineering) (ii) इलेक्ट्रिकल वेहिकल (Electrical Vehicle) एवं (iii) रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (Robotics and Automation) प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अन्तर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में 02 माइनर डिग्री प्रोग्राम यथा i- रोबोटिक्स (Robotics) एवं ii- एनर्जी इंजीनियरिंग (Energy Engineering) प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग में 05 माइनर डिग्री प्रोग्राम यथा (i) Internet of Things(IoT) (ii) Robotics (iii) Artificial Intelligence and Machine Learning (iv) Industrial Automation (v) Electrical Vehicle तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में 03 माइनर डिग्री प्रोग्राम (i) इमर्जिंग एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी इन बी०टेक० (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) (Emerging Area of Technology in B.Tech. (Electrical engineering) (ii) इलेक्ट्रिकल वेहिकल (Electrical Vehicle) एवं (iii) रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (Robotics and Automation) प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एनर्जी इंजीनियरिंग के स्थान पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग

रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के नाम से उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध अपनी आख्या तत्काल उपलब्ध करायें।

(v) B.Tech. in Electronics and Instrumentation with specialization in Internet of Things (IOT) के नए पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने सम्बंधित इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार-

निर्णयः B.Tech. in Electronics and Instrumentation with specialization in Internet of Things (IOT) के नए पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने सम्बंधित इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रस्ताव को स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि कार्यपरिषद से अनुमोदनोपरांत उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने हेतु माननीया कुलाधिपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(vi) AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में माइनर डिग्री प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार-

निर्णयः AICTE द्वारा प्रारम्भ की गयी माइनर डिग्री योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में माइनर डिग्री प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। साथ ही विद्या परिषद द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि प्रस्तर संख्या 11(iii), 11(iv), एवं 11(vi) पर प्रस्तावित माइनर डिग्री प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने वाले सम्बंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर एक कार्य योजना बनाकर उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

vii) कंप्यूटर साइंस एंड इनफार्मेशन टेक्नोलोजी विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए एम०सी०ए० के पाठ्यक्रम एवं पी० एच० डी० अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः कंप्यूटर साइंस एंड इनफार्मेशन टेक्नोलोजी विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गए एम०सी०ए० के पाठ्यक्रम एवं पी० एच० डी० अध्यादेश को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

12. माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीएच० डी० प्रारम्भ किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कोर्स वर्क के सिलेबस के अनुमोदन पर विचार-

निर्णयः माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीएच० डी० प्रारम्भ किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कोर्स वर्क के सिलेबस को अनुमोदित किया गया।

13. स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रथम चार सेमेस्टर में 3 क्रेडिट के वोकेशनल पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा तैयार किये गए पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों यथा NPTEL, MOOCS, SWAYAM, COURSERA एवं अन्य सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिकृत है को महाविद्यालयों द्वारा संचालित किये जाने एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भी NPTEL, MOOCS, SWAYAM, COURSERA के पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करने के प्रस्ताव पर विचार -

निर्णयः स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रथम चार सेमेस्टर में 3 क्रेडिट के वोकेशनल पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा तैयार किये गए पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों यथा NPTEL, MOOCS, SWAYAM, COURSERA एवं अन्य सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिकृत है को महाविद्यालयों द्वारा संचालित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

स्नातकोत्तर स्तर पर भी उक्त पाठ्यक्रमों को आवश्यकतानुसार संचालन हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की गयी।

14. विधि, विषय पाठ्यक्रम समिति के संयोजक पद हेतु डा0 अमित सिंह, डीन, विधि के प्रस्ताव पर विचार -

निर्णयः विधि, विषय पाठ्यक्रम समिति के संयोजक पद हेतु डा0 अमित सिंह, डीन, विधि के प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विषय पाठ्यक्रम समिति के संयोजक की नियुक्ति के सम्बन्ध में नवीन परिनियमावली–2022 में सुस्पष्ट व्यवस्था विद्यमान है, उक्त का प्रभावी क्रियान्वन सुनिश्चित किया जाये।

अंत में अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यगण का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव / सचिव | **कुलपति / अध्यक्ष**